राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का १२वां दिवस [संख्या ४

सोमवार, ६ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १३ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, विकास, शक्ति (पॉवर) एवं समाज कल्याण-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

योग्यता छात्रवृत्ति योजना

१७५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Education Minister be pleased to state :

1. Is it a fact that under the Scheme of 'Merit Scholarships' Government awards scholarships to all students who have passed Inter Science examination in First Division and are in the first year of their further studies ?

2. Is it a fact that persons passing Inter Science examination and satisfying all other requirements are given admission directly to the 2nd year of the Degree course in M. B. M. Engineering College, Jodhpur ?

3. What provision the Government intends to make for those students who passed their Inter Science examination in first division prior to the year 1959, when this scheme was not in force, and who could not, therefore, benefit by this scheme in the first year of their technical studies but who have been passing their subsequent annual examinations (which are University examinations) in the first division ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : 1. Yes, Sir, provided they

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

are bonafide residents of Rajasthan and their parents/guardian's income does not exceed Rs. 3,000/-P. A.

2. Yes, Sir, they are given admission in the 2nd year of the 5 yr. Degree Course of the M. B. M. Engineering College, Jodhpur.

3. Such rules have now been amended.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : When were these rules amended ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Nearly a month back.

कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जयपुर के कर्मचारियों को हैड ऑफिस अलाउन्स

१७६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान राज्य में कितने जिलाधीश कार्यालयों के कर्मचरियों को हैड ऑफिस अलाउन्स मिलता है और कितनों को नहीं ?

(ख) क्या कोर्ट आफ वार्ड्स, जयपुर के कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट मेन्युअल के अनुसार जिलाधीश कार्यालय के हो अंग माने गये हैं ? अगर हां, तो क्या उन्हें भी हैड ऑफिस अलॉउन्स मिलता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(क) राजस्थान राज्य के सभी वरिष्ट लिपिक व कनिष्ट लिपिक जो जिलाधीशों के कार्यालय में काम करते हैं उन्हें सब को हैड ऑफिस अलाउन्स मिलता है।

(ख) जी हां, जिलाधीश कार्यालय का अंग मान लिया गया है व उन्हें भी हैड ऑफिस अलाउन्स १–४–६० से दिये जाने के आदेश सरकार द्वारा प्रचलित किये जा चुके हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इनको १–४–६० से ही क्यों दिया गया, जब कि जिलाधीश कार्यालयों को बहुत पहले से दिया गया है; तो फिर इनको बाद से देने के क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोर्ट ऑफ वार्ड्स के मुलाजिमान को स्टेट बजट में बाद में इन्टीग्रेट किया है।

डॉ० चन्द्रकला : तो जिस समय से इसका इन्टीग्रेशन हुआ है उस समय से दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : तो जब इन्टीग्रेशन पहले हो गया था तो इनको बाद में देने के क्या कारण थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब गवर्नमेंट ने देने का डिसीज़न लिया कि कौन कौन से केसेज़ किस किस श्रेणी में आते हैं, इस पर निर्णय होने के बाद ही १–४–६० से इनको देने का निर्णय किया गया।

प्रश्न संख्या १७७

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज (गंगापुर—सु०) ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

मैट्रिक ट्रेन्ड अध्यापकों को मैट्रिक ट्रेन्ड की ग्रेड

१७८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि नवीन अध्यापकों की नियुक्ति मैट्रिक ग्रेड में की जाती है ?

(२) क्या यह सच है कि मैट्रिक पास पुराने अध्यापकों को ट्रेन्ड मैट्रिक की ग्रेड से वंचित रखा जाता है ? कृपया मैट्रिक ट्रेन्ड सीनियर अध्यापकों की वह सूची सदन के पटल पर पेश करने का कष्ट करें जिसमें कि मैट्रिक ट्रेन्ड की ग्रेड नहीं दी गई है ?

(३) ट्रेन्ड अध्यापकों को अब तक मैट्रिक ट्रेन्ड की ग्रेड न देने का क्या कारण है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां ।

(२) जी हां । सूची जो अब तक प्राप्त हुई है सदन की मेज पर रख दी गई है । अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की सूची निरीक्षक, झुन्झुनूं व निरीक्षक शिक्षणालय (कन्यायें) कोटा, उदयपुर, जोधपुर व जयपुर के प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रखी जावेगी ।

(३) ट्रेन्ड मिडिल ग्रेड के समस्त पदों को उच्च ग्रेड में बदलने की कार्यवाही चल रही है ।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जो पुराने अध्यापक हैं, जो काफी अर्से से काम कर रहे हैं उनको तो अभी तक नया ग्रेड नहीं दिया गया है । अब मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, इतने दिनों से यह ग्रेड नहीं देने के क्या कारण हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पहले रूल्स लागू किये गये उनमें यह केटेगरी कवर नहीं होती थी, अब यह कोशिश की जा रही है कि ये भी कवर हो जायं ।

डॉ० चन्द्रकला : ऐसे अध्यापक सैकड़ों की संख्या में हैं और जब कि दूसरों को ५.३ से ग्रेड मिल गया है उनको देने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ५.३ में तो यह योजना लागू ही नहीं हुई थी, एक साल भर पहले लागू हुई है ।

डॉ० चन्द्रकला : आपको तो अभी इस बात की जानकारी भी नहीं है कि कितने अध्यापकों को यह ग्रेड मिलना चाहिये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पूर्ण जानकारी है ।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन अध्यापकों को

(डॉ० चन्द्रकला)

उनका हक मिल जाना चाहिये था वह अब कब तक दे दिया जायगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इससे फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स की जांच हो रही है ; उसके बाद में ही मिलेगा। निश्चित तारीख मैं दे नहीं सकता ।

डॉ० चन्द्रकला : आप अपने फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स को देख रहे हैं ? आपने कभी उन अध्यापकों के फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स को देखने की कोशिश की है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सब कुछ देखकर के ही कार्यवाही कर रहे हैं ।

तहसील सुजानगढ़ के पटवारियों द्वारा आवेदन-पत्रों पर से स्टाम्प उतार कर बेचा जाना

१७६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ तहसील के पटवारियों के विरूद्ध तहसील में दिये जाने वाले आवेदन-पत्रों से स्टाम्प उतार कर बेचने की शिकायत एवं जानकारी सरकार को मिली है ? यदि हां, तो इसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) इस संबन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) इस मामले की जांच कब तक किन किन अधिकारियों ने की है तथा उनकी जांच के क्या क्या परिणाम निकले हैं ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) जी हां, शिकायत की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) इस सम्बन्ध में विभागीय जांच की जा रही है।

(ग) इस मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, पुलिस विभाग व एस० डी० ओ० ने की है। पुलिस व एस० डी० ओ० रतनगढ़ ने जांच कर अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसमें पुलिस ने रिपोर्ट दी कि आरोपों का कोई सुबूत नहीं मिलता व एस० डी० ओ० ने प्राथमिक जांच में पाया कि इस मामले में विभागीय जांच की गुंजाइश है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने अभी कोई रिपोर्ट नहीं दी है; यह मामला जेर–गौर है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : जिन दर्ख्वास्तों पर टिकट लगाये हुए थे वे किस अधिकारी के अधिकार में थीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसी क्लर्क के अधिकार में जिसके अधिकार में रहनी चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : जांच से क्या यह साबित हो गया है कि उन दर्ख्वास्तों के टिकट उठाकर दूसरी दर्ख्वास्तों पर लगा दिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस प्रकार की शिकायत एन्टी करप्शन विभाग के पास

Page No.5

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आयी लेकिन उसके लिए एवीडेन्स नहीं मिली ।

श्री भैरोंसिंह : क्या पुलिस द्वारा यह केस रजिस्टर करके इन्वेस्टीगेशन किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट पहले केस रजिस्टर करके ही कार्यवाही करता है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं पुलिस विभाग के लिए पूछ रहा हूँ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्वेस्टीगेशन किया होगा । पार्टीकुलर केस को रजिस्टर किया या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री भैरोंसिंह : तो सूचना किस आधार पर दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस ने व एस. डी. ओ. ने जांच कर अपनी रिपोर्ट दे दी जिसमें पुलिस ने आरोपों का कोई सुबूत नहीं मिलता, ऐसा कहा है ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि बिना केस रजिस्टर किये ही इन्वेस्टीगेशन शुरू कर दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जैसा चाहें समझ सकते हैं, मेरे पास जो जानकारी थी वह मैंने आपको दे दी है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भैरोंसिंह : बड़ा इम्पोर्टेन्ट सवाल है । जितने टिकट लगाये गये उसके सम्बन्ध में विभाग को इतमिनान नहीं है उन, टिकटों को दरख्वास्तों से हटाकर नाजायज़ तौर से दूसरी दरख्वास्तों पर लगा कर कलर्क ने पैसे वसूल किये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया, जांच हो रही है । यह मामला इन्वेस्टीगेशन की स्टेज पर है इसलिए किसी खास पोइन्ट पर मैं अर्ज नहीं कर सकता ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या आप पुलिस के अन्दर यह केस रजिस्टर करवाने की स्थिति में हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एन्टी करप्शन विभाग को देने का भी यही मतलब है ।

श्री भैरोंसिंह : तो आपने पुलिस को डाइरेक्ट रिपोर्ट क्यों नहीं की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया और कहती है कि सुबूत नहीं मिलता ।

श्री भैरोंसिंह : केस ही रजिस्टर नहीं किया जब आपके कथनानुसार, तो फिर सुबूत मिलने न मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री दामोदरलाल व्यास : केस रजिस्टर नहीं किया, यह आपके कहने से मालूम हो रहा है । केस रजिस्टर करके ही कहा होगा । पर आप यह कह रहे हैं तो मैं इसकी जानकारी कर लूंगा । केस रजिस्टर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी इसमें कोई फर्क नहीं है। अभी भी केस एन्टीकरप्शन विभाग में ही है। उसकी रिपोर्ट को और जांच करने पर और एविडेन्स मिलने पर केस रजिस्टर भी कर दिया जायगा।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : यह इन्वेस्टिगेशन कितने अर्से से चल रहा है?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कितने रुपयों का मामला इसमें इन्वोल्व्ड है?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सब मैंने सदन की मेज पर रख दिया है। करीब बारह सौ रुपयों के हैं?

श्री किशनाराम (रतनगढ) : क्या यह सही है कि रिजूमल ने कलेक्टर चुरू के यहां इस बारे में दर्ख्वास्त दी थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री किशनाराम : क्या कलेक्टर ने जांच की थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा है कि एस. डी. ओ. और पुलिस सुपरिन्टेडेन्ट ने जांच की थी और एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट जांच कर रहा है।

प्रश्न संख्या १८०

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

गांगवा ग्राम स्थित कुआ भोपाला के विकास हेतु प्रदत्त धनराशि का दुरुपयोग

१८१. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील परबतसर के गांगवा ग्राम में स्थित कुआ भोपाला पर विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी सहायता अब तक दी गई है और किस किस को?

(ख) क्या इस कुए पर खर्च करने के लिये मिली सहायता की रकम के गबन व दुरुपयोग करने के बारे में श्री परमाराम, भूतपूर्व सरपंच गांगवा के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा या जल बोर्ड अधिकारियों द्वारा सरकारी अधिकारियों की मार्फत जांच की गई? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा? यदि जांच नहीं हुई तो क्यों?

विकास मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) ५,७५,२) श्री परमाराम, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गांगवा को दिये गये।

(ख) जी हां। श्री परमाराम के विरूद्ध चालान पेश करने के लिए पुलिस को आदेश दे दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम।

मौजा खोखरा, तहसील सोजत के पर्चा लगान नम्बरों में तसखीस व लगान में परिवर्तन

१८२. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत):

(श्री तेजाराम)

क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे ?

(१) क्या यह सही है कि मौजा खोदरा तहसील सोजत के पर्चा लगान रजिस्टर नम्बर ३६५ के पर्चा लगान नम्बर २६।३१ व ३२ में तख्मीना व लगान में परिवर्तन किये गये हैं ?

(२) यदि हां, तो यह परिवर्तन किस आज्ञा से किया गया और क्या वह आदेश अपील में एडीशनल सैटलमैन्ट कमिश्नर, जोधपुर द्वारा दिनांक १५—१२—५८ को मन्सूख किया गया ?

(३) उपरोक्त तीनों पर्चों की प्रतियां परिवर्तन के पहले व परिवर्तन के बाद की सदन की मेज पर रक्खें ?

(४) क्या यह बात सही है कि जब कभी भी सैटलमेन्ट रिकार्ड्स में परिवर्तन किया जाता है तब पर्चे लगान व दूसरे सैटलमेन्ट रिकार्ड में यह नोट लिखा जाता है कि अमुक आज्ञा के जरिये यह परिवर्तन किया गया है और क्या इन तीनों पर्चों में यह नोट दिया गया ?

(५) प्रश्न नम्बर २ का जवाब यदि हां में हो तो क्या मौजा खोखरा के पटवार रिकार्ड में उक्त फैसले की रूह से दुरुस्ती की गई है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां।

(२) सैटिलमैन्ट ऑफिसर की आज्ञा से किया गया और वह आदेश एडीशनल सैटलमेन्ट कमिश्नर ने मंसूख किया।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) जी हां।

(५) दुरुस्ती की गई सम्बन्धित आज्ञा का हवाला भी दिया गया।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : मन्त्री महोदय ने जो पर्चे सदन की मेज पर रक्खे हैं उनमें असिस्टेन्ट सैटलमेन्ट कमिश्नर की आज्ञा के बाद इन पर्चों में दुरुस्ती की नहीं गई है। तो क्या इससे यह माना जावे कि जो पर्चा नम्बर २६ में २७७) से ३७६) किया गया है, पर्चा नम्बर ३१ में २३६) की जगह ४१६) किया गया है और पर्चा नम्बर ३२ में ३२१) की जगह ४३६) किया गया है वह ठीक नहीं है। पटवारी के रिकार्ड के अन्दर तो वह की वह रकम रही है ?

श्री अध्यक्ष : पर्चे आपके सामने हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं ? उस ऑर्डर का हवाला दिया जा चुका है और दुरुस्ती कर दी गई है।

श्री तेजाराम गहलोत : दुरुस्त शुदा पर्चे दिये गये हैं और उसमें दुरुस्ती नहीं की गई है, इसलिये जानना चाहूँगा कि क्या ऑर्डर के मुताबिक दुरुस्ती करनी बाकी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने ऑर्डर की कॉपी दी है; मुताबिक ऑर्डर ८६१।४।५।५३ के यह दुरूस्ती की गई ।

श्री तेजाराम गहलोत : पर वह आगे जब ऑर्डर मन्सूख हो चुका १६।१२।५८ को तो उसकी क्या तामील कर दी गई है जैसा कि प्रश्न पांच के उत्तर में कहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : केस अगर रिमान्ड हुआ है तो दुरुस्ती का सवाल सीधा पैदा नहीं होता और केस में दूसरे ऑर्डर सब्स्टीट्यूट हो गये हैं, तो उसकी दुरुस्ती हो जानी चाहिये । केस अगर रिमान्ड किया है तो उसकी दुरस्ती का कायदा नहीं है, तभी दुरस्त हो सकेगा जब कि फाइनल डिसीज़न हो गया हो ।

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न नम्बर २ के जवाब में बताया गया है कि वह आज्ञा मंसूख कर दी गई है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : : रिमान्ड से मंसूख होती है, पर वह पहला ऑर्डर तब्दील तब तक नहीं होता जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं हो जाता, सब्जेक्ट टू दी कमिश्नर्स ऑर्डर्स । अब अगर फाइनल ऑर्डर कोई हो गया है तो वह आप बतावें । आप खुद जानते हैं केस रिमान्ड होने से ही तब्दीली नहीं होती ।

श्री तेजाराम गहलोत : फिर आपने कैसे बताया कि आज्ञा मंसूख कर दी गई है । क्या आज्ञा मंसूख होने के बाद भी तब्दीली नहीं की जा सकती ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, साफ कह चुके हैं कि अगर ऑर्डर रिमान्ड करने का है तो दुरुस्ती नहीं की जावेगी ।

श्री तेजाराम गहलोत : आज्ञा जब मंसूख कर दी जाती है तो फिर चैन्जेज़ एग्ज़िस्ट कैसे करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : वे चेन्जेज़ कहां हुए, वे कहां कहते हैं ?

श्री तेजाराम गहलोत : हो गये वे तो साहब, २७७) से ३७६) कर दिये गये ।

श्री अध्यक्ष : It all depends upon the order of the remand. एक सैट असाइड करते हैं ।

श्री तेजाराम गहलोत : सैट असाइड करके ही डिमान्ड किया है न ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Not necessarily.

श्री तेजाराम गहलोत : वैसी सूरत में फिर ये दुरुस्ती क्यों नहीं की जाती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह साधारण सी बात है और माननीय सदस्य इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरे उनके आपस में पत्र-व्यवहार भी हुआ है और आखिर यही निर्णय लिया गया है कि केस भी यही है और कानून भी यही है कि अन्तिम निर्णय जब तक नहीं लिया जावे तब तक तब्दीली नहीं की जा सकती । आज सैटलमेन्ट ऑफिसर ने निर्णय दिया और अगर केस रिमान्ड हो गया और इधर दुरुस्ती हो गई और फाइनल आर्डर और तरह का हो गया; तो फिर

Page No.9

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दुरुस्ती करो, इस तरह हर बार दुरुस्ती करते जावेंगे। इसलिये रूल्स में भी यही है कि जब तक फाइनल आॅर्डर नहीं हो जाता तब तक दुरुस्ती नहीं की जावे, अगर वह केस रिमान्ड में आ गया है तो।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

उनियारा टाउन को भाखरा और चम्बल योजना से बिजली

१८३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भाखरा और चम्बल योजना के जरिये और डीज़ल इन्जिनों द्वारा टोंक जिले के किन किन गांवों में बिजली देने की सन् १९५९-६० में योजना थी ?

(ख) क्या उनियारा टाउन को भी उपरोक्त योजना द्वारा बिजली दी जाने की योजना है ? अगर हां, तो वहां कब तक बिजली पहुंच जावेगी ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) डीज़ल इन्जिनों के द्वारा खास टोंक, निवाई व मालपुरा में बिजली देने की योजना थी।

(ख) अभी ऐसी कोई योजना नहीं है परन्तु लोड सर्वे के आधार पर यदि हो सका तो तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इस पर विचार किया जावेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : भाखरा और चम्बल की बिजली कहां कहां ला रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनियारा में नहीं ला रहे हैं, यह आपको जवाब दे दिया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वहां नहीं, तो मालपुरा में पहले आवेगी ?

डाॅ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उनि- जो अन्धेरे में है उसका सवाल है प्रकाश में लाने का ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): वहां बिजली आॅलरेडी है।

महाराजा काॅलेज, जयपुर, की राजनीति शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षा विश्व-विद्यालय को सौंपना

१८४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि निकट भविष्य में महाराजा काॅलेज, जयपुर में चलने वाली हिन्दी, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य की स्नातकोत्तर कक्षाएं सुव्यवस्थित अध्यापन के उद्देश्य से सरकार राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर को सौंपने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(२) क्या यह सत्य है कि महाराजा काॅलेज, जयपुर में चलने वाली राजनीति शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षा सरकार राजस्थान

(श्री मुरलीधर व्यास)

यूनिवर्सिटी को नहीं सौंप रही है? यदि हां, तो क्यों?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी को कोई सिफारिश की है कि यहां पर खोलना चाहिये क्लासें इस प्रकार की?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : खुद ही अगले सैशन से कुछ विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासें खोल रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : जो निर्णय लिया है क्या उसके अन्तर्गत है, जयपुर में भी इस सब्जेक्ट की क्लासें खोलने का निर्णय?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अगर यूनिविर्सिटी अपने वहीं पर क्लासें खोलती हैं तो महाराजा कॉलेज में कन्टीन्यू नहीं की जावेंगी।

श्री मुरलीधर व्यास : पर बीकानेर में तो खोल दी जावेंगी, यह तो निश्चय हो गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है कि वह क्या करती है।

श्री मुरलीधर व्यास : एकेडेमिक कौंसिल ने फैसला कर लिया है कि जो इस तरह की क्लासें हैं वे युनिवर्सिटी के अन्तर्गत ले ली जावें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्लासें ली जाने का प्रश्न नहीं है। जो क्लासें वे चालू करते हैं तो उस वक्त उन्हें महाराजा कॉलेज में भी चालू रखा जावे, यह नहीं होना चाहिये; यह गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया है। अब उनकी अपनी फैसिलिटी के मुताबिक जो क्लासें वे शुरू करेंगे उनको हम कन्टीन्यू नहीं रखेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर के सम्बन्ध का भी कोई निर्णय लिया है पोलिटिकल और साइन्स की क्लासें वहां खोलने का ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बीकानेर का यहां युनिवर्सिटी में क्लासें खोलने से इसका सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्न संख्या १८५

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

(अनुपस्थित)

जिला जयपुर के अध्यापकों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बकाया वेतन की अदायगी

१८६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) जिला जयपुर के अध्यापकों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का बकाया वेतन कितना है ?

(ख) यह वेतन किन का कब कब से

Page No.11

(श्री रामकरण सिंह)

बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) अब तक इस बकाया वेतन के न दिये जाने का क्या कारण है ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) निरीक्षणालय, जयपुर पूर्व व पश्चिम को १,२७,७७१) व १,१३,४२२) की धनराशि वेतन बकाया है।

(ख) सूची संलग्न है।

(ग) कुछ रकमें फिक्सेशन तथा सिलेक्शन ग्रेड की हैं जो कुछ समय पहले ही तय हुए हैं व कुछ रकमें बाकी होने का कारण यह है कि अध्यापकों द्वारा जोइनिंग रिपोर्ट व मैडिकल सर्टीफिकेट आदि समय पर नहीं भेजे जाते हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामकरणसिंह : ढाई लाख रुपया और ७०० टीचरों का वेतन का बकाया एक ही जिले में है, अगर सारे राजस्थान की दृष्टि से सोचें तो क्या यह दशा वास्तव में सोचनीय नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : फिक्सेशन उनका अभी हुआ है, इसलिए बकाया अब मिलेगी।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : फिक्सेशन कब हुआ है ?

श्री पूनमचन्द भिश्नोई : यह तो हर एक केस का अलग अलग है।

श्री भैरोंसिह : जिनमें ज्यादा पचास हजार का अमाउन्ट हो, ऐसे केसेज़ कब तक डिसाइड हो गये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यहां तो ढाई लाख का सवाल है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस स्थिति में है कि इस ढाई लाख में से जितने भी फिक्सेशन के केसेज़ हैं वे पिछले एक-दो महीने में तय हुए हैं या कितने अर्से में तय हुए हैं, यह बतायें ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अब इसको जल्दी से जल्दी भुगतान करने की ताकीद करेंगे पर कितने अर्से में ये तय हुए हैं यह बताना मुश्किल है, क्योंकि इन्डिविजुअल केसेज़ में अलग अलग फैसले हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनके फिक्सेशन के बाद में पेमेन्ट नहीं होने का और इतना पेमेन्ट एक साथ एक्युमुलेट हो जाने का क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पुराने सबके केस तय हो गये हैं।

श्री भैरोंसिह : जितनी फिक्सेशन के सम्बन्ध में लोगों की रकम बाकी है वह फिक्सेशन क्या आज से चार—पांच महीने या, पिछले सेशन से पहले हो गया था; तो उनका अमाउन्ट क्यों नहीं पे हुआ ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पांच छः महीने पहले जिसका तय हो गया उसका तो

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

पेमेन्ट हो जाना चाहिये, पर यह दूसरों की बकाया रकम है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसी सदन में पिछली बार माननीय उप-मंत्री ने यह बताया था कि फिक्सेशन के केसेज़ करीब करीब कम्पलीट हो गये हैं, तो उसके बाद में इस रकम का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : करीब करीब कम्पलीट हो गये हैं, मैंने यह तो नहीं कहा था कि सारे ही पूरे हो गये हैं। फिक्सेशन अब पूरे हो चुके हैं, शायद एक-कदो केस बकाया हैं। अब पेमेन्ट में कुछ छोटी बातों के लिये भी ऑब्जेक्शन हो जाये तो उससे भी पेमेन्ट रुक सकता है। यदि आप किसी खास केस के बारे में पूछें तो मैं बता सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फिक्सेशन का काम पूरा हो जाने के बाद उनके एरियर बिल बना कर इन्सपेक्टोरेट से नहीं भेजे, इस कारण से रकम बकाया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा है तो आप नाम बतायें तब ही मैं अर्ज कर सकता हूँ। यह तो एक ऐसा सवाल है जो प्रोब्लेमेटिक है।

श्री भैरोंसिंह : फिक्सेशन के नियमानुसार और जो सर्कुलर इश्यू किया गया उसके अनुसार कितने दिन में एरियर बिल बनाकर ट्रेज़री को चला जाना चाहिये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कोई दिन मुकर्रर नहीं है कि इतने दिनों में एरियर बिल बना कर ट्रेज़री को भेज देना चाहिए। जल्दी से जल्दी होना चाहिये, यह बात जरूर है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाये कि सरकार की यह भी मन्शा हो सकती है कि एक महीने, दो महीने, चार महीने और छः महीने से भी ज्यादा समय लग सकता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या १८७

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

लालसोट को बिजली देना

१८८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि दौसा से लालसोट होते हुए गंगापुर तक बिजली के खम्भे लगे हुए आज छः साल का अर्सा हो गया, मगर बिजली अभी तक नहीं दी गई ?

(ख) क्या यह भी सच है कि गत अधिवेशन में विद्युत मन्त्री द्वारा मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि सन् १९६० के अन्त तक लालसोट में बिजली चालू कर दी जायेगी ?

(ग) जब सन् १९६० में बिजली देने

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

को सरकार तैयार है, तो उन खम्भों में जल्दी से तार क्यों नहीं खींचा जाता; जब कि सन् ६० भी खतम हो गया, मगर अभी तक बिजली चालू नहीं हुई? अब बिजली किस महीने में चालू होगी?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) अंशतः सत्य है। कुछ खम्भे दौसा लालसोट के बीच में लगाये गये थे।

(ख) जी हां।

(ग) क्योंकि अलाइनमेन्ट में तब्दीली की गई है इसलिए इन गांवों को बिजली सन् ६१ के सितम्बर–अक्टूबर तक दिये जाने की आशा है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : आशा ही है या काम पूरा हो जायेगा?

श्री हरिश्चन्द्र : सितम्बर–अक्टूबर १९६१ के लिए कहा है मैंने।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : सन् १९५९ में भी यही कहा गया था।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी) : क्या यह सही है कि इसके जो खम्भे हैं या छः साल पहले ही लगा दिये गये थे और बत्ती लगी नहीं?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां, खम्भे लगाये गये थे। मैंने कहा आपके सवाल के जवाब में कि अलाइनमेन्ट चेन्ज किया गया है इसलिए देरी हुई है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सब ठप पड़ा है।

श्री मुरलीधर व्यास : इधर खम्भे लगे हुए हैं तो बिजली नहीं है और दूसरी तरफ बिजली है तो खम्भे नहीं हैं, इसका क्या कारण है?

श्री हरिश्चन्द्र : पहले लालसोट से दौसा को बिजली देने का था। अब सी० डब्ल्यू० पी० सी० से बात हुई थी तो उन्होंने अलाइनमेन्ट चेन्ज किया है। सवाई माधोपुर से गंगापुर होते हुए लालसोट आयेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके पहले कई स्थानों पर खम्भे नहीं थे इसलिये बिजली नहीं दे सके और इधर खम्भे पड़े रहे तो जब फैसला हुआ तो खम्भे उधर क्यों नहीं लगाये?

श्री हरिश्चन्द्र : आप कौनसी जगह के लिए फरमा रहे हैं?

श्री मुरलीधर व्यास : सारे इलाके में ही ऐसा है।

श्री हरिश्चन्द्र : आप किसी पर्टिक्युलर जगह के बारे में बतायें, कौनसी जगह है?

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर–चुरू क्षेत्र के अन्दर। वहां पर आप खम्भों की वजह से बिजली नहीं पहुंचा सके।

प्रश्न संख्या १८९

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

Page No.14

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या १६०

श्री अनूपसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री किशनाराम ।

चुरू जिले में किसानों से रकम की वसूली

१८१. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चुरू जिले में राजस्व अधिकारी व कर्मचारी राजस्थान काश्तकारी कानून सन् १६५५ की धारा १५ व १६ के तहत किसानों से रकम वसूल कर रहे हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जी नहीं, दफा १५ व १६ के तहत वसूल नहीं करते। अलबत्ता धारा १६ के तहत यदि शिकमी काश्तकार व खुदकाश्त खातेदारी अधिकार प्राप्त करता है तो लैंण्ड होल्डर को मुआवजा पाने का अधिकार है।

श्री किशनाराम : सुना नहीं, जरा फिर से बोल दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, दफा १५ व १६ के तहत वसूल नहीं करते। अलबत्ता धारा १६ के तहत यदि शिकमी काश्तकार व खुदकाश्त खातेदारी अधिकार प्राप्त करता है तो लैण्ड होल्डर को मुआवजा पाने का अधिकार है।

श्री किशनाराम : मैं यह पूछ रहा हूँ कि अगर उगाई धारा १६ के तहत नहीं की जाती है तो किस धारा के तहत वसूल करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : किस रकम का आप प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री किशनाराम : जो जमीन की रकम गवर्नमेंट लेती है, लगान।

श्री दामोदरलाल व्यास : लगान तो गवर्नमेन्ट लेती है। आपने तो पूछा था कि धारा १५ व १६ के तहत वसूल कर रहे हैं; पर लगान के बारे में आपने पूछा नहीं।

श्री रावतराम (चुरू—सु.) : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि यदि शिकमी काश्तकार खातेदारी अधिकार प्राप्त करता है तो लैण्ड होल्डर को मुआवजा पाने का अधिकार है; तो उससे एक साल का एक्सट्रा लगान वसूल किया जाता है, उनको रसीद दी जाती है और वह लोगों के पास मौजूद है और मंत्री महोदय कहते हैं कि उससे लगान नहीं लिया जाता है !

श्री दामोदरलाल व्यास : वह लगान नहीं है, वह तो म्युटेशन फीस है। यह तो धारा १५ व १६ के तहत जो भी म्युटेशन होगा वह तो फीस वसूल की जायेगी। वह लगान या मुआवजा नही है और उसको वसूल करने का अधिकार है और वह सब जगह वसूल होती है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु.) : यह फीस सब जगह एक सी ली जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसूल एक ही है।

श्री रामचन्द्र : मैं रेट्स के लिए कह रहा हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : रेट एक नहीं हो सकती लेकिन सिद्धान्त एक ही है।

श्री रामचन्द्र : पर्सेन्टेज एक ही रखा गया है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि वे पहले रूल्स देख लें।

श्री रामचन्द्र : मैं पूछ रहा हूँ कि आपने जो पर्सेन्टेज रखा है वह सब जगह बराबर है या अलग अलग है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पर्सेन्टेज नहीं रखा है, वह तो एक साल का लगान होता है। उसूल सब जगह एक ही है। एक साल का जितना लगान होता है उतना वसूल किया जाता है। अब वह चाहे जितना भी हो सकता है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : शिकमी काश्तकारों को कानून के जरिये खातेदारी अधिकार दिये गये हैं उसमें तो ऐसा प्रेस्काइब किया हुआ नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Mutation is mutation, चाहे कोई गैर–खातेदार से खातेदार बने या चाहे ट्रान्सफर से बने; म्युटेशन की तहरीर में जो भी आता हो उससे वसूल की जाती है।

श्री तेजाराम गहलोत : रूल्स में क्लियर नहीं है। फाइव पर्सेन्ट ऑफ दी लेण्ड रेवेन्यू या आठ आना फीस है और जिसको कानून के जरिये खातेदारी दी जाती है उनसे एक साल का लगान कैसे लिया जायेगा क्योंकि वह भी कानून के जरिये होते हैं; उनसे एक साल का लगान लिया जायेगा या जिस तरह से कोर्ट की आज्ञा से म्युटेशन होता है उस तरह से लिया जायेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : म्युटेशन में जो फीस ली जाती है वह तो ली जायेगी। वह चाहे कोर्ट की आज्ञा से हो या किसी तरह से हो। म्युटेशन फीस बिल्कुल वाजिब है।

श्री तेजाराम गहलोत : मेरा निवेदन यह है कि एक्ट में जो शिड्यूल है उसके अनुसार अलग अलग हैड्स दिये गये हैं; बाई रजिस्टरी जिसका म्युटेशन होगा उसकी फीस अलग है, जो सक्सेशन से होगा उसकी फीस अलग है, जो कोर्ट की आज्ञा से होगा उसकी फीस अलग है। तो मैं कहूँगा कि शिकमी काश्तकार जिसका कानून के जरिये होता है उनकी क्या फीस होगी ?

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि धारा १५ के तहत खातेदारी का हक जिनको मिलता है उनसे भी लगान लिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि म्युटेशन की फीस चार्ज की जाती है।

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि कई जगह धारा १६ के अन्तर्गत लिया जाता

(श्री रावतराम)

है और कई जगह १५ के अन्तर्गत लिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि किसी जगह किसी अफसर ने कोई गलती की हो तो आप मेरे ध्यान में लावें।

श्री रावतराम : क्या ऐसे स्पष्ट आदेश दिये जायेंगे कि अनुचित रूप से नहीं लिया जाय ?

श्री किशनाराम : चुरू जिले में ऐसा हो रहा है, क्या उसे रोकने की कोशिश की जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जायज़ तौर पर वसूल हो रहा है, रोकने का प्रश्न नहीं है ।

श्री किशनाराम : जायज़ रूप से वसूल हो रहा है या नहीं, क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री किशनाराम : आवश्यकता कैसे नहीं है, लोगों को तकलीफ हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं उत्तर दे चुका हूँ ।

श्री सूबेदारसिंह (बारी) : १२ वर्ष काश्त करने वालों को मालकाना हक मिल जाता है लेकिन जो काश्तकार ५० वर्ष से काश्त कर रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं निर्णय किया जाता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप धौलपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन धौलपुर का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

प्रश्न संख्या १९२

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

कोट बहरोड़ सड़क का निर्माण कार्य

१९३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि जयपुर से देहली वाया कोटपूतली अष्टम मार्ग निकाला जा रहा है ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि कोटा से बहरोड़ सड़क का कार्य धीमी गति से किया जा रहा है ?

(ग) इस सड़क के टुकड़े को बनवाने के लिये किस किस को कितने कितने लम्बे टुकड़े के ठेके दिये थे तथा कितने दिन में बनने का एग्रीमेंट था ?

(घ) उपरोक्त कार्य समय में न करने की वजह से क्या ठेकेदारों को किसी प्रकार का दण्ड भुगतना पड़ा है ?

(ङ) अब यह कार्य कितने समय में पूरा हो जावेगा ?

Page No.17

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस सड़क के टुकड़े निम्नलिखित ठेकेदारों को दिये:-

(१) जोन 'ए' मील १ व २ श्री सांवलराम कनोडिया मियाद ५ मास।

(२) जोन 'बी' मील ३ व ४ श्री सांवलराम कनोडिया मियाद ५ मास।

(३) जोन 'सी' ५ व ६ श्री जगमोहनलाल-५ मास।

(४) जोन 'ई' मील ६ व १० श्री जगमोहनलाल-५ मास।

(५) जोन 'एफ', मील १५ व १६ श्री जगमोहनलाल ५ मास।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यथा-संभव शीघ्र पूरा किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में रात्रि कक्षायें प्रारम्भ करने की व्यवस्था करना

१६४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में इस समय कहां २ पर विश्वविद्यालय तथा कॉलेज स्तर की रात्रि कक्षाएं चलती हैं ? कृपया सूची दें।

(ख) रात्रि-कक्षाएं चालू करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति तथा योजना है?

(ग) दिन में काम करने वाले लोगों को योग्यता बढ़ाने का उचित अवसर देने की दृष्टि से क्या सरकार जगह २ रात्रि कक्षाएं चालू करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) इस समय केवल श्रमजीवी कॉलेज, उदयपुर में रात्रि—कक्षाएं चलती हैं। यह कॉलेज विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है।

(ख) अभी सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। यदि कोई इस प्रकार का कॉलेज स्थापित करना चाहे तो सरकार को आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना कर सकता है।

(ग) अभी सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या सरकार यह महसूस करती है यदि कोई समुचित व्यवस्था नहीं होती है, तो लोग दूसरी प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ कर जैसे तैसे किसी तरह से परीक्षा पास करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जैसे तैसे कैसे पास करेंगे ?

डॉ० चन्द्रकला : बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो झूठे प्रमाण पत्र देकर परीक्षा में बैठने की व्यवस्था कर देती है। प्रलोभन

(डॉ० चन्द्रकला)

सत्र को होता है, इसलिये लोग झूठे प्रमाण पत्रों का सहारा लेते हैं। इसलिये सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि रात्रि–कक्षाएं चालू करदी जायं जिनमें दिन में काम करने वाले पढ़ सकें ? क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि दिन में काम करने वालों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाय ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): एक जगह युनिवर्सिटी ने एक्सपेरिमेन्टल बेसिस पर ऐसा किया है। उन्होंने जो इवनिंग क्लॉसेज़ चालू की हैं उसका क्या असर पड़ता है, इसको एग्जामिन कर रहे हैं। इसके बाद में व्यापक तौर पर इसको शुरू किया जाय या नहीं, उस पर विचार किया जायगा।

डॉ० चन्द्रकला : यह तो एम. ए. क्लॉसेज़ के लिये बताया गया, लेकिन दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थियों को रात्रि–कक्षाओं में पढ़ने की क्या सुविधा नहीं दी जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी इसे और व्यापक करने का इरादा नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : दूसरे प्रान्तों की सरकारें भी रात्रि–कक्षाएं चलाती हैं। इससे पढ़ने वालों को सुविधा होती है। इसलिये क्या सरकार ने रात्रि-कक्षाएं चालू करने के बारे में विचार किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दिन में काम करने वालों के लिये रात्रि–कक्षाएं कहां कहां चल रही हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है; लेकिन अभी राजस्थान में व्यापक रूप से इसका विस्तार करें, ऐसा इरादा नहीं है।

देसूरी तहसील के गांव बूसी और खोड को पाली तहसील के अधीन करना

१६५. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार पाली जिले की देसूरी तहसील के गांव बूसी और खोड को देसूरी तहसील से हटा कर पाली तहसील के अधीन रखने के प्रश्न का निर्णय कर चुकी है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों व अब निर्णय कब तक कर दिया जायगा ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी नहीं। सरकार के आदेशानुसार जनगणना, १९६१ की समाप्ति तक सीमा सम्बन्धी स्थानान्तर नहीं किये जा सकते।

श्री शंकरलाल : सीमा सम्बन्धी स्थानान्तरण का मामला कब से विचाराधीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कई मामले विचाराधीन हैं और काफी अर्से से हैं। लेकिन आप जिन गांवों के बारे में कह रहे हैं उनके बारे में पंचायत बूसी का प्रस्ताव आया था, उस पर कमिश्नर की राय पूछी गई और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी राय ली गई। इस बारे में विचार किया जा रहा था लेकिन उस समय जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का आम सर्क्यूलर निकल गया कि ऐसे मामलों पर सेन्सस समाप्त होने तक विचार नहीं किया जाय।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि कमिश्नर से लेकर पंचायत तक सब की यह

Page No.19

(श्री शंकरलाल)

राय है कि इन गांवों को तहसील देसूरी से हटा कर पाली में मिला दिया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सही नहीं है। मुख्तलिफ गांवों के लिये है।

श्री शंकरलाल : क्या इस बारे में निर्णय नहीं लिया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। जब तक सेन्सस खत्म नहीं होता तब तक नहीं लिया जायगा।

हरिजनों के घर बिजली लगाने हेतु प्रदत्त धनराशि का लाडनू नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा दुरुपयोग

१६६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि लाडनू नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री जेठमल, को सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा १,२००) रु. हरिजनों के यहां बिजली लगाने के लिये दिये गये थे :—

(ख) यदि हां, तो इन रुपयों से किस किसके घर में बिजली लगाई गई और कब कब ?

(ग) यदि इन रुपयों का दुरुपयोग हुआ है, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) लाडनू के हरिजन मोहल्लों में पानी व रोशनी की व्यवस्था हेतु १२१०) रु. अध्यक्ष, नगरपालिका, लाडनू को दिये गये थे।

(ख) समाज कल्याण विभाग द्वारा नगरपालिकाओं को किसी के घर में पानी व रोशनी की सुविधा के लिए रकम नहीं दी जाती है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन रुपयों का उपयोग हुआ है, इस प्रकार की सरकार की मान्यता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नगरपालिका को पूछा गया है। उसका जवाब नहीं आया है, इसलिये कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या नगरपालिका के लिये और विभाग के लिये यह आवश्यक नहीं था कि १२००)रु. का हिसाब लिया जाता?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनको लिखा है कि हिसाब भेजा जाय। पहले एस्टिमेट भेजा था और उन्होंने कहा था कि आधी रकम हम देंगे और आधी सरकार दे, इस लिये उनको रुपये दिये गये थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ये रुपये नगरपालिका को ३ वर्ष पहले दिये गये थे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सन् ५७ में दिये गये थे।

श्री भैरोंसिंह : सन् ५७ में दिये हुए रुपयों का हिसाब डिपार्टमेंट के पास कब आना चाहिये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : विभाग के पास हिसाब जल्दी आना चाहिये। इसके लिये लिखा गया है लेकिन नगरपालिका ने भेजा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नगरपालिका को १२००) रु० देने बाबत यह सवाल आने के बाद उससे हिसाब भेजने के लिये लिखा गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या जिनको हिसाब लेना था वे सन् ६० तक सोते रहे ? यदि ऐसा है तो क्या सम्बन्धित व्यक्तियों को सजा दी जायगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसमें सजा का सवाल नहीं है। रीज़नेबल ग्रान्ट का हिसाब बता देंगे तो सजा का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : नगरपालिका को हिसाब के लिये पूछा गया या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनको यह पूछा गया है कि हिसाब जल्दी भेजना चाहिये था, क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि १२००) रुपयों का गबन बताया गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को यह सूचना दी गई है कि इन रुपयों का दुरुपयोग किया गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उपयोग नहीं करने या दुरुपयोग करने का कोई प्रश्न नहीं है, हिसाब के बारे में पूछा गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि प्रश्न सितम्बर में पूछा गया था और अब तक समाज कल्याण विभाग हिसाब मांगने में असफल रहा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : समाज कल्याण विभाग ने लिखा है कि हिसाब भेज दीजिये। हिसाब भेज देंगे। आखिर नगरपालिका को रुपये दिये गये हैं, इन्डिविजुअल को नहीं दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या नगरपालिका द्वारा गबन करने के बारे में सरकार को किसी ने सूचना दी थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने कितनी बार पूछा, लेकिन मैंने निवेदन किया कि दुरुपयोग और गबन करने की सूचना नहीं आई। हिसाब मांगा है, आने पर पता चलेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह रकम नगरपालिका को दी गई या अध्यक्ष को दी थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने प्रश्न के उत्तर में बता दिया है कि लाडनू नगरपालिका के अध्यक्ष को रकम दी गई थी।

Page No.21

श्री भैरोंसिंह : क्या हरिजनों ने यह शिकायत की थी कि इस रकम का दुरुपयोग किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । हरिजनों ने एक बार नहीं, कई बार शिकायत की कि १२००) रुपयों का समुचित रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने पूछा था कि १२००) रुपये नगरपालिका को दिये या नहीं, हमने बताया कि नगरपालिका को दिये हैं । अब उनका हिसाब मांगा है, आने पर स्थिति स्पष्ट हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

श्री लादूराम सलाणिया (दूदू–सु०) : मंत्री महोदय को किसी बात का पता नहीं है तो समाज कल्याण विभाग के मंत्री क्यों बने हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : Next question.

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अपूर्ण पड़ी हुई सड़कों का निर्माण

१६७. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ली गई बहुत सी सड़कें अभी तक अधूरी पड़ी हुई हैं ? अगर हां, तो किस किस डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी तथा कितनी कितनी लम्बाई की ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना चालू होने से पहले उपरोक्त कार्य संपूर्ण करने का सरकार का लक्ष्य है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : I have requested for postponement of the question.

श्री अध्यक्ष : Next question.

श्री भैरवलाल कालाबादल : १६८ ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : १६७ का क्या हुआ ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : Postponement.

संगीत ट्रेनिंग स्कूल

१६८. श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा–सु०) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार द्वारा संगीत कला के कितने स्कूल कहां कहां चलाये जा रहे हैं ?

(२) किस किस संगीत स्कूल में कितने अध्यापक हैं और उनकी संगीत कला में क्या क्या योग्यतायें हैं ?

(३) संगीत कला मैट्रिक पास अध्यापकों

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

को मैट्रिक का ग्रेड क्यों नहीं दिया जाता ?

(४) क्या यह सही है कि राजकीय संगीत विद्यालय, कोटा और संगीत विद्यालय, झालावाड़ में छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए वाद्ययंत्रों और अध्यापकों की भारी कमी है ?

(५) क्या सरकार यह विचार रखती है कि प्रत्येक जिले में जिला परिषदों की देख रेख में संगीत ट्रेनिंग स्कूल चलाया जाय जिनमें मामूली संगीत के जानकारों को संगीत की ट्रेनिंग देकर स्कूलों में ट्रेन्ड अध्यापकों के द्वारा संगीत की कक्षा भी चलाई जा सके ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जयपुर, झालावाड़ तथा कोटा में।

(२) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) संगीत के मैट्रिक पास अध्यापकों को मैट्रिक का ग्रेड ही दिया जाता है।

(४) जी नहीं।

(५) सरकार का अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

(कृपया—परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामचन्द्र (डग—सु०) : भिन्न भिन्न स्कूलों में भिन्न भिन्न ग्रेड होने के क्या कारण हैं जब कि क्वालिफिकेशन बहुतों की समानता लिए हुए है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें कोटा का प्रश्न है, उसमें जो सिमिलर क्वालिफिकेशन वाले अध्यापक हैं, जिनकी ग्रेड कम है, उसकी जानकारी मैं कर लूंगा कि क्यों है।

श्री रामचन्द्र : क्या सिलेक्शन ग्रेड को मुकर्रर करते समय एकेडेमिक क्वालिफिकेशन को ज्यादा प्रिफरेन्स दिया जाता है या तजुर्बे को ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एकेडेमिक क्वालिफिकेशन को।

श्री रामचन्द्र : तो फिर जयपुर संगीत स्कूल में केवल तजुर्बे के आधार पर सबसे ऊंची ग्रेड क्यों दी गई जब कि औरों की क्वालिफिकेशन्स ज्यादा अच्छी है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ये पुराने समय से चले आ रहे हैं, उनकी तनख्वाह कम नहीं हो सकती। वैसे कुछ ऐसे अध्यापक हो सकते हैं जिनके पास डिग्री नहीं हो; लेकिन तजुर्बे के आधार पर ज्यादा क्वालिफाइड हों।

श्री भैरवलाल कालाबादल : संगीत स्कूल की देख—रेख किस विभाग के द्वारा होती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एजुकेशन डिपार्टमेंट।

श्री भैरवलाल कालाबादल : क्या इनका निरीक्षण किया जाता है ?

Page No.23

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री भैरवलाल कालाबादल : कौन करता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : स्थानीय ऑफिसर्स हैं; इन्सपेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर।

श्री भैरवलाल कालाबादल : क्या ये भी संगीत की विशेष योग्यता प्राप्त हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनमें वे बहुत से ऐसे हैं।

श्री भैरवलाल कालाबादल : अब तक उनमें से कितने ऐसे हैं जो संगीत जानते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डिपार्टमेंट में इन्सपेक्टर वगैरह की ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं हो तो उनको इन्सपेक्ट करने के लिए टीम बनाई जाती है, जैसे बहुत से एकेडेमिक मामलों की जांच करने के लिए एक्सपर्ट आदमियों की टीम बनाई जाती है और उनकी रिपोर्ट पर कार्यवाही की जाती है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : अब तक ऐसा नहीं हो रहा है। क्या आप ऐसी कोशिश करेंगे कि संगीत के जानकार ही संगीत स्कूलों की जांच करें ताकि वे स्कूल तरक्की करें और आपका रेकॉर्ड अच्छा हो ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप नहीं जा सकते।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : संगीत की व्यवस्था तीन जगहों पर ही क्यों है, क्या और जगह पर इसकी आवश्यकता नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तीन जगहों पर ही है, जितनी हमारे यहां जरूरत है, उसे ये पूरी कर देती हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या तीन जगह के स्कूल राजस्थान में संगीत, ललित कला की आवश्यकता पूरी कर देते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तीन विशेष प्रकार के स्कूल हैं; वैसे संगीत विषय हर स्कूल में अलग से पढ़ाया जाता है, जो हमारे ट्रेडीशनल स्कूल हैं उनमें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : संगीत स्कूलों को विकास विभाग को क्यों नहीं सौंप दिया जाता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वहां कौनसी गारन्टी है कि विकास विभाग में संगीत के जानकार ही हो।

श्री भैरवलाल कालाबादल : तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर वैसे ही खर्च किया जाता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सुनने और समझने की उनमें शक्ति है।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, आपके और कार्यक्रमों के बारे में और विचार होगा तो उससे लाभ उठायेंगे विशेष तौर पर।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

Page No.24

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थायें

१६६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) समाज कल्याण विभाग की ओर से कितने केन्द्र चल रहे हैं ? उनमें किस किस योग्यता के अध्यापक हैं ?

(ख) जयपुर, अलवर, सीकर जिलों में इन अध्यापकों की नियुक्ति कब व किस ग्रेड में हुई ?

(ग) वार्षिक वृद्धि (इन्क्रीमेंट) दी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दी गई ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह नहीं बताया गया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जितने केन्द्र चलाये जाते हैं, क्या उन सब की जानकारी चाहते हैं। इसमें यह नहीं बताया गया कि फलां केन्द्र की जानकारी चाहिए, इसलिए पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी। अगर सारे केन्द्रों से ताल्लुक है तो सब केन्द्रों से सूचना मंगानी पड़ेगी। ये सब बातें हैं, जिनमें समय लगेगा।

श्री रामकरणसिंह : विभाग में रेकॉर्ड नहीं रहता है, स्टेटमेंट नहीं आता है ?

श्री अध्यक्ष : आप किन किन केन्द्रों के बारे में पूछ रहे हैं ? सारे राज्य में जो केन्द्र हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री रामकरणसिंह : जो इस विभाग के अन्दर चल रहे हैं, उन सबके बारे में पूछ रहा हूँ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कितने हो सेन्टर्स हैं, इन्डस्ट्रियल सेन्टर, एडल्ट एजुकेशन सेन्टर, कसीदा सेन्टर, कितने ही दूसरे सेन्टर्स हैं।

श्री रामकरणसिंह : सब की जानकारी लेने की इच्छा थी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सब सेन्टर्स की ?

श्री रामकरणसिंह : जी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसमें समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष : उसमें समय लगेगा। आपका मकसद क्या है, प्रश्न पूछने का; आप निश्चित रूप में पूछ लीजिये।

श्री रामचन्द्र (डग—सु०): क्या जानकारी करने का प्रयत्न किया, इन संस्कार केन्द्रों में क्या हो रहा है ?

श्री रामकरणसिंह : वह तो बाद में पता लगेगा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अच्छे संस्कार पैदा किये जा रहे हैं।

श्री रामचन्द्र : आपके द्वारा इसमें अच्छे संस्कार आयेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

चुरू जिले में प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित सामग्री का सर्वेक्षण

२००. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सरकार की ओर से प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित सामग्री का सर्वे किया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो चुरू जिले में यह सर्वे कब से प्रारम्भ होगा तथा इसका कार्यालय कहां रहेगा ?

(ग) क्या यह सही है कि चुरू जिले की सुजानगढ़, सरदारशहर, तारानगर एवं अवशिष्ट अन्य तहसीलें प्राचीन इतिहास की सामग्री के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं तथा राजस्थान का प्राचीन इतिहास इस जिले के सर्वे के बिना नहीं लिखा जा सकेगा ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) चुरू जिले में भी सर्वेक्षण शीघ्र ही प्रारम्भ होगा तथा उसका कार्यालय बीकानेर में रहेगा।

(ग) सरकार इस विषय में पूर्णतया सजग है। सर्वेक्षकों को कार्य सौंप दिया गया है और वे कार्य संपादित करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या २०१

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री किशनाराम।

रतनगढ़ से सालासर तक सड़क का निर्माण

२०२. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सरकार चुरू जिले में रतनगढ़ से सालासर वाया लूंछ, सांगासर, भींचरी, भैलासर, ढाकाली, मालासी, गुडावड़ी, सोमासर होती हुई ३०—३२ मील कच्ची सड़क का निर्माण कार्य कब चालू करने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : वह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत नहीं है अतः कार्य चालू करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

उनियारा में हाई स्कूल भवन का निर्माण

२०३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि उनियारा में हाई स्कूल भवन का निर्माण हो रहा है ? अगर हां, तो कब से और क्या यह सम्पूर्ण हो चुका है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ख) क्या यह सही है कि गत सेशन में सरकार ने सदन में यह घोषणा की थी कि

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

हाई स्कूल, उनियारा के लिए चालीस हजार रुपयों की मंजूरी दे दी है? अगर हां, तो उक्त धन-राशि में से कितना खर्चा हो चुका और कितना बाकी है ?

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : एक प्रश्न और पूछना है।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां। निर्माण कार्य सन् १९५९ से चालू है और अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है। निर्माण विभाग को आशा है कि यह कार्य इस साल पूरा हो जायेगा।

(ख) इस ४०,०००) रु. की रकम में से सन् १९५९–६० तक रु० २४,९८७) खर्च हो चुके हैं और बाकी रकम इस वर्ष खर्च होने की आशा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : २०३ प्रश्न पूछा था।

श्री अध्यक्ष : उत्तर मिल गया।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अभी जो उत्तर दिया वह २०३ का था।

चौमू–जयपुर सड़क की चौड़ाई में वृद्धि एवं बाड़ी नदी पर पुल का निर्माण

२०४. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) चौमू से जयपुर सड़क पर बाड़ी नदी पर पुल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा वह पुल कब तक बन जावेगा ?

(ख) चौमू से जयपुर सड़क की चौड़ाई क्या है और क्या उसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जयपुर–चौमू रोड अब राष्ट्रीय राज मार्ग (नेशनल हाईवे) नं० ११ घोषित कर दिया गया है। अतः राष्ट्रीय राज मार्ग के समकक्ष एस्टीमेट बनाये जा रहे हैं। वर्तमान में इस कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है। एस्टीमेट बनने पर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रशासनिक तथा आर्थिक स्वीकृति को निवेदन किया जावेगा। उक्त स्वीकृति के अभाव में समय के बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(ख) मील ६ से ९ तक १६ फीट।

मील १० से २२ तक १० फीट।

जी हां। मील १० से आगे इसको अब १० से १२ फीट चौड़ा करने के लिए एस्टीमेट बनाये जा रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या यह एक एक फीट दोनों ओर बढ़ाते हैं, इससे सरकार को अधिक फायदा होता है ? यह सड़क ऑलरेडी संकड़ी है, इसको बढ़ाते समय नौ–नौ इन्च दोनों ओर बढ़ाते हैं, इससे सरकार को फायदा होता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझा नहीं आपका प्रश्न, फायदा किससे ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क है वह आठ फीट चौड़ी है, उस पर ट्रेफिक पूरा आता नहीं है। इसलिये जनता चिल्लाती है। फिर आॅर्डर होता है कि नौ–नौ इन्च दोनों ओर और बढ़ा दी जाय।

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब है कि दो दो इंच और बढ़ाई जाय ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : दो दो इंच और बढ़ाई जाय।

श्री हरिश्चन्द्र : १० फीट से १२ फीट चौड़ी की जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह सड़क कौन से नेशनल हाइवे पर है ?

श्री हरिश्चन्द्र : नम्बर ११।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहां से कहां तक की है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह मेरे पास सूचना नहीं है और न यह प्रश्न है।

श्री लादूराम सुलाणिया : नेशनल हाइवे किस आधार पर बताई ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने पूछा यह है कि नहीं: जयपुर–चौमू सड़क ? जयपुर बीकानेर में कौन कौन से स्थान आते हैं, यह सूचना नही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो स्टेट के अन्दर सड़क होती है वह नेशनल हाइवे में नहीं होती है, वह प्रोविन्शियल सड़क होती है।

श्री हरिश्चन्द्र : नेशनल हाईवे आगरे से बीकानेर जाती है।

श्री लादूराम सुलाणिया : इसके 'क' भाग के उत्तर में पुल के बारे में नहीं बताया ?

श्री अध्यक्ष : किसके बारे में ?

श्री लादूराम सुलाणिया : पुल के बारे में ?

श्री हरिश्चन्द्र : पुल के बारे में ?

श्री अध्यक्ष : 'क' भाग में है।

श्री हरिश्चन्द्र : बांडी नदी के ऊपर पुल तो है, जो नेशनल हाईवे डिक्लेअर हो गया है, इसके लिये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रान्सपोर्ट को लिख दिया गया है। वहां से स्वीकृति आ जायगी तो फिर पुल बनाया जायगा।

श्री लादूराम सुलाणिया : ऐसा निश्चय किया है क्या कि यह ६१ में बन जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस साल में नहीं।

श्री लादूराम सुलाणियां : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय बताते हैं कि नेशनल हाईवे बनेगा, पुल के लिये मंजूरी ली जायगी

Page No.28

(श्री लादूराम मुलाखिया)

तो नेशनल हाइवे १० साल में बनेगा, तब तक यह पुल नहीं बनेगा क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पृथ्वीराज ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, १७७ का उत्तर दिया जाना चाहिये ।

जयपुर–गंगापुर रोड पर स्थित सीतोड़ के नाले पर पुल निर्माण

१७७. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर–सु०) [डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जयपुर से गंगापुर रोड पर जो सीतोड़ का नाला पड़ता है, उसमें ७ अगस्त, १९६० से ता: २३–८–६० तक पानी के कारण यातायात बन्द पड़ा रहा ?

(२) क्या सरकार इस प्रकार के यातायात की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उस जगह पर पुल बनवाने का इरादा करती है ? अगर हां, तो कब तक बंध सकेगा और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पुल के निर्माण के लिए कोई धनराशि स्वीकृत नहीं है तथा वर्तमान में भी अर्थाभाव के कारण इस पुल के निर्माण का विचार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री अनूपसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): माननीय अध्यक्ष, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेन्ट है, मन्त्री महोदय इसका उत्तर दे दें तो उचित रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : Question No. 187.

पंचायतों को राजस्व का कुछ प्रतिशत दिया जाना

१८७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) [श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार पंचायतों की आर्थिक सहायता करने हेतु राजस्व वसूली के अधिकार पंचायतों को देने के अलावा राजस्व का कुछ प्रतिशत देने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार कब व क्या कदम उठाने जा रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : आर्थिक सहायता देने हेतु २० नं०

(श्री दामोदरलाल व्यास]

पै० प्रति व्यक्ति के हिसाब से पंचायत को सहायता दी जा रही है।

पंचायत समितियों द्वारा भू–राजस्व की वसूली का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : यह सभी पंचायतों पर लागू होगा या केवल वहीं होगा जहां कि निर्विरोध चुनाव हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी तो जो चुनी हुई पंचायत समितियां हैं जिनका क्राइटेरिया वर्क आउट किया जा रहा है, उन्हीं को दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : उस क्राइटेरिया में कितनी पंचायतें शामिल हो जायेंगी, क्या इस बात पर भी सरकार ने विचार किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी तो वह क्राइटेरिया वर्क आउट किया जा रहा है। आपने सुझाव दिया है कि यूनेनिमसली इलेक्टेड को अधिकार दिये जाने का, वह भी क्राइटेरिया फिक्स, अप करने में एक पोइन्ट हो सकता है, this is one of the factors on which the Government is taking decision.

श्री भैरोंसिंह : यह क्राइटेरिया कब तक फिक्स–अप कर लिया जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : हम उत्सुक हैं कि जल्दी से जल्दी फिक्स–अप कर लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या अगले वर्ष पंचायतों को लगान वसूल करने का अधिकार हो जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझता हूँ हो जाना चाहिए, इच्छा भी यही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस क्राइटेरिया को रेवेन्यू डिपार्टमेंट एग्ज़ामिन कर रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दोनों आपस में परामर्श करके निर्णय लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या जो निर्विरोध चुनी हुई हैं उन्हीं को यह अधिकार दिया जावेगा, इस पोइन्ट पर विचार किया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह भी फैक्टर है जिस पर विचार किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने आश्वासन दिया था कि ८० प्रतिशत जिनका निर्विरोध इलेक्शन होगा, उनको रेवेन्यू कलेक्शन के पॉवर्स दिये जायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, ऐसा आश्वासन नहीं दिया। स्पेशल ग्रान्ट देने का निर्णय किया था। यह जरूर विचार किया जा रहा है कि ऐसी पंचायतें हैं जिनमें यूनेनिमस इलेक्शन हुए हैं, यह भी एक फैक्टर है जिस पर विचार किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या पंचायत समितियों के स्तर पर ये अधिकार दिये जायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पंचायत

(श्री दामोदरलाल व्यास)

समितियों के स्तर पर अधिकार दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री अनूपसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

(१२.०४ म० प०)

कार्य-सलाहकार समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): माननीय अध्यक्ष, मैं कार्य सलाहकार समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

(१२.५ म. प.)

स्थगन-प्रस्ताव सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इस पर पेश किया है कि....

श्री अध्यक्ष : उस पर निर्णय ले लिया गया है, आपके पास सूचना आज पहुँच जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास : उत्तर समय में मिलना चाहिये कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठ जायं। मैंने कह दिया है कि निर्णय ले लिया गया है, आपके पास सूचना पहुंच जायगी।

(श्री मुरलीधर व्यास के पुनः खड़े होने पर)

Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह जानना चाहता हूँ....

(विराम)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !! आप अपनी जानकारी के लिये सदन का समय नहीं लें। ऑर्डर प्लीज़ !

श्री मुरलीधर व्यास : मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि....

Page No.31

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर !! आप सदन का समय नहीं लें ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इतना जानना चाहता हूँ कि....

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें । Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : मैं स्थान तो ग्रहण कर लूंगा, पर मैंने समय पर सूचना दी, मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है....

श्री अध्यक्ष : आपका कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर इस स्टेज पर नहीं हो सकता । आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें ।

(स्थान ग्रहण नहीं करने पर)

ऑर्डर प्लीज़ ! माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं, सदन का समय न लें ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह तो जानना चाहूँगा कि खामी क्या रही....

श्री अध्यक्ष : आपको बता दिया जायगा, आप कृपया बैठ जायं ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं बैठने को तैयार हूँ, पर इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव का जब कि मन्त्री महोदय को सूचना दे दी जाती है, पत्रकार को पीटा जाता है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! आप बैठ जायं ।

श्री मुरलीधर व्यास : ....मतलब क्या था ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायं । ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री मुरलीधर व्यास : मेरी गलती हो तो आप कह दें, आपकी गलती है....

श्री अध्यक्ष : मेरी गलती है तो इस तरह बात को नहीं उठा सकते, सदन के समय को इस तरह से नहीं ले सकते, इसके लिये वैधानिक तरीके हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : वैधानिक तरीके से सारी कार्यवाही हुई है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! मैं फिर निवेदन करता हूँ कि माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : प्रस्ताव को पब्लिक इम्पोर्टेन्स का, महत्व का नहीं माना है इसलिये अनुमति नहीं दी है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह जानना चाहता हूँ....

श्री अध्यक्ष : आप सदन का समय इस तरह नहीं ले सकते, हर समय उठ कर इस तरह से हठ करते हैं, यह जानने का तरीका नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने व्यवस्था दी है उसको मानने को तैयार हूँ, पर मैं यह जानना चाहता हूँ....

Page No.32

श्री अध्यक्ष : आप व्यवस्था मान कहां रहे हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : एक पत्रकार को पीटा जाय और इस तरह....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! मैं फिर कहता हूँ कि माननीय सदस्य बैठ जायं, वर्ना मुझे सार्जेन्ट–एट–आर्म्स को आदेश देना होगा....

श्री मुरलीधर व्यास : डेमोक्रेसी का इस प्रकार लगातार गला घोंटा जाय और जवाब तक नहीं दिया जाय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! आप बैठ जायं। मैं सार्जेन्ट–एट आर्म्स को आज्ञा देता हूँ कि माननीय सदस्य को बाहर ले जायं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह गलत सिद्धान्त है....आप इस तरह करते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया सदन छोड़ कर चले जायं।

श्री मुरलीधर व्यास : हमेशा इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !....

(सार्जेन्ट–एट–आर्म्स द्वारा कुछ प्रयास के पश्चात् श्री मुरलीधर व्यास सदन से निष्कासित किये गये)

श्री लादूराम सुलाणिया !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य बार बार इस तरह सदन का समय लेते हैं, अतः माननीय सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करें। इस सैशन से कम से कम माननीय सदस्य को डिबार कर देना चाहिये। हमेशा जिद् करते हैं, चेअर का कभी ऑर्डर नहीं मानते।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आप क्या बोल रहे हैं, क्या आपका कोई प्रस्ताव है या पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर तो नहीं है....?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर !! श्री लादूराम सुलाणिया ।

१२.८ म० प०

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर सामान्य वाद–विवाद

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहा था तो उस दिन टाइम समाप्त हो गया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया संक्षेप में कहें।

Page No.33

श्री लादूराम सुलाणिया : राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में २४ क्लॉज़ के अन्दर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की स्थिति संतोषजनक बताई इसके सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि उनकी स्थिति जैसी कि राज्यपाल महोदय ने बताई, कि संतोषजनक है, वह स्थिति संतोषजनक नहीं है। उनकी स्थिति ऐसी है कि हमारे भारत के आने वाले इतिहास में ऐसी घटनाओं को अंकित किया जायगा और उससे हमारे राज्य की जो दुर्दशा है, उसको महसूस करते हुए वे लोग पिसते जा रहे हैं, उनकी इस प्रकार की स्थिति को किसी भी सूरत में संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।

माननीय अध्यक्षजी, मैं एक घटना पर निवेदन करूंगा और वह यह है कि हमारी राज्य सरकार जब यह कहती है कि किसी भी व्यक्ति को ऊंचा और नीचा नहीं समझा जा सकता और इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को इन्सानियत के नाते से नीच नहीं कहा सकता है और उसके मानसिक अधिकार नहीं छीन सकते हैं तो मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहूँगा कि राजस्थान में १॥। करोड़ जनता है उसमें ५० प्रतिशत हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों के लोग हैं जिनको हरिजन कह कर पुकारा जाता है और उन पर तरह तरह से अन्याय और अत्याचार होते हैं। इसके लिये सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये सदन में प्रश्न भी पुट–अप किये जाते रहे हैं और चर्चायें भी होती हैं, मगर इतना होते हुए भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता है और जुल्म करने वालों को सरकार किसी प्रकार का दंड नहीं देती है। यह एक सबसे बड़े अफसोस की बात है। पिछले वर्ष की बात मैं आपको अर्ज करूं कि हमारे यहां राजस्थान में अजमेर में केकड़ी तहसील है जहां से हमारे वित्त मंत्री आये हैं। वहां पर एक जाल्या गांव है। वहां पर एक महापंडित रहते हैं। हिन्दू धर्म के कट्टर अनुयायी जो हरिजनों के प्रति इतना कठोर व्यवहार करते हैं और उनके हकूकों पर कुठाराघात करते हैं कि जिससे आम हरिजनों में असंतोष है। उन्होंने एक पर्चा हरिजनों के खिलाफ निकलवाया जो भारत प्रिंटिंग प्रेस, केकड़ी का छपा हुआ है। जिसमें लिखा है:–

"समस्त चोखला की एक मीटिंग हुई जी में आ तय हुई कि रेगर चमार ज्यो आपणों काम करे है ज्यो तो आपां में है और जो आपणों काम नहीं करे, ज्यां का बारा में ५०० आदमी मेला होवा या तय करी है कि यां को सब–आवण जावण, लेण-देण, काम काज, सीर व हाली, गुवाल, राख बो तक बन्द है; यों सू बोलबो तक नहीं और अपना पर्चा को जमीन में याने आवा भी न देसी। जो भाई अब ईनो तोड़सी उन हिन्दू ना गाय माता की व मुसलमान ने सुवर की सौगन्ध लागसी। मिति जेठ सुदी ७ सं० २०१६। भंवरलाल शर्मा जाल्या।"

इस प्रकार से नोटिस प्रकाशित कर सारे राजस्थान में बांटे और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि गांव गांव में लोगों ने पंचायतें कीं और उन हरिजनों के साथ ज्यादतियें की गईं। उनसे जबर्दस्ती काम कराया और जो नहीं करे तो उसके साथ अत्याचार हुआ। यह मालपुरा, केकड़ी तहसीलों में अत्याचार हुआ और बहुत से

(श्री लादूराम सुलाणिया)

लोग इस अत्याचार से व्याकुल हुए। लोगों ने उनको कुओं पर से पानी नहीं पीने दिया और ये लोग प्यास के मारे बहुत परेशान हुए। इसके लिये सरकार से प्रार्थना की गई कि पानी कुओं से नहीं लेने दिया जा रहा है मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार यहां कहती रही, अभी कार्यवाही करते हैं, अभी करते हैं; मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई और लोग बहुत परेशान हुए। एक महीने में इतने परेशान हुए कि उसके लिये यदि कोई कमेटी बना कर उसकी तहकीकात कराई जावे तो मालूम होगा कि उनको करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। इसके लिये दिल्ली तक प्रार्थनापत्र दिये गये और राजस्थान विधान सभाइयों को और माननीय मंत्रियों को उसकी कॉपी भेजी; मगर आज तक भंवरलाल जाल्या वाले के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। अफसोस तो इस बात का है कि एक तरफ तो हमारी सरकार यह कहती है कि सबको बराबरी के अधिकार हैं और इसके लिये ढोल पीटती है और दूसरी तरफ उन पर जुल्म करने वालों के प्रति किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेती है, यह दुर्भाग्य है राजस्थान के हरिजनों का।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह भी बताना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान में इस प्रकार के हजारों केसेज़ हैं, एक केस नहीं है। अगर उनकी फाइलें इकट्ठी की जावे तो एसेम्बली हॉल भर सकता है। ऐसी हालत में मैं यही कहूँगा कि सरकार गहरी निद्रा में सो रही है और उनकी जांच नहीं करा रही है। गनडियन गांव और ग्राम अलियावाड़ा हैं। वे जयपुर जिले में हैं और दौसा तहसील में पड़ते हैं। वहां के कुछ मीणे लोगों ने जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं और जो सब प्रकार का फायदा सरकार से उठाते हैं, लेकिन वे हरिजनों के साथ समानता का व्यवहार करने को तैयार नहीं हैं और हिन्दू धर्म के सबसे बड़े बने रहना चाहते हैं और हरिजनों को इस प्रकार मारते हैं जिसकी शिकायतें अखिल भारतीय बैरवा महासभा, दिल्ली ने की और उसकी कॉपियें यहां पर भेजीं और सरकार के पास भेज कर निवेदन किया कि जुल्म करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाया जाना चाहिये और कम से कम २५ गांवों के लोगों ने अत्याचार किये उसके लिये जांच कराई जावे। मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी तक कोई उसकी जांच नहीं हुई है। सरकार जांच करती नहीं है। सरकार यह नहीं चाहती है कि समानता के अधिकार हरिजन ले लें। मैं स्पष्ट रूप से यह कहूँगा कि सरकार का यह कहना कि सब को समान अधिकार होने चाहिये, यह केवल ढोंग मात्र ही है।

हरिजनों के नाम पर सेन्टर से करोड़ों रुपया लेकर उनका दुरूपयोग किया जाता है, रुपयों का गबन किया जाता है और हरिजनों के नाम पर संस्थाएं खोल रखी हैं, जिनको एजेन्सीज़ कहते हैं। उनसे हरिजनों को फायदा नहीं होता, लेकिन सवर्ण लोग पलते हैं। वे लोग पलते हैं जो उनके उत्तराधिकारी हैं या उनको यह कहना चाहिये कि जो उनके अर्दली हैं अर्दली। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप से यह निवेदन करूंगा कि हरिजनों के नाम से खुली हुई एजेन्सीज़ किस प्रकार काम करती हैं; जैसे हरिजन सेवक संघ,

(श्री लादूराम सुलाणियां)

दलित वर्ग संघ आदि हैं, जिनके द्वारा लाखों रुपयों का दुरुपयोग होता है और उनकी कोई जांच तक नहीं होती है। मैंने पिछले अधिवेशन में बताया था कि हमारे यहां बम्बई से आने वाले एसेम्बली के एक सदस्य को हमारे यहां के हरिजन संघ के अध्यक्ष ने पानी पिलाने से मना कर दिया। क्या सरकार ने उसकी जांच की। वह हरिजन बम्बई एसेम्बली के सदस्य थे? हरिजन सेवक संघ में गये और कहा कि मुझे प्यास लगी है। वहां के अध्यक्ष कहते हैं कांच का गिलास नहीं है। मैं यह कहूँगा कि वहां पर पीतल का ग्लास तो पड़ा हुआ था। मगर पीतल के ग्लास से वे उनको पानी कैसे पिलाते? क्या हरिजनों के पैसे का यह सदुपयोग हो रहा है? क्या हरिजनों के पैसों से पलनेवाले लोग हरिजनों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करें? इस प्रकार हमारी बिल्ली और हमसे ही म्याउ म्याउ करें! यह इन्सानियत है?

एक माननीय सदस्य : जनसंघ में क्या है?

श्री लादूराम सुलाणियां : यह बात जनसंघ में नहीं है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में हजारों होती हैं। इस प्रकार की स्थिति कब तक चलती रहेगी समझ में नहीं आता।

अब रहा सवाल सुरक्षित स्थानों का। हरिजनों के लिये विधान सभा में कोटा निश्चित है। पंचायतों में पूरा कोटा नहीं। न्याय पंचायतों में तो हरिजन को घटका गये। न्याय पंचायतों में कोई हरिजन की जरूरत नहीं, वहां पर हरिजन का क्या काम है? यह कहा जाता है कि हरिजनों से बेगार नहीं ले सकते। पंचायत समिति में भी रिज़र्वेशन इसलिये होता है कि पुरानी प्रथा के अनुसार उसको लिया जाता है और यह काम करता रहता है। अगर पूरा कोटा एक पंचायत में देते हैं तो १२ सदस्यों की एक पंचायत होती है। जनसंख्या के अनुपात से ६ सदस्य हरिजनों के आने चाहिये, क्योंकि ५० प्रतिशत लोग हरिजनों में आते हैं। ६ दूसरे पब्लिक के आवें और उसके बाद हरिजनों के लिये अलग रिज़र्व सीट होनी चाहिये; तो हम मान सकते हैं कि हमारे लिए रिज़र्वेशन है। इस प्रकार का एक झूठा सन्तोष दिया जाता है, झूठा लडडू। इस प्रकार कहा जाता है कि आधा लड्डू खालो जब कि पांच लड्डू आते हैं; पेट भर जायगा, बाकी लड्डू दूसरे हजम कर जाते हैं। उस आधे लड्डू से पेट भरने वाला नहीं है। कहा जाता है कि जनतन्त्र है, जनता का शासन है, सब को समान अधिकार है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हरिजन हैं, मनुष्य हैं और इन्सानियत से रहना चाहते हैं उनके जो अधिकार हैं उनको भी मिले, पिछड़े हुए हैं उनको अधिक मिले तो हम कह सकते हैं कि हरिजनों की स्थिति सुधर सकती है। मैं आपसे निवेदन करूं कि लोग आते हैं, हमारी सरकार लाती है, टिकट देती है। किनको देती है टिकट? जो गूंगे और बहरे पहलवान हैं। अच्छे हृष्ट-पुष्ट, हट्टे-कट्टों को नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य

Page No.36

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मन्त्री) : सरकार किसी को टिकट नहीं देती है।

श्री लादूराम सुलाणिया : अच्छों को टिकट नहीं देती। उनको टिकट देती है, जो हमारे पीछे बैठे रहें, जिनको बोलने का अधिकार नहीं और बोलेंगे तो अनुशासन की कार्यवाही होगी।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी (चांदीकुई) : हमारी बैंचेज़ पर अच्छे हरिजन मेम्बर्स हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : उनकी कद्र नहीं है।

हरिजनों की स्थिति को सुधारने के लिए अच्छा कदम उठाना चाहते हैं तो उठायें, नहीं तो इस प्रकार का ढांचा और मनमानी हर वक्त चलती रहेगी, वह आगे चलने वाली नहीं है। सरकार हर वक्त यह दुहाई देती है कि हरिजनों के बच्चों के लिए छात्रावास खोल रहे हैं और उनको पढ़ा–लिखा कर आगे लावेंगे। पिछले दिनों सदन में शिड्युल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। इधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी उस पर अपने अपने विचार बताये थे और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी अपने अपने विचार बताये थे। एक माननीय सदस्य ने बहस के दौरान में बताया कि मैं एक मंदिर में गया तो मेरी जात पूछी गयी और जब मैंने जात बतायी तो मुझे मंदिर में जाने नहीं दिया। मेरे साथ मेरी स्त्री भी थी जो अच्छे कपड़े पहिने हुई थी। इन्सानियत के नाम पर इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। यदि कोई ब्राह्मण टट्टी में लिपटा हुआ हो तब भी उसको कहा जायगा आइये ब्राह्मणजी। लेकिन यदि कहीं हरिजन हुआ और चाहे वह कितने ही अच्छे कपड़े पहिने हुए हो, चाहे वह कितना अच्छा, स्वस्थ और हृष्ट–पुष्ट और स्वच्छ हो लेकिन उससे नफरत करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी बिरादरी के लोग मंत्रि–मंडल में शरीक रहते हैं, लेकिन उनकी छाछ नहीं पीते हैं मीणे लोग। मुझे अफसोस है कि लोग कहते क्या हैं और करते क्या हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : भैंसे खुद पालते हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : इस प्रकार का जुल्म....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्षजी, अभी तो मेरा बहुत टाइम है।

श्री अध्यक्ष : चार-पांच मिनट और हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : १५ मिनट।

श्री अध्यक्ष : काफी बोल चुके हैं और समय हो चुका है, केवल चार–पांच मिनट और।

श्री लादूराम सुलाणिया : आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिये कि अभी तो कम ही बोला हूँ।

श्री अध्यक्ष : देख कर ही निवेदन किया है।

श्री लादूराम सुलाणिया : तो माननीय

Page No.37

(श्री लादूराम सुलाणिया)

अध्यक्षजी, मैं निवेदन करूंगा कि हरिजनों पर इस प्रकार के जुल्म और अत्याचार होते हैं, जब तक कोई ठोस रूप से कानून का अमल नहीं होगा, हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार रुकेंगे नहीं और हरिजनों की स्थिति सुधरेगी भी नहीं।

समाज कल्याण विभाग की छोटी सी स्थिति पिछले सेशन में भी आयी थी। मकान के लिए सहायता उन घरहीन लोगों को नहीं दी जाती है। उन लोगों को वह सहायता न देकर उनको दी जाती है जिनके दो, दो–तीन, तीन मकान होते हैं, जिनके पास मिनिस्टरों की सिफारिशें होती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उन लोगों को जिनके पास मकान हैं उनको यह सहायता न दी जाकर उन लोगों को दी जानी चाहिये जिनके पास घर नहीं हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनकी स्थिति कमजोर है। इसके विपरीत इस प्रकार से एक तरफा नीति बरतना राज्य के लिए हितकारी नहीं हो सकती है। दूसरे लोगों के लिए तो बहुत लड़ने वाले हैं लेकिन हरिजनों के लिए नहीं हैं। जो सरकार की एक तरफा नीति है वह हरिजनों के लिए इतनी घातक है कि हरिजनों में उबाल आ रहा है, जैसे दूध उबलता है तो अग्नि को बुझा देता है। तो हरिजनों का उबाल भी उग्र होने वाला है और उन हरिजनों को इस नीति के विरोध में आन्दोलन करना पड़ेगा और वह इतना भयंकर होगा कि सरकार उसको कन्ट्रोल नहीं कर सकेगी, राजस्थान में एक बड़ा भयंकर तूफान आ जावेगा।

माननीय अध्यक्षजी, राज्यपाल महोदय ने सहकारिता के लिए विचार बताये। उनसे सहकारिता कैसे पनप सकती है ? आज आपको सहकारिता में भी भेद–भाव मिलेगा। सहकारिता पंडित और बड़े लोगों के लिए है। उनके लिए कोई रोक नहीं है। उनको रुपया मिलेगा ठनाठन, उनके कागज़ नहीं रुकेंगे। सब्सिडी और ग्रान्ट मिलेगी और उनका काम नहीं रुकेगा। लेकिन अगर कोई चर्म उद्योग सोसाइटी है तो फिर देखो उसकी स्थिति ! राजस्थान में कितने ही चर्म उद्योग और चर्म सोसाइटीज़ खुली हैं। अगर मन्त्री महोदय कुछ का निरीक्षण करके देखें कि उनकी क्या हालत है, तो संतोष नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर जयपुर जिले में तहसील आमेर है। बरवाड़ा चर्म उद्योग सोसाइटी बनी और हरिजनों को प्रस्ताव किया गया कि बहुत शीघ्र अच्छा चमड़ा पकाने का काम शुरू करें। उन लोगों ने अपने घर-बार फूंक दिये। उनको कहा गया कि २० हजार रुपया बाहर से लाये हैं। चिट्ठियां लिखी हैं, १८ हजार रुपये मिलेगा। आज उनको वह रुपया मिलता है। उसको बाण नदी पर लगा दिया और वे लोग आज भीख मांगते–फिरते हैं। उनके बच्चों को रोटी मिलना दुर्लभ हो गया है। क्या इस प्रकार के भेदभाव से सहकारी समितियां पनप सकती हैं ? कभी नहीं पनप सकतीं। मैं निवेदन करूंगा, ऐसी स्थिति में जिस प्रकार एक बाप के पांच बेटे हैं। उनमें से यदि एक बेटा दुर्बल है, कमजोर है तो उसको दूसरों के समान बनाने के लिए, उसको बराबर खुराक दे, कपड़ा दे। तो इस तरह से, हरिजनों के साथ बर्ताव किया गया तो हो सकता है राजस्थान में हरिजनों का भाग्य उदय हो जाय, उनका राजस्थान में भविष्य उज्जवल हो सके। जिस प्रकार से

(श्री लादूराम सुलाणिया)

पंचायती राज्य की स्थापना सबसे पहले राजस्थान में हुई और चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि अगर उन्होंने इस ओर ज्यादा ध्यान दिया तो हरिजनों की स्थिति सुधर सकती है और उनको इसका श्रेय भी मिल सकता है। लेकिन अब आपके द्वारा अध्यक्षजी निवेदन करूंगा कि विशेष टाइम भी नहीं है। सुबह का चला शाम तक आदमी अपनी मंजिल पर पहुँच सकता है, लेकिन १२ बजे का चला नहीं पहुँच सकता। एक वर्ष में हरिजनों की राजस्थान में कितनी तरक्की करा सकते हैं ? यह तब ही हो सकता है जब हरिजनों के लिए विचार सामने आवें। हमने कई बार निवेदन किया कि जितने छात्रावास और कॉलेजेज हरिजनों के लिए चलते हैं वे तोड़ दिये जांय और दूसरे बच्चों के साथ ही विद्या अध्ययन कराया जाय। लेकिन सरकार की नीति यह है कि हरिजनों के बच्चे अलग ही रहें। जैसी पुरानी प्रथा रही है कि वे लोग गांव के बाहर ही रहें। इस प्रकार से उनको पढ़ाने के लिए भी अलग से छात्रावास हैं। आज नहीं, कल इसका इतिहास साक्षी देगा कि छूआछूत मिटाने के लिए सरकार ने प्रयास किया था, लेकिन यह थोड़े ही कहा था कि समान बन जाओ। इसलिए उनको अलग पढ़ाया जाय।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

पांच मिनट और अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष : समय पूरा हो गया।

श्री लादूराम सुलाणियां दो मिनट और।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि फिर उनके लिए दफ्तर भी अलग ही खोले जांय कि हरिजन, हरिजन बाबू इस दफ्तर में काम करें। चूंकि वे पढ़ते अलग अलग हैं इसलिए उनको काम भी अलग दिया जाय कि हरिजन-हरिजन उस दफ्तर में जाकर काम करें।

यह प्रणाली राजस्थान की प्रणाली है। करों का रुपया छोटे व्यक्तियों से लें और उसको खर्च करने का काम मोटे पेट वालों को सौंप दें यानी जलेबी की थाली सौंप दी जाय बिल्ली को, उसी तरह का यह हाल है।

(समय–समाप्ति –सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका कड़ा विरोध करता हुआ निवेदन करूंगा कि जो स्थिति राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बतायी है वह सन्तोषजनक नहीं है, बहुत ही दुखपूर्ण है इसलिये; इस पर विचार किया जाय, ऐसी मेरी आशा है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करते हुए मैं भी बहुत थोड़े में अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने इस अभिभाषण में दूसरी योजना की उपलब्धियों पर सन्तोष प्रकट करते हुए तृतीय योजना के लक्ष्यों की ओर संकेत किया है। जब हम इस अभिभाषण को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे

(श्री लादूराम सुलाखिया)

सारे निष्कर्ष परिमाणात्मक ज्यादा है गुणात्मक कम। हमने अपनी सफलताओं को अंकों और आंकड़ों से आंकने का प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि अपने किये हुये कामों तथा आगे लिये जाने वाले कार्यक्रमों को गिना देना किस मद में किस योजना में कितनी राशि खर्च हुई है केवल उस राशि को बता देना ही हमारी सफलता की सच्ची कसौटी नहीं मानी जा सकती। हमको देखना होगा कि हमें उससे जन साधारण की रोजमर्रा की समस्याओं के हल करने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं यहां उस अत्यधिक हिसाबी प्रोफेसर की कहानी सुनाऊं जो नदी की गहराई को अपने औसत के सवाल से आंक कर पार करने की कल्पना करता है तो सदन को अवश्य ही हंसी आयगी। हमारी सरकार अपनी सफलताओं को अंकों और आंकड़ों से आंकने का प्रयास करती है। मैं कहना चाहती हूँ इस प्रकार के आंकड़ों की भूलभूलैया सचिवालय की फाइल की शोभा जरूर हो सकती है जन-साधारण की वास्तविक समस्याओं का हल केवल आंकड़ों से नहीं हो सकता। उसे तो पेट भरने के लिये रोटी चाहिये, तन ढकने को कपड़ा चाहिये, जीवन विकास के लिये शिक्षा चाहिये। अस्तु, हमें देखना यह होगा कि हम जनता की इन समस्याओं को हल करने में कितने सफल हुए हैं?

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में अन्नोत्पादन की समस्या का जिक्र करते हुए कहा है कि हमने अतिरिक्त अन्नोत्पादन किया है, ८ लाख टन से बढ़ कर वह १२ लाख टन तक हो चुका है। इसमें शक नहीं कि जितने प्रयत्न इस ओर किये गये हैं उससे उत्पादन बढ़ा होगा लेकिन दूसरी तरफ जब हम बढ़ी हुई महंगाई की ओर ध्यान देते हैं तो समझ में नहीं आता, आखिर गलती कहां पर है। उत्पादन की जब वृद्धि हुई है तो मंहगाई में कमी होनी चाहिये लेकिन वह तो निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महंगाई के बारे में बहुत से माननीय सदस्य कह चुके हैं मैं उन बातों को यहां दोहराना नहीं चाहती। लेकिन मैं एक बात अवश्य निवेदन करना चाहूँगी कि जिस प्रकार से मध्यस्थता खत्म करके हमने अन्य उत्पादन बढ़ाने की शिक्षा में प्रगति की है उसी तरह से वितरण में अभी भी जो मध्यस्थता कायम है वह भी हमें खत्म करनी पड़ेगी। आज हमारे अन्न का वितरण जिन लोगों के हाथों में है उनको केवल अपने मुनाफे का ध्यान रहता है। न उनको किसानों का ध्यान रहता है और न उपभोक्ताओं का ही ध्यान रहता है। सन्तोष प्रगट किया जा सकता है जब कि इस बारे में जल्दी ही एक विधेयक सदन में लाया जायगा और जिसके द्वारा वितरण की मध्यस्थता है उसको समाप्त किया जा सकेगा। हम जब तक वितरण की समस्या को हल नहीं कर लेते अधिक उत्पादन होने पर भी हम महंगाई के सवाल को हल करने में सफल नहीं हो सकते।

कपड़े के उत्पादन का जहां तक सवाल है उसमें बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन में सफलता कम रही है; इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन खादी और ग्रामोद्योगों का जहां तक सवाल है उस पर जो सन्तोष प्रगट किया गया है उस बारे में मेरा कहना है कि छोटे

(श्री लादूराम सुलाणिया)

उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। खादी उत्पादन के सम्बन्ध में जो गर्व प्रगट किया गया है उसके लिये मैं सरकार से इतना ही कहना चाहती हूँ कि तीन और कभी कभी पांच आने का जो रिबेट दिया जाता है वह थोड़े दिन के लिये बन्द कर दे तो सही स्थिति हमको मालूम हो जायगी। खादी और ग्रामोद्योगों का जहां तक सवाल है इसमें सहकारिता को प्रोत्साहन देकर इसके उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाना होगा।

शिक्षा के विषय में भी बहुत सुन्दर आंकड़े दिये गये हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा शिक्षा मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी शिक्षा का केवल यही उद्देश्य है कि हमने इतने प्राइमरी स्कूल खोल दिये, इतने मिडल स्कूल बना दिये, हाई स्कूल बना दिये या कॉलेज बना दिये ? मैं सोचती हूँ, शिक्षा मंत्री महोदय भी कहेंगे, 'नहीं'। हमारी शिक्षा का उद्देश्य है जीवन का समुचित विकास और व्यक्ति की सर्वांगीण उन्नति। अच्छा होता यदि हमारी सरकार इस ओर ध्यान देती। जहां तक मैं देखती हूँ, हमारी शिक्षा का आज के जीवन के साथ किसी प्रकार का समन्वय नहीं है। हमारे बहुत सारे कार्यालय खाली पड़े हैं, बहुत सारी योजनायें योग्य व्यक्तियों के अभाव के कारण अधूरी पड़ी हुई हैं, हमारे अस्पताल खाली पड़े हैं, डिस्पेन्सरियां खाली पड़ी है और दूसरी ओर सैकड़ों व्यक्ति काम न मिलने की वजह से काम की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि आज की शिक्षा का हमारे जीवन के साथ समन्वय नहीं है। हमारे लिये यह कोई आवश्यक नहीं कि हम एक ही प्रकार की शिक्षा देकर शिक्षित युवक तैयार करें। हमें अपने प्रान्त की आवश्यकता के अनुसार लोगों को शिक्षा देकर योग्य बनाना चाहिए।

जहां तक साक्षरता का सवाल है, यह निर्विवाद है कि हरेक व्यक्ति को साक्षर होना चाहिये। प्राइमरी स्कूलों की संख्या में वृद्धि होना अवश्य अच्छी चीज है। लेकिन जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है हमें अपनी आवश्यकतानुसार व्यक्ति की रुचि के अनुसार जिस तरह की शिक्षा की समाज और देश को आवश्यकता है उसी प्रकार की शिक्षा जनता को मिलनी चाहिये। इससे जहां एक ओर हमारी बेकारी की समस्या को हल करने में सहूलियत होगी और दूसरी तरफ जिस प्रकार के व्यक्ति हमें विविध योजनाओं को पूरी करने में चाहिये वे उपलब्ध हो सकेंगे।

जहां तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल है हमारी सरकार ने माना है कि लड़कियों की शिक्षा की दिशा में जितना करना चाहिये उतना वह नहीं कर पाई है। अच्छा है हमारी सरकार लड़कियों की शिक्षा को उस दिशा की तरफ ले जाना नहीं चाहती जिस ओर लड़के अग्रसर हो रहे हैं। लड़कियों को किस प्रकार की शिक्षा देनी है, उसकी आवश्यकता को समझ कर हमें उनके लिये योजना बनानी पड़ेगी। जहां तक साक्षरता का सवाल है उसमें लड़के और लड़कियों में किसी तरह की भिन्नता नहीं है। जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, वहां हमें यह देखना होगा किस प्रकार से वे स्वावलम्बी बनें। स्वावलम्बन के लिये वे यदि उच्च शिक्षा लेती हैं तो उनको दी जा सकती

(श्री लादूराम सुलोणिया)

है। पर हम इस बात को भूल नहीं सकते कि आगे जाकर हर लड़की को मातृत्व का भार संभालना पड़ता है। हर लड़की का गृहिणी बनना पड़ता है, आगे जाकर उनको समाज निर्माण का भार उठाना पड़ता है। बड़े अफसोस की बात है कि लड़कियों की शिक्षा योजना बनाते समय इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कहीं कहीं पर पाठ्य-क्रमों में गृह विज्ञान का विषय रखा है पर उस विषय में जैसा चाहिये वैसा समावेश नहीं किया गया है। खेद की बात है कि हमारे अपने प्रान्त में एक भी इस तरह का कॉलेज नहीं है जहां गृह विज्ञान की विशेष शिक्षा दी जा सके जबकि दूसरे दूसरे प्रान्तों में एक न एक इस प्रकार का कॉलेज अवश्य है। हमारी सरकार को गृह विज्ञान और मातृत्व की अच्छी शिक्षा देने के लिये यहां पर गृह विज्ञान का कॉलेज स्थापित करना चाहिये।

प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा के बारे में जो कदम उठाया गया है वह अवश्य सराहनीय है। हमारे हिन्दू समाज में विधवाओं की जो स्थिति है वह बड़ी दयनीय है। समाज में विधवाओं को बड़ा उपेक्षित समझा जाता है। उनको शिक्षा देकर अध्यापिकाओं का काम उनसे लिया जाता है तो प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में एक उपयोगी कदम होगा। इस दिशा में भी हमें तेजी से आगे कदम बढ़ाने चाहिये। हम उनको जो शिक्षा देते हैं वे केवल किताबी शिक्षा तक सीमित न रख कर आयुर्वेद, मिडवाइफरी आदि तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा भी दें। इस तरह से इस शिक्षा का विस्तार करना हमारे समाज के लिये बड़ा लाभदायक होगा।

स्वास्थ्य के बारे में जो आंकड़े दिये गये हैं, उनके बारे में जो उपलब्धियां हैं वे ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। सरकार ने माना है कि इस क्षेत्र में करने को काफी काम है। मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्धियां हैं उनका फलितार्थ बहुत थोड़ी जनता को मिला हुआ है। जहां गांव की जनता का सवाल है उसको स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही कम सुविधा उपलब्ध है।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर अवश्य आकर्षित करना चाहूँगी कि प्रसूताओं और छोटे बच्चों के देख-भाल की बहुत अधिक आवश्यकता है। हर डिस्पेन्सरीज में और जहां औषधालय खोलते हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलते हैं वहां पर एक प्रशिक्षिता दाई रख कर प्रसूति तथा प्रसूताओं की देख भाल की व्यवस्था कर दें तो थोड़े खर्चे में बहुत सारा लाभ जनता को मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, हाली और सागड़ी को प्रथा को बन्द करने की बहुत आवश्यकता को सरकार ने महसूस किया है। इसके बारे में जो हमारी योजना है उससे सरकार की ही दीर्घसूत्री मालूम पड़ती है। आजादी मिले ग्यारह साल हो गये। जिस संविधान विरोधी प्रथा को हमें आज से कई साल पहले बन्द कर देना चाहिये, एक दम मिटा देना चाहिये था इस ओर अभी तक ध्यान नहीं गया है। हाली और सागड़ी की जो प्रथा है वह संविधान के सर्वथा विरुद्ध है। जितना जल्दी हो सके हमें इसको मिटा देने का प्रयत्न करना चाहिये। सरकार इस विषय में विधेयक लाने का विचार रखती है। लेकिन जिस तरह से ऑर्डिनेन्स जारी करके सरकार काम किया करती है उसी प्रकार के

(श्री लादूराम सुलाणिया)

ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता है ताकि यह हाली और सागड़ी की प्रथा है वह तुरन्त बन्द की जा सके। इसके अलावा आज का हमारा पचास प्रतिशत किसान कर्ज के भार से दबा हुआ रहता है। यह भी हाली और सागड़ी प्रथा के समान ही है। दुःखद किसान जीवन भर महाजन का शिकार रहता है। महाजन से समय समय पर उसको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये उधार लेना पड़ता है और उसके बाद में सारी स्वतन्त्रता वह महाजन के हाथ में बेच देता है। वह इसके लिये दूसरे किसी से लेनदेन में व्यवहार नहीं रख सकता। उसको उसी महाजन के नियन्त्रण में रहना पड़ता है। इसलिये जितना जल्दी हो सके किसान को कर्जदारी से बचाने का प्रयत्न करना चाहिये और यह जो महाजन के फन्दे में वह फंसा हुआ है उसको हम जल्दी से जल्दी उससे निकाल सकें तो किसानों का अधिक से अधिक लाभ हो सकता है।

बेकारी के दूर करने के सम्बन्ध में भी आंकड़े दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुझे ऐसा लगता है कि जो आंकड़े दिये गये हैं वे वास्तव में बहुत कुछ भ्रामक हैं। बेकारी की समस्या के बारे में जितना कहा गया है उससे भी कहीं अधिक यह समस्या गंभीर है। हम आंकड़ों के देखने से यह अन्दाज लगा सकते हैं कि राजस्थान की जनता की हालत बहुत खराब है। किसी के पास खेती का छोटा सा टुकड़ा है तो उससे सारा परिवार गुजर करता है। क्या उसको आप बेकार नहीं मानेंगे?

कोई अगर अपने पुश्तैनी बहुत छोटे उद्योग-धन्धों को लिये बैठा है, पर उसकी आमदनी पर्याप्त नहीं होती, तो क्या उसको बेकार नहीं मानेंगे? तो इस तरफ हमें बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें सारी स्थिति को सही सही समझना होगा कि किस हद तक किस तरह की बेकारी है और फिर उसे दूर करने के लिये ज्यादा से ज्यादा उद्योग धन्धों को सहकारी समितियों के जरिये चला कर उनमें लोगों को लगाकर करना होगा। इससे दो फायदे होंगे; एक तो हर तरह की बेकारी कम होगी और दूसरा हमारा उत्पादन बढ़ेगा।

विशेष योग्यता वेतन, और पुनः सेवा योजना ये दो योजनाएं अच्छी हैं। इससे बहुत से लोगों को राहत मिलेगी, पर भय लगता है कि कहीं ये भी एक तरह से भ्रष्टाचार के लिये कानूनी लाइसेन्स बन कर ही न रह जावें। जो वास्तव में योग्य और उपयुक्त होते हैं वे तो पीछे रख दिये जाते हैं और दूसरे अयोग्य और अनुपयुक्त व्यक्तियों को इसका फायदा दे दिया जाता है और सरकार भी अपने कृपा-पात्रों को कृतार्थ करने में इनका पूरा उपयोग कर लेती है। यह भय हम सब को है। आशा है, सरकार इस भय का निवारण करेगी।

इसके बाद एक बात सचमुच मेरी समझ में नहीं आई कि हमारी सरकार की दृष्टि में शहरी या नगरीय जनता इतनी उपेक्षित क्यों है। राज्यपाल महोदय के पिछले भाषण में हमने अर्बन डेवलपमेंट की किसी स्कीम की बात सुनी थी, पर इसमें उसकी कोई चर्चा नहीं। दो अक्टूबर को सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ तो उन्हीं दिनों यहां सुनाई दिया कि अर्बन स्कीम भी लागू होने वाली है। पर वह

(श्री लादूराम सुलाखिया)

योजना कहां गई, यह समझ में नहीं आया। शहरों के प्रति यह उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण क्यों ? इसी के साथ जब जयपुर शहर की बात ध्यान में आती है तो मैं समझ नहीं पाती कि जहां सरकार अपनी प्रगति के आकर्षक आंकड़े देती है वहां जयपुर के बारे में कुछ नहीं सुनाई देता। जयपुर के बारे में सरकार का ऐसा दृष्टिकोण क्यों है ? जयपुर नगरपालिका के चुनाव की चर्चा समाचार पत्रों में सुन रही हूँ। अच्छा हो, हमारे माननीय मन्त्री महोदय इसकी सत्यता को समर्थन दे सकें तो जयपुर की जनता की उत्सुकता शान्त हो सकती है।

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : हो ही जावेगा।

डॉ० चन्द्रकला : धन्यवाद।

इसके साथ ही अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की घोषणा हुई, पर इसको आज तक कोई शक्ति नहीं दी गई। यह तो वैसी ही बात है जैसे कह दिया जावे आदमी को कि तुम सब कुछ कर सकते हो, पर सांस नहीं ले सकते। यही हालत यहां के अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की है। इसको अधिकार कुछ नहीं है। आवास की समस्या जयपुर शहर में विकट से विकटतर होती जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर ट्रस्ट को कुछ काम करने का अधिकार सरकार दे सकती तो ज्यादा अच्छा होता।

सरकार कहीं कहीं योजनाएं तो हाथ में लेती है, पर उसके पूरी करने का नाम नहीं लेती। यहां एक स्लम्प क्लीयरेन्स की योजना चली पर उसका काम पूरा होने का कोई ठिकाना नहीं। जयपुर शहर के विषय में तो हमारा अनुभव है कि सरकार की आज एक योजना बनती दिखाई पड़ती है और दूसरे दिन बदलती और बन्द होती दिखाई पड़ती है तीसरे दिन। सचमुच सरकार का इस तरह का रवैया समझ में नहीं आता।

इसके अलावा जैसे मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ आज हमारे यहां बिजली का विकास हो रहा है। हम चम्बल और भाखरा की बात कर रहे हैं। पर जयपुर शहर की बड़ी बड़ी बस्तियों में अभी भी प्रकाश और पानी तक की व्यवस्था नहीं है।

सार्वजनिक शौचालयों की भी समस्या है यहां पर। शौचालयों के अभाव में कुछ बस्तियों के लोग किस तरह अपना काम चलाते हैं यह तो या तो वे बता सकते हैं या किसी दिन हमारे माननीय मन्त्री महोदय स्वयं वहां जाकर अनुभव करें तो वे जान सकते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में बड़ी-बड़ी बातें न सही, पर प्राथमिक आवश्यकता की शर्त तो कम से कम होनी चाहिये।

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की बात सामने आई। वास्तव में यह सुन्दर स्कीम है। इसमें जहां तक जनता का सम्बन्ध है उसने अच्छा सहयोग इसमें दिया है। हमारे राज्य कर्मचारियों ने भी बहुत सफलता के साथ चुनाव करा कर इसे सफलता के किनारे तक लगाया है। पर जहां तक हमारी सरकार के कर्त्तव्य का सवाल था या खास कर हमारे मन्त्रीगणों का या सत्ताधारी लोगों का सवाल रहा उनका पार्ट निस्सन्देह इसमें खेदजनक रहा। उनका अनुचित हस्तक्षेप कभी बर्दाश्त

(डॉ० चन्द्रकला)

करने लायक नहीं कहा जा सकता । सत्ता के मोह ने उन्हें अन्धा बना दिया था और जिस विकेन्द्रीकरण की वे वकालत करते थे उसी सत्ता के विकेन्द्रीकरण को वे विकेन्द्रित होते देखना अपने लिए खतरनाक समझ कर उस सत्ता को अपनी मुट्ठी में ही बनाये रखने के प्रयत्न में रहे । ऐसा न होता तो अधिक अच्छा था ।

इसके साथ ही हमें जल्दी ही पंचायतों और जिला परिषदों में कोरप्शन का पूरा अनुभव हुआ, सब को ही यह अनुभव हुआ होगा । इसके द्वारा ऐसे लोग आये जिनको जनता कभी भी, किसी भी तरह अपने बीच में होने देना नहीं चाहती थी । उनको कोरप्शन से उन पर थोप दिया गया । थोप ही नहीं दिये गये पर प्रधान और प्रमुख तक बना दिये गये । इस बारे में मैं और अधिक नहीं कहूँगी । क्योंकि पहले ही बहुत कहा जा चुका है । पर यह मैं कहूँगी कि जहां सत्ताधारी लोगों का काम जनता को समझाना और लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की जिम्मेदारियों से उन्हें परिचित कराना और उनको अच्छी तरह वहन करने की प्रेरणा देना था वहां उन्होंने इसके विपरीत काम किया और इसका परिणाम यह रहा कि गांव गांव में फूट पड़ी, कटुता बढ़ी और लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गये गांव गांव में दलबन्दी और गुट्टबन्दी हो गई । गांवों के सुन्दर जीवन में विकार आ गया । उनका जीवन विकृत होता चला जा रहा है । अगर जल्दी वे नहीं सम्भले तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और जिस उद्देश्य को लेकर यह विकेन्द्रीकरण किया गया, उसका उद्देश्य असफल हो जाने वाला है ।

हमने जागीरदारी और जमींदारी समाप्त कर दी । पर दूसरी तरह की जमींदारियां पनपती जा रही हैं और जिन्हें सरकार का पूर्ण प्रोत्साहन है । मैं इस तरफ सदन का ध्यान खींचना जरूरी समझती हूँ और आशा करती हूँ कि समय रहते हम इससे बचेंगे । जयपुर शहर के एक कोने में इसी तरह की एक जमींदारी पनपनी शुरू हुई है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ । जमना डेयरी के नाम से हंस डी० राय की जमींदारी हमारे यहां शुरू हुई है जिसे सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है । किसी कोलोनाइजेशन की स्कीम के लिए यह जमीन उनको दी गई है, यह इसी सदन के पटल पर बताया जा चुका है । कोलोनाइजेशन के लिए जमीन दी गई थी लेकिन उन्होंने उसे बेचना शुरू किया । अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड उस जमीन को अलॉट नहीं कर सकता । उसे अधिकार नहीं दिया गया है, पर राय साहब को सब अधिकार है । वे लोगों को बुला बुला कर कहते हैं कि या तो अपनी जमीन को इतनी कीमत देकर पट्टे ले जाओ, नहीं तो जमीन खाली करो । आज अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड जो कुछ नहीं कर सकता वे कर रहे हैं । लोगों को सरकार भी अगर खाली करने को कहे तो उसके भी तरीके हैं । जबानी हुक्म से वहां भी काम नहीं होता । पर वे जबानी सब को बुला कर कहते हैं । सरकार ने उनकी टाउन प्लानिंग स्कीम मान ली । अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने मान लिया । वह स्वायत्त शासन विभाग तक पहुँच चुकी है । मैं पूछती हूँ कि जब आपका अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड है तो वह

(डॉ० चन्द्रकला):

योजना क्यों नहीं बनाता, राय साहब क्यों बनाते हैं? एक व्यक्ति विशेष की इसमें क्या दिलचस्पी है? अगर सरकार को योजना मान्य हो और उसमें जनहित की बात हो तो सरकार एक्वायर करके बाकायदा ढंग से उस स्कीम को क्यों नहीं चलाती? पर सरकार राय साहब को अधिक से अधिक फायदा उठाना देना चाहती है और उन्हें अपना कृपा-पात्र समझ कर अपनी जेबें पूरी तरह से भरने देने की कोशिश करने देना चाहती है। इसलिए उस योजना को अधर—भूल में डाले हुए हैं। यह तो एक उदाहरण है नई जागीरदारियों के पनपने का। तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि इस तरह की जमींदारियों को पनपने से रोकना चाहिये। नहीं तो जनतन्त्र के लिए ये एक खतरा बन कर खड़े हो सकती हैं। इसकी ओर हमें बड़ी सतर्कता से ध्यान देना पड़ेगा। इन बातों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत है उसका समर्थन करती हूँ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जिस धन्यवाद के प्रस्ताव पर इस सदन में चर्चा हो रही है उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि श्रीमन् राज्यपाल के अभिभाषण सन् १९५६ से लेकर अब तक जो उन्होंने सदन में दिये हैं उन सब को यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाये तो ऐसा लगता है कि भाषणों के स्तर में निरन्तर गिरावट आई है। सन् १९५६ में, सन् १९५७ में और उसके बाद के वर्षों के अन्दर उनके भाषणों से जनता को कुछ सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में जानकारी मिली है; लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो जानकारी मिली थी यदि उसको तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाये तो उन जानकारियों के अन्दर भी धीरे-धीरे विशेष प्रकार की कमी नजर आई है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आज के भाषण को इस दृष्टि से देखा जाये तो ऐसा लगता है कि संविधान में दी हुई परम्पराओं को निभाने के लिये उन्होंने यह भाषण दिया है; अन्यथा इस अभिभाषण की कोई आवश्यकता नहीं है और यह बिल्कुल निरर्थक है। इस भाषण में जहां तक कुछ बातों का उल्लेख आता है उनको देखा जाय तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ रिपीटीशन्स हैं, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन्स हैं और कुछ ऐसी बातें हैं कि जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से कभी भी अपेक्षित नहीं की जा सकती हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि इन भाषणों में जो स्तर की गिरावट आई है वह सरकार का जो सदन के प्रति एक विशेष उत्तरदायित्व होता है उसमें कमी हमें नजर आती है। सरकार की नीतियों की घोषणायें सदन में न की जाकर जब सदन के बाहर होती हैं तो सहसा ऐसा लगता है कि सदन के प्रति जिस जिम्मेदारी को सरकार को निभाना चाहिए वह जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई जाती और वह बातें जो कि सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषणों के रूप में आनी चाहिये वह सरकार के मन्त्री महोदय या सरकार के अन्य उत्तरदायित्व रखने वाले व्यक्ति, सारे के सारे व्यक्ति, जिस समय किसी सम्मेलन का उद्घाटन करने का अवसर आता है उस समय इस प्रकार की घोषणायें करते हैं; तो उसके बाद राज्यपाल के अभि—

(श्री भैरोंसिंह)

भाषण के लिए सामग्री नहीं रहती और यही कारण है कि भाषणों का स्तर दिन दिन गिरता जा रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि यह मामूली बात नहीं है। यह इस प्रकार की गम्भीर बात है कि सदन के अन्दर इस अभिभाषण में किसी प्रकार की कोई नई चीज नहीं है। सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं है। जनता में भी सदन के प्रति और राज्यपाल महोदय के अभिभाषणों के प्रति जो आतुरता रहती है उसमें यदि कमी आती है तो इसी निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं कि भाषणों में निरन्तर गिरावट आ रही है। जहां आतुरता में कमी आती है तो निश्चितत: प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने कहा था कि इसमें कुछ रिपीटीशन्स हैं। मैंने सारा भाषण पढ़ा है और सन् १९५४ से लेकर आज तक खेतड़ी की तांबे की खान, उदयपुर में जिंक स्मेल्टर प्लॉन्ट, उदयपुर में कॉटन टेक्सटाइल मिल, भरतपुर की वैगन फैक्टरी ये इस प्रकार की चीजें हैं जिनके बारे में ऐसा समझा जाता है कि इनके बिना भाषण सुन्दर नहीं होता हैं और यदि भाषण में इनका उल्लेख नहीं हो तो भाषण पूरा भी नहीं होता है। हर बात में रिपीटीशन है। अनाज की पैदावार इतनी बढ़ेगी, वही को वही लाइनें इस भाषण के अन्दर भी हैं। इतना ही नहीं; मैंने इतना भी देखा है कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शन्स भी है और कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आतीं। जैसा कि इसके पैरेग्राफ २ में लिखा है:—

"जब कि भारत संघ के अन्य राज्य वास्तव में पहली योजना को क्रियान्वित करने में व्यस्त थे, हम, इस राज्य में, एक दृढ़ प्रशासनिक ढांचा संगठित करने, बजट में संतुलन लाने तथा शांति और व्यवस्था की विषम स्थिति जैसी कि उस समय थी, को हल करने में लगे हुए थे।"

मैं ऐसा समझता हूँ कि अब तक की हमारी जितनी भी सरकारें थीं उनका एक दृष्टिकोण रहता था अपने एचीवमेंट्स को बताने के लिए। उस समय के राजा-महाराजाओं के राज्य से तुलनात्मक दृष्टिकोण रखने का दृष्टिकोण था। उस समय कितनी चोरियां होती थीं उसके कम्पेरिजन में आज के अपने एचीवमेंट्स बताते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की हमारी वर्तमान सरकार राजा-महाराजाओं के एचीवमेंट्स को भुला कर एवं उनकी पूर्व की जो सरकार हैं उन सरकारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बदनाम करने की चेष्टा में लगी हुई हैं। सन् १९५४ से पहले मैं समझता हूँ कि जो आज की मौजूदा सरकार है वह नहीं थी। वह प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था। जो पैरेग्राफ इस भाषण में दिये हुए हैं उनसे ऐसा लगता है कि जैसे पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। सिवाय इन्टीग्रेशन ऑफ सर्विसेज़ और लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के अलावा पंचवर्षीय योजना के ऊपर उस सरकार का ध्यान नहीं गया। मैं ऐसा समझता हूँ कि चाहे आज की सरकार ने उस समय की सरकारों को बदनाम करने की चेष्टा की हो, लेकिन सरकार की यह जिम्मेदारी है कि यदि एक सरकार दूसरी सरकार को बदनाम करने की चेष्टा करती है तो उसके ऊपर भी कुछ उत्तरदायित्व इस प्रकार का

(श्री भैरोंसिंह)

आता है और जब उत्तरदायित्व सरकार अपने ऊपर लेती है तो मैं यह मानकर चलता हूँ कि हमारी सरकार उन गलतियों को मानती है जो १९५५ से पहले की गई थीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस भाषण में गलत आंकड़े दिये हुए हैं और वे इस प्रकार से हैं जैसे कि आंकड़े डाकुओं के बारे में दिये हैं। पैराग्राफ ३३ में लिखा है :

"विधि एवं व्यवस्था की स्थिति वर्ष भर संतोषप्रद रही। पुलिस ने राज्य के सक्रिय डाकुओं के १० संगठित गिरोहों में से ८ का अन्त कर दिया। १९६ डाकुओं को गिरफ्तार किया गया, १२ गोली के शिकार हुए और २८ ने आत्म-समर्पण कर दिया। अपराधों को रोकने तथा उनका पता लगाने की दिशा में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है।"

मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताऊंगा कि राज्यपाल महोदय ने अपने १९५९ के अभिभाषण में डाकुओं के सम्बन्ध में यह कहा था:

"गत वर्ष लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति संतोषप्रद रही है। अपराधों को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्य में बहुत तरक्की हुई है। कुख्यात डाकू दलों का सफाया किया जा चुका है जिससे डाकुओं की समस्या करीब करीब समाप्त हो गई है।"

अब १९५९ में डाकुओं की समस्या करीब करीब समाप्त हो गई और फिर इसके बाद १९६० में इसी के बारे में यह कहा है:

"इस वर्ष में लॉ एण्ड ऑर्डर की हालत संतोषप्रद रही। डाकुओं को समाप्त करने में पुलिस का कार्य इस साल भी वैसा ही उल्लेखनीय रहा जैसा कि गुजरे सालों में। १९५९ के प्रारम्भ में राज्य में सक्रिय डाकुओं के ९ दलों में से ६ को खत्म कर दिया गया है।"

इसका मतलब सन् १९५९ के प्रारम्भ में जो ९ डाकुओं के दल थे उनमें से ६ को खत्म कर दिया गया और ३ बाकी रहे और अब जो १९६१ में भाषण दिया है उसमें लिखा है कि १० संगठित गिरोहों में से ८ का अन्त कर दिया गया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि डाकू दल जो १९५९ में करीब करीब समाप्त कर दिये गये तो अब यह १९६० में ९ में से ६ का सफाया किया जा चुका है और इस प्रकार ३ रहे और जो अब यह १० दल बताये गये हैं यह कहां से पैदा हो गये? मैं समझता हूँ कि सरकार सदन को भ्रम में डालने की वजह से डाकुओं की संख्या को बढ़ाचढ़ा कर बताती है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि डाकुओं के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये हैं वे आंकड़े गलत हैं और गलत आंकड़ों के सम्बन्ध में इस विधान सभा में एक प्रश्न पूछा था गृह मंत्रीजी के सामने जैसलमेर के २८ डाकुओं ने आत्म-समर्पण किया था उनमें से १८ चोर हैं जिनके खिलाफ चोरी के मुकदमे सन् ६० में रजिस्टर हुए थे। उनका प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सका। आज सरकार उन १८ चोरों को डाकुओं की श्रेणी में लेना चाहती है और इसका श्रेय लेना चाहती है। लेकिन यह श्रेय नहीं है; बल्कि सदन में गलत जानकारी देना और सदन को धोखा देना चाहते हैं। सदन को इस प्रकार से गलत जानकारी

Page No.48

(श्री भैरोंसिंह)

देना और सदन को धोखा देना सदन का अपमान करना है। यदि सदन का अपमान करने वाला व्यक्ति सदन का नेता होता है तो उनके खिलाफ भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन लाया जा सकता है। यदि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन लाया जाय तो सदन में छानबीन करके कहा जा सकता है कि यहां पर गलत आंकड़े पेश किये जाते हैं।

(१.०१ म० प०)

यहां अन्दाज से बात कही जाती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना को आधार मान कर चला गया है और यह कहा गया है:

"न्यूनाधिक रूप से न केवल समस्त वास्तविक लक्ष्यों को करीब प्राप्त ही कर लिया है बल्कि वह ऐसी सुदृढ़ नींव डालने में भी सफल हुई है जिस पर आगामी दो या तीन योजना काल में समृद्धि एवं खुशहाली का भवन खड़ा किया जा सकता है।"

हमारी सरकार कहती है कि हम योजना बनाते हैं, लक्ष्य पूरा करते हैं पर उसके बाद कहते हैं कि दो या तीन योजना काल में समृद्धि एवं खुशहाली का भवन खड़ा किया जा सकता है। कोई एक या दो महीनों का अन्तर नहीं है, बल्कि पूरे पांच वर्षों का अन्तर है। यदि सरकार निश्चित रूप से सुदृढ़ स्थिति में होने की बात नहीं कह सकती तो अन्दाज लगाती है। उसका सारा काम अन्दाज पर चलता है कि अगले ५ या १० साल में खुशहाली हो जायगी।

इस भाषण में कई जगह कॉन्ट्राडिक्शन्स भी हैं। पेराग्राफ १० में लिखा है: "औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी परियोजनाएं आरम्भ करने में जो रुकावट विद्युत शक्ति की कमी के कारण पहले थी वह इस काल में भी बनी रही। फिर भी छोटे पैमाने के उद्योगों, हस्त शिल्पों और खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास में सराहनीय प्रगति हुई है।" इसी में आगे लिखा गया है: "बिजली शक्ति के विकास में तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में कुछ रुकावटें आई हैं। तथापि, यह संतोष की बात है कि इस वर्ष में बिजली शक्ति के विकास में स्थिति बदल गई है।" ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक जगह बिजली की स्थिति खराब बताते हैं और दूसरी जगह कहते हैं कि जितना टार्गेट था उसे ठीक प्रकार से एचीव किया है।

मुझे लगता है कि यह भाषण सरकार की नवीन रीति-नीति का उल्लेख नहीं करता है, इसलिये यह महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय कितने महत्वपूर्ण काम हुए, उनका इसमें अभाव है। सबसे पहले अभाव के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि ५ महीनों में १६ सितम्बर, १९६० में विधान सभा का पिछला अधिवेशन समाप्त हुआ था और २२ फरवरी, १९६१ को यह अधिवेशन प्रारम्भ हुआ—इन ५ महीनों में सरकार ने १५ ऑर्डिनेन्स इश्यू किये। आज तक भारत की किसी भी प्रान्तीय सरकार ने १५ ऑर्डिनेन्स ५ महीनों में इश्यू नहीं किये होंगे। यदि ५ महीनों में १५ ऑर्डिनेन्सेज इश्यू करते हैं तो समझना चाहिये कि स्टेट ऑफ एमर्जेन्सी एराइज़ हो रही है। लेकिन जब इनको पढ़ते हैं तो पता लगता है कि स्टेट ऑफ एमर्जेन्सी जैसी कोई स्थिति नहीं है, बल्कि

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार के विधि विभाग की अयोग्यता का नमूना है। मैं इस बारे में विशेष बातें न कह कर एक ऑर्डिनेन्स के बारे में निवेदन करूंगा और वह है राजस्थान सेकन्डरी एजुकेशन अमेन्डमेन्ट बिल, १९६१। उसमें बोर्ड के चेयरमेन जो हैं उनकी अवधि १–८–६० तक की थी। उसके बाद एक्ट के अनुसार उनको अपने पद से मुक्त करना चाहिये था। उसके बाद २२ अगस्त को विधान सभा की बैठक चालू होती थी। १ अगस्त तक की उनकी मयाद थी और २२ दिन बाद विधान सभा की बैठक होने वाली थी, लेकिन १६ सितम्बर को बैठक स्थगित की जाती है। जिन महोदय की मयाद ३ वर्ष की थी उनकी मयाद २ वर्ष और बढ़ाकर ५ वर्ष की कर देते है। जो सरकार इस प्रकार का कानून प्रस्तुत न करके ऑर्डिनेन्स के द्वारा मरे हुए पद को जीवित करना चाहती है, उसके बारे में क्या कहा जाय। बिल पेश करके रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते थे, लेकिन ५ महीनों में १५ ऑर्डिनेन्सेज़ पास करके संविधान का दुरुपयोग किया गया है। इस प्रकार की बात कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इतना ही नहीं इस अभिभाषण में कुछ इम्पोर्टेन्ट बातों का उल्लेख निश्चित रूप से होना चाहिये था। अभी समाचार पत्रों में इस प्रकार का उल्लेख आया है कि गंग केनाल द्वारा गंगानगर एरिया में जितनी सिंचाई होती थी उतनी सिंचाई अब नहीं हो रही है। इस सम्बन्ध में लोक सभा में भी प्रश्न पूछे गये थे लेकिन उनके जो उत्तर वहां दिये गये उनसे पता लगता है कि राजस्थान सरकार की जानकारी कम होने से समुचित उत्तर नहीं दे सके। राजस्थान सरकार को यदि राजस्थान केनाल, गंग केनाल या गंगानगर जिले की सिंचाई के बारे में चिन्ता होती तो जब सितम्बर, १९६० में भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच में समझौता होकर उस पर हस्ताक्षर हुए थे उस समय यदि राजस्थान के मुख्य मंत्री प्रभावशाली व्यक्ति होते तो मैं नहीं कह सकता कि भारत के प्रधान मंत्री राजस्थान के मुख्य मंत्री को पूछे बिना हस्ताक्षर कैसे कर देते? मैं समझता हूँ राजस्थान केनाल, मास्टर प्लान आदि सब मिल कर ४१२ करोड़ की योजना है। ४१२ करोड़ की योजना होने पर भी राजस्थान के मुख्य मंत्री को बिना पूछे और इस सदन को बिना विश्वास में लिये राजस्थान और गंगानगर की गरीब जनता के ४१२ करोड़ रुपयों की योजना पर पानी फेरना एक दुर्भाग्य की बात थी। इसका उल्लेख निश्चित रूप से इस अभिभाषण में होना चाहिये था, लेकिन इसका उल्लेख नहीं किया गया। सन् ४९ से लेकर अब तक ३१०० क्युसेक्स पानी आता था और इससे भी ज्यादा मिलने लग गया था। फीरोजपुर हैड और हरिके से और भी पानी दिया जाने लगा था जिससे रायसिंह-नगर का एरिया छः मासी से बारह मासी-होने लगा था और ज्यादा भूमि आबपाशी के अन्तर्गत आने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती राजस्थान की है कि जहां ३१०० क्युसेक्स पानी आता था वहां ११०० क्युसेक्स ही रह गया। गंगानगर के इलाके में पानी कम आया और नतीजा यह हुआ कि कई इलाकों में फसलें बरबाद होने लगीं, क्योंकि लोगों को जितना पानी मिलना चाहिये था उतना नहीं मिला। लेकिन इससे भी ज्यादा

Page No.50

(श्री भैरोंसिंह)

अफसोस इस बात का है कि सरकार मौन धारण किये हुए है। मौन धारण करना सरकार के लिये ठीक हो सकता है, लेकिन राजस्थान की गरीब जनता को इससे काफी नुकसान उठाना होगा। चीफ मिनिस्टर साहब यदि प्रभावशाली व्यक्ति होते तो भारत सरकार को इस पर अवश्य विचार करना पड़ता और कांस्टिट्यूशनल पोजीशन इस प्रकार की आती कि राजस्थान के बारे में भारत सरकार को सोच समझ कर काम करना पड़ता। जिस तरह से बेरूबारी के प्रश्न से जनमत जागरुक हो गया था और देश के प्रधान मंत्री को यह कहना पड़ा था कि यह मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उसी तरह से यदि हमारे मुख्य मन्त्री प्रभावशाली होते तो प्रधान मंत्री को बाध्य कर देते। किन्तु हमारे मुख्य मन्त्री मौन हैं। हो सकता है कि उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बना कर भारत सरकार ने उपयुक्त इनाम दे दिया हो, लेकिन इससे राजस्थान की जनता को कुछ नहीं मिला।

इसी कमजोरी का नमूना आजकल समाचार पत्रों में पढ़ने में आता है और जाकर देखा भी है कि घग्गर नदी के कारण हनुमानगढ़ क्षेत्र हर साल पानी में डूबता है 'हर साल से मेरा मतलब पिछले २ वर्षों से है, पिछली बार भी आया था और इसका इन्तजाम करने में सरकार लाखों रुपये खर्च करती होगी ; लेकिन इसका मूल कारण क्या है ? हो सकता है कि शिमला हिल में बर्फ जमा हो जाने से बाढ़ आई हो। लेकिन एक परिस्थिति और है और वह है पंजाब में सिंचाई की फैसिलिटी अधिक होने के कारण जहां पानी नहीं था वहां भी पानी ऊपर आने लगा और वाटर लोगिंग की समस्या खड़ी होने लगी। करोड़ों रुपये वाटर लोगिंग की समस्या के लिये रखे हैं। पंजाब सरकार ने जगह जगह ड्रेन्स खोदकर घग्घर नदी में डाली है और घग्घर में ड्रेन्स डालने के कारण घग्घर में थोड़ा पानी आता है। लेकिन जब वर्षा होती है, तो रेन्स के दिनों में पंजाब में वाटर लोगिंग अधिक होता है और वह पानी छोड़ता है। इस कारण घग्घर में थोड़े से पानी से ही बाढ़ आ जाती है और उससे नुकसान हो जाता है। मैं समझता हूं, यह कमजोरी और किसी की नहीं है, कमजोरी है हमारे मुख्य मंत्री की, क्योंकि पंजाब सरकार के मुख्य मन्त्री के मुकाबले में हमारे मुख्य मंत्री का स्टेटस उतना ऊंचा नहीं है, जिसको लेकर राजस्थान और राजस्थान को सरकार को बचाया जा सके।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले वर्षों में इस प्रकार के भाषण सुने हैं कि पंजाब और राजस्थान के बीच भाखरा की बिजली का समझौता हुआ था, उसको इस कारण पूरा नहीं कर सके कि पंजाब के लुधियाना वर्कशॉप में जो टावर्स बनते हैं, वे पूरे नहीं बने। इस कारण वे टॉवर्स हमें नहीं मिल रहे हैं। पंजाब सरकार को वे टॉवर्स मिल गये और इस कारण उन्हें बिजली मिल गई। जो राजस्थान का कोटा था वह भी पंजाब ने अपने काम में ले लिया। यह सब इस बात सूचक है कि पंजाब यह सब काम कर सका और राजस्थान कुछ भी नहीं कर सका। यह राजस्थान का कसूर नहीं है, यह हमारे मुख्य मन्त्रीजी का कसूर है, जो कि पंजाब के मुख्य मंत्री के मुकाबले में टिक नहीं पाते। मैं इतना ही कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि प्रभाव

(श्री भैरोंसिंह)

हीनता के कारण ही बिजली राजस्थान को नहीं मिल पाई है। इतना ही कारण नही है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप इस सदन में प्रस्तुत किया गया था उस समय जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट बनाया गया था, वह २२६ करोड़ का था। लेकिन जो प्रारूप इस सदन में पेश किया गया वह २१२ करोड़ रुपये का पेश किया गया। जब २१२ करोड़ रुपये की तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पेश किया गया, उस समय हमारे मुख्य मन्त्रीजो ने बड़े अभिमान से और गर्व से इस सदन में भाषण दिया था और उन्होंने कहा था:-

"लेकिन हमने व्यवहारिकता को ध्यान में रख कर इस दृष्टि से प्लान बनाया है कि कोई व्यक्ति निष्पक्ष होकर देखे तो संतुष्ट हो सकता है और हमारी मांग को वाजिब समझ सकता है।"

उनका मतलब यह था कि भारत सरकार के व्यक्ति निष्पक्ष दृष्टि से मांग को देखेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें संतोष होगा और हमारी मांग को स्वीकार कर लिया जायगा। अब सवाल यह आता है कि हमारी राजस्थान सरकार नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल के सामने अपनी मांग को ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं कर सकी है और अगर कर सकी है तो हमारे मुख्य मंत्री के शब्दों के अन्दर उनकी राय निष्पक्ष नहीं थी। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे मुख्य मंत्री इस स्थिति में हैं कि नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल के बारे में कह सकें कि उनकी राय निष्पक्ष नहीं थी। जहां तक मेरी जानकारी है और जैसी कि जानकारी मुझे मिली है हमारी राजस्थान सरकार के प्लान डिफेक्टिव थे और जितनी सामग्री उन्होंने मांगी थी वह समय पर पुट अप नहीं कर सकी, नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल के मेम्बर्स को कन्विन्स नहीं कर सकी। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारी जो २१२ करोड़ की योजना थी, उसके अन्दर ५३ करोड़ रुपये की कमी हुई, जिसका असर बाकी के कामों पर नहीं पड़ा, लेकिन जो राजस्थान की जनता के हित के काम हैं उन पर असर पड़ा है। जैसे, अध्यक्ष महोदय, कृषि के अन्दर १०.८० करोड़ की योजना थी वह अब ५.८० करोड़ की योजना रह गई, पशु-पालन की ८.०५ करोड़ रुपये की योजना थी वह अब ४.८० करोड़ रुपये की योजना रह गई, राजस्थान नहर की ४५.० करोड़ रुपये की योजना थी वह अब ३८.० करोड़ रुपये की योजना रह गई, सिंचाई की ३२.० करोड़ रुपये की योजना थी वह अब २३ करोड़ रुपये की रह गई, उद्योग के अन्दर १०.०० करोड़ रुपये की योजना थी वह अब ५.३० करोड़ की रह गई, सड़कों के अन्दर ३०.८ करोड़ रुपये की योजना थी वह अब १२.०० करोड़ की योजना रह गई, सामान्य शिक्षा के अन्दर ४७.५० करोड़ रुपये की योजना थी, वह अब १७.८० करोड़ की योजना रह गई, अल्प आय वर्ग आवास के लिए ७ करोड़ का प्रावधान था वह अब २.१५ करोड़ रह गया, ग्राम उद्योग के अन्दर ७.०० करोड़ रुपये का प्रावधान था वह अब १.२५ करोड़ रह गया और विद्युत के लिए ५५ करोड़ की योजना थी वह अब ३५ करोड़ रुपये की रह गई।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं समझता हूं कि जिन बातों को लेकर राज्यपाल महोदय ने राजस्थान के भविष्य की रूप-रेखा खींची और राजस्थान का हरा-भरा नक्शा बताया है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना की इन मदों के ऊपर निर्भर करता है, जिनमें अब ५० प्रतिशत से ज्यादा की कटौती हुई है। राजस्थान में आज सड़कों की कमी है, राजस्थान पिछड़ा हुआ देश कहा जाता है, राजस्थान में शिक्षा की कमी है, राजस्थान के उद्योग बिजली पर निर्भर करते हैं। इसके मायने यह हैं कि उस सारी स्थिति को देखते हुए हमें लगता है कि इन मुख्य मदों के बारे में हमारी सरकार प्रभाव नहीं जमा सकी। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार और कौंसिल के लोगों ने जिस प्रकार से अपनी इच्छा से काम करना चाहा, उस प्रकार से किया और कटौती कर दी। इस सब का असर हम आने वाले पांच वर्ष के अन्दर अच्छी प्रकार से भोगेंगे। मैं इस स्थिति के अन्दर यह कहने को तैयार हूं कि अगर सरकार अच्छी तरह इन मदों को गुण की दृष्टि से, अर्थमैटिक की दृष्टि से देखे और एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े और पर केपिटा के आंकड़े निकालने की व्यवस्था की है, उसको इस आधार पर देखे तो आज की जो इन्कम है, उसमें और तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी होने के बाद जो राज्य की और देश की पर केपिटा इन्कम होगी, उसमें २७ का फर्क नहीं रहेगा और ज्यादा फर्क पड़ जायगा। सम्भव है यह पर-केपिटा इन्कम भी कम हो जाय। मुझे ऐसा लगता है कि पांच वर्ष का समय राजस्थान के लिए संक्रमण काल का है और जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके द्वारा संक्रमण काल के अन्दर ठीक प्रकार से कार्यवाही हो सकेगी, इस प्रकार का सदन को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि के आंकड़ों के सम्बन्ध में सरकार ने कहा था कि १२ लाख टन, हमारा जो अचीवमेंट है, उससे ज्यादा अन्न पैदा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछली बार रबी की फसल के ऊपर सरकार ने जो केल्कुलेशन्स किये थे, वे अच्छे बीज, अच्छी खाद, सिंचाई, कृषि योग्य अधिक भूमि, इन सारी बातों पर निर्भर करते थे। पिछली बार उन्होंने कहा था कि १२ लाख टन ज्यादा अन्न पैदा होगा। एक वर्ष निकल गया, लेकिन इस वर्ष के निकलने के साथ साथ एक विषम स्थिति प्रस्तुत हुई है और वह यह थी कि हमारी राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि रबी की फसल के लिए जो बीज लिया जाय वह मार्केटिंग फेडरेशन, क्रय-विक्रय संघ, की मार्फत लिया जाय, इसके लिए क्रय-विक्रय संघ को १७ लाख टन दिया गया। जिस समय बीज बोने के लिए दिया गया उस समय तक रबी की फसल बोने का समय आ गया और वह डिलीवरी नहीं ले सके। जब डिलीवरी ली उस समय तक बरसात आ गई। उसके कारण बीस, पच्चीस हजार मन सड़ गया क्योंकि वह भीग गया था। जब पंचायत समितियों को बीज लेने को कहा गया तो उन्होंने इन्कार कर दिया। उस स्थिति के अन्दर बोने के लिए बीज नहीं रहा। इस पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक सर्क्युलर इश्यू कर दिया कि रजिस्टर्ड ग्रोअर्स से सीड खरीदने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार क्रय-विक्रय संघ की मार्फत किसानों को बीज वितरण करने वाली है, लेकिन जो

(श्री भैरोंसिंह)

बीज भीगा हुआ था, उसे लेने से किसानों ने इन्कार कर दिया। कुछ समय के बाद कृषि विभाग की ओर से एक और सर्क्युलर निकलता है कि इन्डीविजुअल जिस प्रकार से बीज लेना चाहे ले सकता है। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ और अगर सरकार इन्क्वायरी कराना चाहे तो इन्क्वायरी कराने को तैयार हूँ कि राजस्थान सरकार ने कन्टेम्प्लेट किया था कि क्रय-विक्रय संघ की मार्फत इतना बीज देगी, उसका ५० प्रतिशत टार्गेट भी पूरा नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तीस हजार मन गल्ला सड़ गया और दूसरी तरफ क्रय-विक्रय संघ ने जो स्थिति पैदा की उसको दिये गये १७ लाख मन बीज में से चार लाख मन को राइट ऑफ कराने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार राइट ऑफ करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि गला-सड़ा बीज किसानों ने खरीद किया होगा, उसकी चिन्ता नहीं है, लेकिन क्रय-विक्रय संघ को जिन्दा रखने के लिए चार लाख की छूट कर दी जाय, इसकी सरकार को चिन्ता होगी। मैं कहूँगा कि राइट ऑफ करने से पहले सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे।

मैं समझता हूँ, सदन के कई माननीय सदस्यों के पास धार, इन्दौर जिले से, शाहजहांपुर, मध्य प्रदेश से कई चिट्ठियां आती होंगी, उनमें यह उल्लेख आता होगा कि राजस्थान में इस वर्ष अकाल की स्थिति थी, इस कारण यहां के पशु और यहां के बेकार किसान मध्य प्रदेश की तरफ गये हैं। मैं यदि ऐसा निवेदन करूं कि राज्य सरकार ने अपने कागजों के अन्दर २५ लाख का ऋण देने के लिए व्यवस्था की है और एक कमेटी अपॉइन्ट भी की है लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि उस कमेटी ने वास्तव में रिलीफ देने के लिए क्या काम किया? चार पर्सेंट लोगों को कम्बल बांट दिये हैं; कुछ को घास, कुछ को अनाज बांट दिया है लेकिन कौन सा राजस्थान सरकार का अधिकारी है, जो उन अकाल पीड़ितों को मध्य प्रदेश में गाइडेन्स दे रहा है, जो उन भूखे-प्यासे लोगों को राहत देने के लिए व्यवस्था कर रहा है, जो मांग खाने के लिए विवश हो गये हैं, उनको उस स्थिति से मुक्त कर रहा है? आज मैं समझता हूँ कि राजस्थान के लोग मध्यप्रदेश में जाकर बस रहे हैं, राजस्थान के लोग और पशु वहां जा रहे हैं। इस स्थिति में कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान सरकार सामन्त और राजाओं को गालियां निकालती है, उस राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री की अकाल के सम्बन्ध में उम्मेदसिंहजी से तुलना की जाय तो उनको ५ नम्बर मिलेंगे और उम्मेदसिंहजी को १०० में से १०० मिलेंगे। आज इस युग में उन अकाल पीड़ितों के लिए व्यवस्था नहीं है, वे लोग साधनहीन पड़े हैं। उन लोगों को, गरीब जनता को, अकाल पीड़ितों को साधन नहीं दे सकते हैं। इसके लिए जो २५ लाख रुपये लिए होंगे, उनका हिसाब-किताब बताया जाय, वह कागजों तक तो सीमित नहीं रहा है? मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अकाल के मामले में सरकार एक कमेटी बना कर ही चुप नहीं रहे बल्कि लोगों को जिस प्रकार भी रिलीफ मिल सकता है, उस प्रकार रिलीफ दिया जाय।

Page No.54

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, एक मोटा मसला, जिसका जिक्र इसमें नहीं आया है वह भी मैं इसमें निवेदन करना चाहूँगा, वह है नेशनलाइज़ेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट। सन् १९५९ के अन्दर हमारी सरकार ने एक योजना बनाई और योजना बनाने के बाद ५.० लाख की १०० बसें खरीदी गई। बसों की खरीद के सम्बन्ध में अनियमिततायें हुई, उनका जिक्र मैं नहीं करूंगा। लेकिन उसका एक डिपार्टमेंट खोला गया, उसके लिए जनरल मैनेजर बुलाया गया। उसके बाद ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स नियुक्त किये गये; १०२ ड्राइवर्स और ८० कन्डक्टर्स नियुक्त किये गये। खलासी और स्टोर कीपर की गिनती बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह करके हमारी सरकार ने रुपया खर्च किया और खर्च करके इस बात की योजना नहीं बनाई कि जो नेशनलाइजेशन कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप कानूनी स्थिति क्या होगी और इस स्थिति का बिना ध्यान किये ही सिरोही मोटर बस सर्विस उस रूट पर चालू की और उस रूट पर गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया। राजस्थान मोटर व्हीकल्स एक्ट और नेशनलाइजेशन की व्यवस्था के अनुसार किसी रूट को नेशनलाइज़ करने से पहले रूलस बनाने पड़ते हैं, लेकिन बिना रूल्स बनाये ही सिरोही बस सर्विस के नाम से बसें चला दीं। लोग हाई कोर्ट में गये, उनको स्टे मिल गया, हमारी गाड़ियां बन्द कर दी गई। सरकार ने देखा कि नियम बनाना जरूरी है इसलिए नियम ८ सितम्बर, १९६० के गजट में प्रकाशित करवाये और ओब्जेक्शन्स इन्वाइट किये, ओब्जेक्शन्स इन्वाइट करने के लिए ७ दिन का नोटिस दिया गया। ७ दिन की नोटिस की अवधि ओब्जेक्शन्स इन्वाइट करने के लिए अपर्याप्त थी, हाई कोर्ट में लोग गये, रिट पिटिशन को स्वीकार करते हुए नेशनलाइज्ड रूट्स पर स्कीम को रद्द कर दिया। फिर जुलाई के महीने में हमारी सरकार ने नोटिफिकेशन इश्यू किया और ओब्जेक्शन्स इन्वाइट करने के लिए एक महीने का नोटिस इश्यू किया। सितम्बर में स्कीम्स को प्रकाशित करवाया। जो ऑब्जेक्शन्स आये उनको डिस्पोज़ ऑफ करने के लिये श्री लहरसिंह मेहता को, जो लीगल रिमेम्ब्रेन्सर हैं, रखा। पर उन्हें केवल दो अधिकार दिये: "You can modify or accept the scheme. You cannot reject the scheme." इस बेसिस को लेकर लोग सबसे पहले हाई कोर्ट में गये, वहां उनकी रिट नामंजूर की गई इस पर सुप्रीम कोर्ट में गये, वहां से स्टे मिल गया और हमारी राजस्थान सरकार आज हाथ पर हाथ रख कर बैठ गई। आज राजस्थान सरकार चाहे १२०० रुपया रोज के घाटे पर अजमेर रूट पर गाड़ियां चलाये, पर सारी की सारी नेशनलाइजेशन की स्कीम राजस्थान सरकार की थी वह खत्म हो गई। इसको खत्म करने के पीछे कोई कोइन्सीडेन्ट, डेलिबरेट एक्शन है। हमारे दो रूट्स के बारे में निवेदन करूं; एक है जयपुर-अजमेर और दूसरा है जयपुर-देहली। जयपुर-उदयपुर का रूट नेशनलाइज़ नहीं हो सकता। हमारे मुख्य मंत्री उदयपुर के रूट को कभी नेशनलाइज़ नहीं होने देंगे, जयपुर में हालांकि सारे रूट्स को नेशनलाइज़ किया है। यहां भी दो मोटे झगड़े फंसे हुए हैं, एक चाहते हैं जयपुर-अजमेर का नेशनलाइजेशन, दूसरे चाहते हैं जयपुर-देवली का

(श्री भैरोंसिंह)

होना चाहिये। शर्म आती है जब अखबारों में खबर पढ़ते हैं कि मोटर वालों ने ६६,०००) रु० कलेक्ट किया है; ऐसा कलेक्शन करने के बाद में इतना रुपया चाय, पानी, कागजों में तो खर्च नहीं होता, जो लोग उत्तरदायी पदों पर बैठे हैं उन लोगों को खुश करने के लिए इस प्रकार का कलेक्शन काम में आता है, इसलिए साफ है कि डेलिबरेटली इस प्रकार की बातें, कमियां रखवाई गई हैं........

यह डेलिबरेट एक्शन नहीं है तो लॉ डिपार्टमेंट के अधिकारों को डिस्मिस कर दिया जाना चाहिये। आपके आदमी इतने अयोग्य हैं, वे यह नहीं जानते कि नियम, स्कीम्स, नेशनलाइजेशन की स्कीम किस तरह से लागू होगी। यह हंसी-खेल नहीं। लाखों रुपयों का बजट लॉ डिपार्टमेंट पर खर्च हो रहा है। इसे समाप्त कर देना चाहिये। राजस्थान में जब तक यह लॉ डिपार्टमेंट है कई अनियमितताएं होंगी।

राज्यपाल महोदय ने खास तौर से एक चीज़ का अपने अभिभाषण में जिक्र किया है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज़ेशन का। सदन में कुछ इस प्रकार की चर्चाएं हुई कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर जाटवाद पनपा है। मैं समझता हूँ, राजस्थान में यदि ईमानदारी से सब स्थिति को देखें तो मैं कह सकता हूँ कि कोई जाटवाद नहीं पनपा है। जाटवाद पनपने की बात कुछ इन्ट्रेस्टेड लोगों ने पैदा की है, जब कि हमारे एक मंत्री महोदय कहने लग गये कि मैं गैर जाटों का लीडर हूँ। समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि राजस्थान के राजस्व मंत्रीजी ने गैर जाटों की कमान अपने हाथ में ले ली है। जिनके विरोध में यह कमान हाथ में ली जाती है तो इसका असर उन पर पड़ता है। सीकर, झुंझुनू जिले में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़े हैं, कोई जाट, गैर जाट, राजपूत, गैर- राजपूत की भावना वहां नहीं पाई गई। अधिकारियों और जनता ने चुनाव लड़े हैं, सारे के सारे अधिकारी इस प्रकार काम कर रहे थे जैसे कि वे राजनैतिक दल के सदस्य हों। सरकार को सूचना थी, पर वह कुछ कर पा नहीं रही थी। पंचायतों में पंचों और सरपंचों के चुनावों के कारण ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं कि जातिवाद पनपा है। मैं तो कहूँगा कि जातिवाद पनपाने की जिम्मेदारी सरकार की है। जब ऐसी बात फैलाई गई थी कि गैर-जाटों का अलग संगठन बनाया गया है, राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर, श्री दामोदरलाल व्यास, ने गैर जाटों की कमान अपने हाथ में सम्हाली है; तो जिनका नाम लिया जाता था वे इसका खण्डन करते कि मैंने कोई गैर जाटों की कमान अपने हाथ में नहीं ली है; जाट, गैर जाट की कोई स्थिति यहां राजस्थान में नहीं है। यदि ऐसी बात राजस्व मंत्रीजी की ओर से कही जाती तो आज जो कटुता फैली है, उसके फैलने का कोई कारण नहीं होता।

वैसे कोई इस तरह की स्थिति यहां नहीं है। हमने जाटों को सपोर्ट किया है। कई जगह जाटों के कारण राजपूत और राजपूतों के कारण जाट जीते हैं। पर आज यह स्थिति चल रही है कि हमारे यहां एक जाट मंत्री हैं राजस्थान की

(श्री भैरोंसिंह)

केबिनेटमें। उनको राजस्व मंत्रीजी नहीं चाहते। इसलिए वे चाहते हैं कि जाटवाद पनपाने के नाम पर बाहर किया जाय। आप हटायें, पर इस प्रकार जातिवाद और कटुता को पनपा कर करते हैं तो यह परम्परा गलत होगी।

अब मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी क्वीन की विजीट को लेकर हमारे सदन में ऐसी बातें कही गई, एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जयपुर के महाराजा को डिथ्रोन किया जाय, उन्होंने कहा कि जयपुर के महाराजा ने कुछ स्टूजेज़ को इन्वाइट करके दरबार किया। मैं समझता हूँ, या तो यह हो सकता है कि उन्होंने दरबार देखे नहीं, या यह हो सकता है कि लोग अच्छी ड्रेसेज पहन कर चले आये तो वह उनकी निगाह में दरबार हो गया। पर उन्होंने 'स्टूजेज़' शब्द का इस्तेमाल किया है। आज हिज़ हाईनेस और यहां के जागीरदारों का ब्लड रिलेशन है और ब्लड रिलेशन होने के नाते ऐसा जरूरी है कि उन पर इनके अहसान हो सकते हैं। पर उन माननीय सदस्य के ऊपर क्या अहसान हो सकते हैं जो वे मुख्य मंत्री महोदय के और राजस्थान के राजस्व मंत्री जी के स्टूज के रूप में इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्हें खुश करने में लगे हुए हैं। मैं समयाभाव के कारण सारी स्थिति पर नहीं कह सकता, यह तो माननीय सदस्य ने जयपुर महाराजा को डिथ्रोन करने को कहा इसलिए कहा।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : De hrone! Where is the throne ?

श्री भैरोंसिंह : यह आपके दिमाग में आ सकता है।

आज कहा जाता है कि १९६० तक राजस्थान सरकार ने राजस्थान के नागरिक की पर–केपिटा आमदनी बढ़ा दी है, जागीरदारी को खत्म कर दिया गया है, कृषकों की हालत सुधर गई है। यह सब होने के बाद जिस दिन जयपुर की महारानी स्वतन्त्र पार्टी जोइन करती हैं सारा मंत्रि–मण्डल बौखला उठता है। इससे पता चलता है कि १४ वर्षों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस यदि जनता के घरों में घुस जाती तो महारानी के कारण उनको परेशानी नहीं होती।

श्री चन्दनमल बैद : कोई परेशानी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप चाहे परेशान नहीं हों, आपके मुख्य मंत्री महोदय हैं, उन्होंने इतना अनडेमोक्रेटिक बयान दिया है। यदि वे कांग्रेस टिकट पर खड़ी होतीं तो कुछ नहीं, कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी जोइन कर लेती हैं तो उन्हें अनपेट्रियोटिक, अन-डेमोक्रेटिक, एन्टी-नेशनल; एन्टी रीपब्लिकन, जितनी भी गालियां जिस भाषा में दी जा सकती हैं उतनी दे दी जाती हैं। मैं सरकार से कहूँगा कि सरकार जनतन्त्र की हामी है, जनतन्त्रवादी सरकार धमकियों का प्रयोग नहीं कर सकती, यदि वह धमकियां देते हैं तो वे जनतन्त्र में विश्वास नहीं करते।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि मन्त्रियों की इन्सल्ट की। जिन्होंने ऐरोड्रोम में देखा होगा उन्हें पता होगा कि सबसे पहले राज्यपाल महोदय का इन्ट्रोडक्शन कराया गया; डिग्री ऑफ प्रिसिडेन्स के अनुसार राज्यपाल महोदय पहले माने जाते हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

डिकी ऑफ प्रिसिडेन्स के अनुसार जिनको १७ तोपों की सलामी मिलती है वे प्रिन्स दूसरे नम्बर पर आते हैं, पर वहां तीसरे नम्बर पर प्रिंस का इन्ट्रोडक्शन किया गया। प्रिंस की अवहेलना हुई है, उसकी कोई बात नहीं करता और जयपुर के हिज़ हाईनेस स्वतन्त्र पार्टी का साथ दे रहे हैं इसलिये उनके लिये कह देते हैं कि उन्हें डिथ्रोन किया जाय।

३० जनवरी के दिन मुख्य मंत्री महोदय उदयपुर के महाराणा साहब के साथ क्वीन के साथ थे, उन्होंने क्वीन के प्रोसेशन रूट में साथ यात्रा की। महाराणा साहब के यहां जलसा हुआ, उसमें आप साथ थे। वहां आपको कौन रोक सकता था? महाराणा ने वहां पर लोगों को खाना दिया। सबसे ज्यादा खेद की बात यह है कि उस दिन ३० जनवरी का दिन था जो महात्मा गांधी का निधन का दिन था और वह दिन 'ड्राई डे' था। कोई भी व्यक्ति उस दिन शराब नहीं पी सकता था। वहां सरकार ने लोगों को शराब पिलाई। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर कोई मामूली व्यक्ति किसी को शराब पिलाता या पीता तो उसका चालान कर दिया जाता, लेकिन वहां मुख्य मंत्रीजी की मौजूदगी में व महाराणा की मौजूदगी से लोगों को शराब पिलाई गई। चाहे वे दूसरे कमरे में ही बैठे रहे हों और शराब दूसरे कमरे में पिलाई गई हो मगर ये सारी बातें उनके सामने हुई। अगर रानी का स्वागत करने में जयपुर के महाराजा को गद्दी से उतारने की बात करते हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस मामले में हमारे मुख्य मंत्रीजी को भी प्रोसिक्यूट किया जावे। तब ही दोनों बातें बराबर चलेंगी।

(विराम)

ऐसी स्थिति में हमें अपना दृष्टिकोण दूसरा बनाना पड़ेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष, मैं इस सम्बन्ध में एक बात और कहूँगा और फिर अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

मैं अपने मुख्य मंत्रीजी का ध्यान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे कॉन्सिटट्यूशन में कुछ डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं जिनको सरकार को पूरा करना चाहिये, मगर उनको भी निग्लेक्ट किया गया है और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन, सेपेरेशन ऑफ ज्युडिशियरी फ्रोम दी एग्ज़िक्युटिव, लोगों को पानी पीने की व्यवस्था, लोगों को काम करने के हक आदि इस प्रकार की और भी कितनी ही बातें हैं जो हमारे संविधान में डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के नीचे आती हैं। इसकी तरफ हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्राइमरी एजुकेशन कम्पलसरी होनी चाहिये, जुडिशियरी और एग्ज़िक्युटिव दोनों अलग अलग होने चाहिये, मगर अभी तक नहीं हुई हैं। हालांकि आपने बाफना कमेटी इसके लिये बैठाई और उसने एग्ज़िक्युटिव को जुडिशियरी से जल्दी सेपरेट करने की व्यवस्था दी, मगर उस पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया

(श्री भैरोंसिंह)

है। अगर आप इसको अलग अलग नहीं करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि जिस व्यक्ति को आपने आज जुडिशियल ऑफिसर बनाया उसी को आप डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन में, पंचायतों में, कोई अधिकारी बना कर कैसे भेज सकते हैं ? इस प्रकार के रद्दोबदल करने से राजनैतिक पार्टीज़ के प्रति कुदरती उस व्यक्ति के फीलिंग्स किएट हो जाते हैं और वह यह समझता है कि आज वह एक मजिस्ट्रेट है, हो सकता है कल वही किसी भी पंचायत में अधिकारी बन कर चला जावे। वहां उसको चुने हुए लोगों के साथ काम करना पड़ता है और इस तरह से उसके दिमाग में यह बात आ जाती है कि अन्ततोगत्वा उसको राजनैतिक नेताओं की शरण में जाना ही है तो उनके इशारों पर ही कार्य क्यों न किए जाए ? इसलिये बगैर इन्डिपेन्डेन्ट जुडिशियरी के वह लोगों को इन्डिपेन्डेन्ट जस्टिस नहीं दे सकता। बाफना कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने अभी तक कोई अमल नहीं किया है।

इसी तरह का हाल शराब–बन्दी का है और इसी तरह मजदूरों के मामलों का हाल है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स पर हमारी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिये मैं सरकार को माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार जो पब्लिक में विश्वास नहीं करती है और जो सरकार है, वह सत्तारूढ़ दल ११६ विधान सभा के सदस्यों के बल पर है, जनता का पूरा कोन्फीडेन्स जिसमें नहीं है ; आज ११६ सदस्यों के हिसाब से आंका करें तो मैं यह कहूँगा कि वे ११६ ही हैं।

अब यह कहा जाता है कि इलेक्शन में जीतते हैं। मैं यह कहूँगा कि डन्डे और सत्ता के बल पर जीतते हैं, पब्लिक के बल पर सरकार नहीं जीत सकती। हाल ही में हुए पंचायतों के इलेक्शन में जिसके लिये हमारी सरकार प्रजातन्त्र की बातें कहती है, हमारे मुख्य मंत्री कहते हैं कि प्रजातन्त्र के चिराग हर झोंपड़ी और गांव के घर घर में रोशन कर देंगे। मगर मैं यह कहूँगा कि इस समय भी ६५ राजपूत चुन कर आये हैं। अगर प्रजातन्त्र का चिराग घर घर और झौंपड़ों में रोशन होता तो ये चुन कर नहीं आते। सरकार आज केवल सत्ता और डन्डे के बल पर ही जीतती है। किसी अधिकारी को दबा कर, किसी को प्रलोभन देकर, किसी को परमिट देकर इस प्रकार के दूसरे हथकन्डों को काम में लेकर सरकार कार्य करती है तब कहीं जीतती है। मैं यह कहूँगा कि इस प्रकार के सारे हथकन्डे चुनावों में काम में लिये जाते हैं और इसी से सरकार चुन कर आती है।

राजाओं के प्रीवी पर्स बंद करने के बारे में चर्चा की जाती है। मैं यह कहूँगा कि राजा लोगों ने चुनावों में खड़े होने का तय किया है, उससे आपको चिन्ता होती है। महारानी ने स्वतन्त्र पार्टी जोइन की है उससे आपको चिन्ता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये चिन्ता की क्या बात है, आप लोग भी खड़े होते हैं। जिस प्रकार उनको प्रिविलेज़ है आपको भी प्रिविलेज़ है। आज, मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और मंत्री आदि एक साधारण नागरिक की हैसियत से जिस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

हम लोग खड़े होकर साधारण नागरिक की हैसियत से चुनाव जीत कर आते हैं, खड़े हों और फिर जीत कर आवें तो पता लगे कि किस प्रकार जीत कर आ सकते हैं।

अन्त में, मैं यही कहूँगा कि कई चीजें राज्य पाल महोदय के भाषण में नहीं कही गई हैं और कई चीजें गलत और ठीक तरह से नहीं कही गई हैं व कई चीजों का मिसरिप्रेजेन्टेशन किया गया है, इन सब बातों को देखते हुए यह जो भाषण राज्यपाल महोदय ने दिया है वह अच्छा और सतर्कतापूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल महोदय को जो धन्यवाद देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करता हूँ और सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को ठुकरा दें तो उचित होगा। सदन इस पर विचार करेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) ; कुछ दिनों से, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभि भाषण पर वाद–विवाद चल रहा है और आज इस वाद–विवाद का अंतिम दिन है। हमें जैसा कि कहा गया है, इस बार यह अभिभाषण एक प्रकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना के आखिर के समय का अभिभाषण है और इसलिये स्वभाविक रूप से इसमें दूसरो पंचवर्षीय योजना-काल के अन्दर जो हमारी उन्नतियें, जो हमारी खामियें रही हैं, जो हमारी सफलताएं, जो हमारी असफलताएं हैं, उनका दिग्दर्शन कराया गया है और जिस रूप से इसको रखा गया है, माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहने में कोई संकोच नहीं महसूस करता कि राजस्थान आगे बढ़ता जा रहा है। आज का राजस्थान पिछले १० वर्ष के राजस्थान से काफी आगे बढ़ा है और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है, अगर जैसा कि हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में काम किया है, उसी रूप में आगे चलते रहे तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि राजस्थान की उन्नति काफी अग्रसर होती रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां हम ऐसा महसूस करते हैं कि राजस्थान आगे बढ़ रहा है वहां हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो ऐसा महसूस करते है कि राजस्थान की प्रगति अच्छी नहीं हुई है और उसमें उनको कई खामियें मालूम पड़ी हैं। उनको अपना नक्शा अपने ढंग से देखने का और अपने विचारों को अपने ढंग से रखने का अधिकार है। मगर मुझे कभी कभी हैरानी तब होती है जब हम एक तरफ दूसरों को यह कहते हैं कि उन्होंने तथ्यों को गलत तरीके से रखा है और वे ही लोग तथ्यों को न केवल सही ढंग से नहीं रखते हैं बल्कि उनको तोड़–मरोड़ कर यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, अथवा जो किया जा रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं जो कुछ भी निवेदन कर रहा हूँ, इस निवेदन करने में मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि राजस्थान आज हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में आगे है अथवा मेरा यह भी तात्पर्य नहीं है कि राजस्थान ने इतनी तरक्की कर ली है कि जिससे उसको अब कुछ भी करना बाकी नहीं रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के सम्बंध में उन्होंने ऐसे राजनैतिक प्रश्नों को जोड़

(श्री हरिदेव जोशी)

दिया है कि जिनकी आवश्यकता नहीं थी ।

अभिभाषण में उसके बारे में कोई उल्लेख भी नहीं था । लेकिन कांग्रेस और....

(१. ४०. म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

स्वतन्त्र पार्टी, उनको भी इस बीच में लाने की कोशिश की गई और इसलिए मैंने यह आवश्यक समझा कि आपके समक्ष इन सब बातों के बारे में कुछ निवेदन करूं । अभी मेरे एक माननीय मित्र, उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहे थे कि राजस्थान की वर्तमान सरकार अपनी पिछली सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती है । मेरा ऐसा ख्याल है कि इस प्रकार की बातें करके वे माननीय सदस्य किसी की सहानुभूति नहीं पा सकते । एक जमाना था जब कि वे माननीय सदस्य इस सदन के एक माननीय मन्त्री को हमेशा हेट करते रहते थे । आज मुझे यह जानकर खुशी हुई कि उन्हीं माननीय मन्त्री की उनको सहानुभूति प्राप्त हुई है । बड़ी खुशी है कि उनका हृदय-परिवर्तन हुआ और उनका यह कहना भी सही है कि एक जाति को बदनाम करते हैं तो दूसरी जाति का रि-एक्शन होता है । यह सही है । जब कि एक मन्त्रि-मंडल के एक जाति के सदस्य के प्रति किसी दूसरी जाति के सदस्य के प्रति दुर्भावना की बात करते हैं तो मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि जब एक व्यक्ति एक को नीचा गिराने की या खत्म करने की कोशिश करता है तो दूसरा व्यक्ति अपने आपको कन्सोलिडेट करने की कोशिश करेगा और सुरक्षित करने की कोशिश करेगा, लेकिन यह भी कह देना चाहता हूँ कि उन माननीय सदस्य के पल्ले कुछ भी नही पड़ने वाला है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आपकी झोली भी खाली ही रहेगी ।

श्री हरिदेव जोशी : उनको राजस्व मन्त्रीजी खूब जानते हैं, उनको भूतपूर्व ट्रान्सपोर्ट मन्त्रीजी भी जानते हैं । इसलिए बहतर होता कि इन थोथी चीजों में वे सदन का समय नहीं लेते ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने बाजार में कई दवा फरोशों को देखा है जो बड़ी ऊंची आवाज में दवा, मंजन अथवा कोई चीज़ बेचने का काम करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपको इस भाषण के स्तर के लिए धन्यवाद ।

श्री हरिदेव जोशी : आपको मेहरबानी करके अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं लेना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : आपका गिरा हुआ स्तर आ रहा है, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री हरिदेव जोशी : आपको अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं लेना चहिये ।

श्री भैरोंसिंह : आपका जैसा स्तर आ रहा है, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे स्तर के लिए

(श्री हरिदेव जोशी)

आपको धन्यवाद ।

लेकिन हम जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जिस चीज़ का बाजार में जाकर वे बहुत जोर से प्रकाशन करते हैं, वास्तवक्त अपनी बीमारी के लिए उस चीज़ को इस्तमाल नहीं करते और अभी हमने देखा कि कांग्रेस और स्वतन्त्र पार्टी, राजा और महाराजा और कांग्रेस इसको लेकर एक माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस के हल्कों में एक प्रकार की परेशानी पैदा हुई, हैरानी पैदा हुई इस बात के लिए कि जयपुर की महारानी स्वतन्त्र पार्टी में सम्मिलित हुई हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की महारानी स्वतन्त्र पार्टी में शरीक होती हैं अथवा जयपुर को महारानी जन संघ में शरीक होती हैं, मुझे उससे कोई हैरानी नहीं है। यह एक सर्व विदित चीज़ है कि कांग्रेस राजा और महाराजाओं से लड़ी है और कांग्रेस ने राजा—महाराजाओं से लड़ कर राजस्थान में और दूसरी रियासतों में उत्तरदायी शासन कायम किया है और जिस समय राजा—महाराजा अपने सम्पूर्ण शासन के अधिकारों में थे तब उस समय भी कांग्रेस उनसे लड़ कर जनता के लिए हुकूमत ले सकी, जनता के लिए हक ले सकी । आज उनके पास अधिकार नहीं है, कुछ भी करने को नहीं है। कांग्रेस के लिए डरने को कुछ भी नहीं रह जाता है । एक जगह कांग्रेस जीतती है अथवा हारती है, इससे कुछ भी बिगड़ने का नहीं है। अलबत्ता मैं यह जानता हूँ कि परेशानी किसको है और क्या परेशानी है ? कांग्रेस एक प्रगतिशील संगठन है । और स्वतन्त्र पार्टी का उद्भव, जैसा आज ही अखबारों में माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि कांग्रेस की कुछ प्रगतिशील चीज़ों का विरोध करने के लिए हुआ है। स्वतन्त्र पार्टी का उद्भव इसलिए नहीं हुआ है कि कांग्रेस ने जो कुछ किया है वह गलत किया है बल्कि स्वतन्त्र पार्टी का उद्भव इसलिए हुआ कि जो कांग्रेस ने प्रगतिशील कदम उटाया है वह रुक जाय। आज के अखबारों में माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि स्वतन्त्र पार्टी के संस्थापक राजाजी ने कहा है कि कांग्रेस का समाजवादी समाज की रचना का जो उद्देश्य है, उसका जो यह कार्यक्रम है वह उसको यदि वापिस ले ले तो मैं स्वतन्त्र पार्टी को ही खत्म कर दूंगा। तो जिस संगठन की नींव एक आदमी की मर्जी पर निर्भर करती हो, उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस को उनसे डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं कि देश की आजादी के बाद में भी राजा—महाराजाओं से कांग्रेस एक राजनीतिक संघर्ष करती चली आ रही है। आज राजस्थान में डूंगरपुर के महारावल साहब, जो स्वतन्त्र पार्टी के कन्वीनर हैं, तीन दफा कांग्रेस का मुकाबला कर चुके हैं और वे कांग्रेस से हारे हैं....

श्री भैरोंसिंह : जोधपुर के लेट हिज़ हाईनेस ने कांग्रेस को २४ में से २१ सीटों पर हराया था।

(विराम)

श्री हरिदेव जोशी : यदि डूंगरपुर के महारावल साहब ने अब भी कांग्रेस से मुकाबला किया तो वे कांग्रेस से हारेंगे।

(श्री हरिदेव जोशी)

लेकिन मैं एक बात देखता हूँ। मैं निवेदन करूंगा कि आज हम किसी राजनैतिक दल का विरोध करते हैं, आज हम डूंगरपुर महारावल साहब का विरोध करते हैं तो व्यक्तिश: रूप से इसलिए नहीं कि वे डूंगरपुर के महारावल साहब हैं और विरोध करते हैं, बल्कि इसलिए कि जिस पार्टी को वे लीड करते हैं, वह देश की प्रगति में, और कांग्रेस आॅर्गेनाइजेशन ने, देश की सरकार ने और पार्लियामेंट ने जो प्रोग्राम चुना है उस प्रोग्राम के प्रतिकूल पड़ता है। इसलिए हम आज मजबूती के साथ में....

श्री महेन्द्रसिंह (राजाखेड़ा) : टेस्टामेंट देते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : उनके उस प्रोग्राम का और बारे का विरोध करते हैं। यह हरगिज़ भी नहीं समझना चाहिये कि हम किसी व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा उन व्यक्तियों के खिलाफ चुनाव लड़े हैं जो किसी समय सरमायेदार थे, जो किसी समय किसी हैसियत में थे और आज मैं निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, एक जमाना था जब कि डूंगरपुर के महारावल साहब और दूसरे लोग, आज तो कहते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ऐसी है, अथवा कांग्रेस की गवर्नमेंट वैसी है, मुझे उस जमाने की याद आती है जब उनके पास शासन के सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित थे, उस समय भी कांग्रेस ने उत्तरदायी शासन उनसे प्राप्त किये, निरंतर लड़ कर प्राप्त किये....

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir. उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति इस सदन में नहीं है, जिस व्यक्ति को इस सदन में बोलने का मौका नहीं मिला है, उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई आलोचना नहीं हो सकती है। माननीय सदस्य डूंगरपुर हिज़ हाइनेस की आलोचना कर रहे हैं, उनको उनकी व्यक्तिगत आलोचना करने से बन्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सामान्यतया यह सिद्धान्त ठीक है कि सदन में जो सदस्य के रूप में नहीं हैं उनके सम्बन्ध में यहां नहीं बोला जाना चाहिये, लेकिन चूंकि यहां के पूर्व के भाषणों में इन सम्बन्धी संकेत बार बार आये हैं....

श्री भैरोंसिंह : 'डूंगरपुर हिज़ हाइनेस' शब्द किसी भाषण में नहीं आये।

श्री उपाध्यक्ष : उस सम्बन्ध में एक्सप्लेनेशन देना मुनासिब समझते हैं। माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि भाषणों के स्तर के आधार पर ऐसे रेफरेन्सेज़ न आवें तो अच्छा है। ये रेफरेन्सेज़ जरूरी नहीं हैं।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : References can be made to public addresses or public men.

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सब चीज़ों को बतलाना जरूरी समझता हूँ कि जिनको लेकर स्वतन्त्र पार्टी और कांग्रेस के लिए पिछले कई भाषणों में कहा गया है। राजस्थान में उन सब चीज़ों को साफ करना जरूरी था और इसलिए निवेदन किया था।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था, आज

(श्री हरिदेव जोशी)

अगर हम यहां किसी व्यक्ति का विरोध करते हैं तो इसलिये विरोध नहीं करते कि हम उस व्यक्ति से नफरत करते हैं या उसके बारे में कोई शिकायत है लेकिन आज अगर हम किसी पार्टी का विरोध करते हैं केवल इसलिये कि उस पार्टी के प्रोग्राम को हम आज की परिस्थिति के अनुकूल नहीं समझते । आज जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको पार्लियामेन्ट द्वारा स्वीकृति मिली हुई है, वे संसद द्वारा स्वीकार किये हुए हैं । ऐसे प्रोग्राम्स का आज एक पार्टी विरोध करती है, उसके विपरीत कदम उठाती है इसलिये हम उनका विरोध करते हैं । महारावल डूंगरपुर को ही ले लीजिये । महारावल पिछले लम्बे अर्से से राजनीति में दिलचस्पी लेते आ रहे हैं । जब तक वे किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे उनकी हैसियत एक व्यक्ति की हैसियत थी, उस समय हमने उनके बारे में कुछ नहीं कहा । लेकिन आज वे एक पार्टी के राजस्थान में संयोजक है....

श्री भैरोंसिंह : On a point of Order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति का जो इस हाउस में नहीं है यहां रेफरेन्स नहीं दिया जा सकता जिसके लिये रूल्स में साफ प्रोवीज़न है । उसके अनुसार एक व्यक्ति को लेकर रेफरेन्स नहीं दिया जा सकता कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, किस प्रकार का उसका जीवन है ? जो व्यक्ति सदन में आकर उत्तर नहीं दे सकता उसका रेफरेन्स नहीं दिया जा सकता ।

श्री विश्म्भर नाथ जोशी : He is a public man against whom it can be said.

श्री उपाध्यक्ष : That is pertaining to the policy of the party. I don't see any reason to restrain the Hon'ble member from speaking.

श्री हरिदेव जोशी : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद नहीं दिया जाता ।

श्री उपाध्यक्ष : I don't deserve thanks at the same time.

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य को आखिर परेशानी क्यों हो रही है ? जब वे माननीय सदस्य भाषण कर रहे थे उस समय भी मैंने उनके भाषण को तसल्ली के साथ सुना, आखिर उन्हें इतना क्या हो रहा है ? मैं भी जो कुछ कहता हूँ उसे वे भी तसल्ली के साथ सुनें ।

श्री भैरोंसिंह : परम्परायें टूटती हैं, इसलिये कहना पड़ता है ।

श्री हरिदेव जोशी : आपको इस बात के लिये परेशान होने की जरूरत नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि एक पार्टी में कोई शामिल होता है तो वह शरीफ हो जाता है, अच्छा हो जाता है और एक आदमी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो बुरा हो जाता है । दर–असल में यह बात नहीं है । जहां तक कांग्रेस का सवाल है उसने इस देश के सामने एक प्रोग्राम रखा

(श्री हरिदेव जोशी)

है जिसको संसद ने भी स्वीकार किया है। उसी प्रोग्राम के अनुसार वह अपनी नीति निर्धारित करती है, उसी प्रोग्राम को कांग्रेस आगे ले जाना चाहती है, उसी को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। उसमें जो लोग व्यवधान पैदा करना चाहते हैं उनको अधिकार है कि वे अपने अधिकारों का उपयोग करें मगर उसका अर्थ यह नहीं होता कि दूसरे राजनैतिक दलों से उनकी आलोचना के अधिकार छीन लिये गये हों। हमें भी यह कहने का अधिकार है कि अमुक दल की नीति देश के हित में नहीं है। किसी भी पार्टी की नीति की आलोचना करने का हरेक को अधिकार है जिस प्रकार माननीय सदस्य, जो जनसंघ में है, उनको जिस प्रकार से कांग्रेस की नीति की आलोचना करने का अधिकार है तो कांग्रेस के लोगों को अन्य पार्टी की नीति की आलोचना करने के अधिकार को छीन नहीं लिया गया है, हमें भी उतना ही कहने का अधिकार है। उपाध्यक्ष महोदय, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो कुछ भी कहा है वह ठीक कहा है। माननीय सदस्य के भाषण को सुनकर उस समय परेशानी होती है जब कि उन्होंने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और पंजाब के चीफ मिनिस्टर के स्टेटस आदि की कई बातें कहीं। मैं नहीं जानता उनके पास में क्या पैमाना है किसी के स्टेटस के मापने का ? उनका गज क्या है ? जो भी हो वह उन्हीं को मुबारक हो। मगर मैं ऐसा समझता हूँ, उनको चीज़ों को अपने ढंग से देखने की आदत है। उनको अपनी राय के मुताबिक सब की राय को नहीं मान लेना चाहिये। मुझे इस बारे में एक कहानी याद आती है उपाध्यक्ष महोदय एक हाथी को लेकर भिन्न-भिन्न लोगों ने भिन्न-भिन्न कल्पनायें की। एक का हाथ पीठ पर पड़ा तो उसने कहा हाथी तो चबूतरे के समान है, एक हाथ उसके पैर पर पड़ा तो उसने कहा हाथी तो खंभे के समान है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : अन्धे होंगे वे।

श्री हरिदेव जोशी : एक ने पूंछ पर हाथ रखा तो उसने कहा हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तीसरे ने उसके कान पर हाथ रखा तो उसने कहा हाथी तो छाजले की तरह होता है; इसी प्रकार की उनकी राय मालूम पड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के आज के नक्शे को हम उठा कर देखें....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आंख मीचकर देखें तो....

श्री हरिदेव जोशी : तो हमें पता चलेगा कि राजस्थान ने हर क्षेत्र में कितनी उन्नति की है। इस अभिभाषण के अन्दर उसका दिग्दर्शन कराया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने भी पिछली असफलताओं और आज की उपलब्धियों का जिक्र इसलिये किया और यह कह कर किया कि राजस्थान की मौजूदा सरकार पिछली सरकार को बदनाम करना चाहती है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वे यदि इस भाषण को ध्यानपूर्वक पढ़ते तो जहां इसमें सफलताओं

(श्री हरिदेव जोशी)

का दिग्दर्शन कराया है वहां हमारे यहां जो कमी है उसको भी बतलाया गया है । वह इसलिये कि जहां हमारी प्रथम योजना में खामियां रह गई थीं उनकी पूर्ति हमने दूसरी योजना में की है । जब हम देखते हैं कि पहली योजना में जहां हमारे यहां दो–तीन ही टैक्सटाइल मिल्स थीं उसके बाद आज जब राजस्थान का नकशा बदल रहा है, राजस्थान में औद्योगीकरण हो रहा है जिसमें राज्य सरकार इस प्रकार की नींव डालने जा रही है जिससे यहां अच्छी टैक्सटाइल मिल्स हों....

श्री भैरोंसिंह : अब तक कितनी टैक्सटाइल मिल्स खुली हैं नई ?

श्री उपाध्यक्ष : I feel too many interruptions don't add to the grace of the decorum. Yes, please resume.

श्री हरिदेव जोशी : और इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ जो राजस्थान सरकार की उपलब्धियां हैं वे ऐसी नहीं कि जिनके लिये हम यह कहें कि यहां कुछ नहीं हुआ । इसमें दो राय नहीं हो सकती कि यहां काफी कार्य हुआ है । उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन को ही लीजिये । यह यहां नया प्रयोग है और यह तथ्य भी है कि इसके अन्दर काफी खामियां भी हैं । कई गलतियां हो सकती हैं इसमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है । उस बारे में सुझाव आते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिये । आज राजस्थान में डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रे लाइजेशन के बाद में गुजरात में, आन्ध्र में और अन्य अन्य प्रान्तों में भी उसी प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं । आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर जो कुछ किया जा रहा है उन चीजों को ध्यान में रख करके हमको उनका लाभ उठाना चाहिये और जो खामियां हमारे कानून में रह गई हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये । जैसे कि चुनाव की प्रणाली है चुनाव का लम्बा होना, ये ऐसी चीजे हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है ।

इसी तरह से एक माननीय सदस्य ने, जो अभी यहां पर नहीं हैं, जिन्होंने भाषण देकर यहां उपस्थित रहना ठीक नहीं समझा हो, उन्होंने सवर्णों और हरिजनों के बारे में काफी कुछ कहा है । इसमें दो राय नहीं विधान के अन्दर हरिजनों और दूसरों को समान अधिकार प्रदान किये हैं लेकिन अभी तक समाज के अन्दर वे सब चीजें आ नहीं सकी हैं इसलिये निश्चित रूप से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूँ कि आज राजस्थान सरकार द्वारा जो हरिजन छात्रावास या आदिवासी छात्रालय वगैरह अलग अलग चला रखे हैं उनको खत्म किया जाना चाहिये । राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रकार के अलग अलग जाति के लोगों के लिये अलग अलग छात्रावास नहीं चलाये जाने चाहिये । जो भी हरिजन या आदिवासी छात्रालय हैं उनमें अन्य जाति के छात्रों को अवसर दिया जाना चाहिये ताकि वे उनके साथ रहें । राजस्थान सरकार द्वारा जिन लोगों को स्कॉलरशिप्स मिली हैं उनको उसमें रहने की सुविधा दी जा सकती है और इस प्रकार से जो जाति–सूचक नामों से छात्रालय चलते हैं उन सब को हर हालत में मिटा देना चाहिये । यह अलगाव की निशानी है । यह सवाल

Page No.66

(श्री हरिदेव जोशी)

राजस्थान सरकार के अन्तर्गत का सवाल है उसको इस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिये ।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर जिन उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जहां कुछ सफलताओं के बारे में जिक्र किया गया है उनमें इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में, पॉवर के बारे में, इन्डस्ट्रीज के बारे में, रोड और ट्रान्सपोर्ट के बारे में, सोशियल सर्विसेज़ के बारे में कुछ आंकड़े दिये गये हैं । मगर जो आंकड़े मेरे पास में हैं उनसे मुझे ऐसा लगता है हमारे इर्रिगेशन और पॉवर सेक्शन के अन्दर जहां हमारा प्लान प्रोविज़न था ४५.३६ का वहां ३८.२६ पोइन्ट खर्च हुआ है । इस प्रकार से एग्रीकल्चर सैक्टर के अन्दर ११.१३ का प्रोविज़न था, वहां पर १०.२८ का खर्चा हुआ है । दूसरी तरफ इन्डस्ट्रीज़ और माइन्स में ६.०४ का प्रोविजन था, उसके मुकाबले में ३.२० का खर्चा हुआ है । तो ये ऐसी चीजें हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये और यह प्रयत्न करना चाहिये कि जहां हम पिछड़े हैं वहां पर हमारी प्रगति कुंठित न हो जावे । मुझे हैरानी होती है यह देखकर कि जब एक तरफ हमारे बजट के एक क्षेत्र के अन्दर जैसे बिल्डिंग और रोड़ में जितना प्रोविजन था उससे ज्यादा खर्चा हुआ है, जब कि दूसरी तरफ काफी लैप्सेज हुए हैं । मेरे निवेदन का तात्पर्य केवल यह है कि अब तीसरी योजना के अन्दर यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि जो आज हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं और जो हमारे बजट प्रोविज़न्स हैं अथवा तीसरी योजना के प्रोविज़न्स हैं उनको अच्छे ढंग से पूरा कर सकें, इसकी कोशिश करनी चाहिये ।

इस प्रकार से मैं खास कर पॉवर सैक्शन में यह निवेदन करना चाहता था कि राज्यपाल महोदय के भाषण में कुछ जिलों के नाम तो बताये गये हैं कि उन जिलों में चम्बल की बिजली इस वर्ष चालू हो जावेगी; पर इसमें कुछ जिलों के नाम नहीं दिये गये हैं । वैसे माननीय विद्युत् मन्त्री ने बांसवाड़ा जिले के लिये यह आदेश दे दिया है कि कुशलगढ़ पॉवर हाउस का काम आगे न चलाया जाय क्योंकि वहां चम्बल की बिजली जावेगी । इस व्यवस्था के लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ । पर साथ ही निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इसे भी देखें कि निश्चित रूप से चम्बल की बिजली यहां चली जावे । कहीं ऐसा न हो कि वर्ष के आखिर में यह कहें कि हम तो यह पूरा नहीं कर सके ।

इसके बाद एक चीज़ जो मुझे निवेदन करनी चाहिये वह है शिड्यूल ट्राइब्स के बारे में । अभी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में आदिवासियों की तरक्की के बारे में कहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं महसूस करता हूँ कि आदिम जातियों और आदिवासियों की तरक्की के लिये जो किया जाना चाहिये था उतना नहीं किया गया । इरादतन नहीं किया गया है, ऐसी बात नहीं, पर हमारी कार्य–पद्धति गलत है इस लिये नहीं किया गया । हम राजस्थान में जो काम कर रहे हैं वह ऑल इण्डिया पैटर्न पर कर रहे हैं । हमारा जो नादोती का प्रोग्राम है वही बांसवाड़ा के लिये है । जब कि यहां और वहां

Page No.67

(श्री हरिदेव जोशी)

की आदिम जातियों के रहन–सहन रीति-रिवाज सब में फर्क है। हमने वहां की जातियों को आकर्षित करने के लिये अनुदान और दान की प्रणाली अख्तियार की है। पर बांसवाड़ा में इस प्रणाली ने एक प्रकार से उनकी संस्कृति को खत्म करके उनको एक तरह से भिक्षावृत्ति पर आश्रित कर दिया है ऐसा लगता है। इस प्रकार जो आज तक कभी भीख नहीं मांगते थे वे आज सब्सिडी लोन लेने में, रिलीफ लेने में एक प्रकार से आगे बढ़ते चले जाते हैं। यह पिछले वर्षों से डिटीरियोरेशन हुआ है, ऐसा मालूम पड़ता है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि उन सब कार्यक्रमों को जो उन सब जातियों को उठाने के लिये किये जाते हैं उनके लिये विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा मैं और निवेदन करना चाहता हूँ, गो कि वे सदस्य यहां हैं नहीं, पर उनकी भावना को चोट पहुंचाने का तो मेरा अभिप्राय था नहीं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है किसी प्रकार का आक्षेप करने के लिये नहीं कहा है। केवल स्थिति को स्पष्ट करने के लिये कहा था। इन शब्दों के साथ इस धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member from Nasirabad.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस धन्यवाद प्रस्ताव पर कई रोज से बहस चल रही है। जहां तक इस प्रस्ताव के समर्थन का सवाल है इसका काफी समर्थन अब तक हो चुका है। इसके बावजूद भी मैं आपके सामने, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो समर्थन ही समर्थन है। विरोधी दल में से कोई है ही नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वे सब मैदान छोड़ भागे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : खैर। आवाज तो मेरी उन तक पहुंच जावेगी, जो हम उठावेंगे आपकी मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : I can't convey your voice outside the House.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इस अभिभाषण में विशेष तौर से इसका जो महत्व है इस तरह से मानता हूँ कि आज पांच साल की हमारी टर्म में यह अन्तिम अभिभाषण है जिस पर कि हम धन्यवाद का प्रस्ताव पास कर रहे हैं, क्योंकि अगले बजट सैशन के वक्त नये चुनाव होंगे और इसके बाद नई असेम्बली होगी; इसलिये यह और भी आवश्यक है कि हम उन सारे मसलों पर जिनको कि हमने शुरू किया और यहां खड़ा किया उन पर पूरी तरह से गौर कर लें। गरीबी के साथ हमारी लड़ाई लड़ी गई और यह कहते मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राजस्थान सरकार ने हर तरह से हर मुहिम पर जबर्दस्त ढंग से इस लड़ाई को चालू रखने की कोशिश की है। सरकार ने बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रियल अन्डर-

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

टेकिंग को हाथ में लिया। मैं समझता हूँ, इनकी चर्चा जो हम अब तक कर रहे थे वे लगने वाले भी हैं। इस सम्बन्ध में इस इन्डस्ट्रियल पॉलिसी पर अपने कुछ विचार सदन के सामने रखना चाहता हूँ। आज हमारा पड़ौसी पंजाब बराबर इन्डस्ट्री में तरक्की करता जा रहा है और वह राजस्थान की कीमत पर कर रहा है। यहां के लोगों को जो कच्चे माल का कोटा लघु उद्योगों को चलाने के लिये मिलता है वह पंजाब वाले यहां से ले जाते हैं। इस पर मैं निम्न निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इसे रोके और जो बोगस इन्डस्ट्रीज हों उनको चैक करें; नहीं तो हमारे यहां इन लघु उद्योगों के जरिये जो अनएम्प्लॉयमेंट हम समाप्त करना चाहते हैं, जो गरीबी दूर करने का हमने एक मुहिम चला रखा है, वह हमारा मकसद फैल हो जावेगा। सही बात तो यह है कि हमारे यहां के कच्चे माल का करीब करीब चालीस पर्सेन्ट पंजाब वाले ले जाते हैं। मैं इसे अजमेर में अच्छी तरह से देखता हूँ। इस तरह से पंजाब के अन्दर लोग इस कदर महंगे भाव पर भी यहां से कच्चा माल ले जाकर कमाई करते हैं। इसको हमें रोकना चाहिये। मैं कह सकता हूँ कि इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के डाइरेक्टर और मिनिस्टर साहब की आज प्रतिष्ठा काफी ऊंची है। वे बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। पर इसके साथ इस बात को भी नहीं छिपाया जा सकता कि उनके नीचे जिस तरह की रिपोर्ट और कार्यवाही चलती है उसके द्वारा जो कोटा हमें भारत सरकार से मिलता है उसका पूरी तरह से उपयोग राजस्थान में यहां की गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट मिटाने में नहीं हो पाता। इस तरफ अगर सख्ती से कदम उठाया जावे तो मैं समझता हूँ कि फायदा हो सकता है। इसके साथ यह भी सही है कि जहां तक हमारी इन्डस्ट्रियल पॉलिसी और दूसरी पॉलिसीज़ का ताल्लुक है वह साउण्ड है। पर यह बात जरूर है कि जब हम काम में लेते हैं तो जरूर कुछ दिक्कतें आती हैं।

इसके बाद में हमारे वित्त मंत्री महोदय का ध्यान खादी बोर्ड की तरफ आकर्षित करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि खादी बोर्ड के बारे में यहां पर बहुत करप्शन की चर्चा होती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कई जगह पर कोई खादी नहीं बनाता, कोई रूई नहीं खरीदी जाती, कोई खरीदने वाला नहीं होता है, लेकिन खाली कागज भर कर और रजिस्टर तैयार करके खादी की संस्थाओं को बराबर चलाया जाता है। अगर वित्त मंत्री महोदय चाहें तो मैं ऐसी संस्थाओं का नाम भी लेने को तैयार हूँ। हम समझते हैं कि खादी कमीशन की तरफ से आता है और उनका इन्तजाम है। लेकिन जहां तक सरकार का ताल्लुक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस करप्शन को रोकना चाहिए। जितना खादी का यहां उत्पादन दिखाया गया है, जो आंकड़ों के जरिये दिखाया गया है अगर इतनी खादी पैदा हो जाये तो मैं समझता हूँ कि खादी लोगों के काम में आये, लोग खादी पहिनें तो मैं समझता हूँ मिल के कपड़े की बिक्री कम हो जाये आपके राजस्थान में। वित्त मंत्री महोदय जो कि खादी बोर्ड के चेयरमैन हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे हर गांव में जाकर देखें कि वहां पर खादी बनती है या

Page No.69

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

नहीं । वहां पर स्वावलम्बी स्कीम बनती है । आपके यहां यह भी होता है, बड़े बड़े साहित्यिक नाम हैं उन संस्थाओं के, तो उन संस्थाओं के घोटालों को दबा दिया जाता है और जब उनके बारे में कुछ कहा जाता है तो कहा जाता है हम तो हृदय-परिवर्तन में विश्वास करते हैं । इसके साथ ही मैं यह भी कह सकता हूँ कि ग्राम सेवा मण्डल जिसके कि आप प्रेसीडेन्ट हैं लैले साहब ने किशनगढ़ मिल का सूत मिलाया था, इसलिए इसका सर्टिफिकेट जब्त कर लिया गया था और उसके बाद में इसी ग्राम सेवा मण्डल संस्था को सर्टिफिकेट दिया गया है । इन बातों से इस तरह से हमारी कांग्रेस की प्रतिष्ठा नहीं होती है । खादी के काम को धर्म का काम लेकर चलना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं । मुझे उम्मीद है कि हमारे दा साहब जैसे गांधीवादी की छत्र-छाया के अन्दर इसकी देखरेख होगी....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : ग्राम सेवा-मण्डल की पुरानी बात का जिक्र कर रहे हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जी हां ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह कितनी पुरानी है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह आप ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप उसके प्रेसीडेन्ट हैं । पुरानी बात होने से इतना बड़ा पाप नहीं छिप जाता कि किशनगढ़ मिल का सूत काम में लाया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : दो साहब का मतलब नवीनता जानने का है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कमाल जब सामने आयेगा तभी तो मालूम होगा । मैं ज्यादा अर्से की बात नहीं करता, चार, छः साल की बात करता हूँ । उनका सर्टिफिकेट जब्त हुआ था और उससे काला मुंह हुआ था, खादी में काम करने वालों का । सब का सिर नीचा था और आपका सिर भी उस समय नीचा था । आप आज मुस्करा सकते हैं, लेकिन उस दिन नहीं मुसकराये थे, जिस दिन खाट पर सिर पकड़ कर बैठे थे । आप कहें कि यहां कुछ नहीं हुआ है, आप कहें कि राज्यपाल महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं वे आंकड़े सही हैं । मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप कोई भी कमेटी को बैठा दें वह जांच कर ले । आंकड़े बिल्कुल गलत हैं । आपकी तरफ से गलत आंकड़े आते हैं । मैं जोर से इसलिए कहता हूँ कि खादी के साथ हम सब का लगाव है । इसका हमारे ऊपर असर पड़ता है । आपको बहुत नागवार लग रहा है लेकिन ऐसी बातों का हमारी कांग्रेस पार्टी पर बहुत बुरा असर पड़ता है । मैं आपको एक नाम चांपानेरी गांव का देता हूँ जो कि सेन्टर है, जहां कि सेवा-मण्डल चलता है । मैं वहां के लोगों को जानता हूँ । उसके अन्दर बोर्ड के सिवाय कुछ भी नहीं है । वहां पर खादी नहीं बनती है, न वहां पर रूई खरीदी जाती है । खाली कागज भर कर रुपया वसूल किया जाता है । मैंने यह विश्वास प्रकट किया है कि आप जैसे गांधीवादी की नाक के नीचे नहीं होने दिया जायेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ ।

इसके बाद में मैं अब अन्तिम बात पर आता हूँ । हमारे कुछ दोस्त सीट्स पर नहीं हैं,

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लेकिन मैंने उनकी बातें बड़े गौर से सुनी थीं। वह खुद ही सवाल उठा लेते हैं और खुद ही जवाब दे लेते हैं। यह ठीक उस तरह की बात है जिस तरह किसी ने किसी से पूछा कि तुम्हारे कितने भाई हैं ? उसने कहा कि तीन हैं। इस पर पहले वाले ने कहा कि तुम अगर ५ भी हो जाओ तो क्या कर लो ? उसने फिर कहा कि नहीं हम तो तीन ही भाई हैं। उसने फिर कहा कि तुम पांच भी हो जाओ तो क्या कर लो ? तो सिवाय इस बहस के उनके पास और कोई बहस नहीं है। आज चार साल के बाद मैं बहुत अच्छी तरह से कह सकता हूँ यहां की सरकार को और यहां की सर्विसेज़ को और मैं उनको बहुत तहेदिल से बधाई देता हूँ कि चाहे कोई काम न हुआ हो लेकिन जो पंचायतों का और जिला परिषदों का जो विकेन्द्रीकरण किया है हमें इसका हमेशा गौरव रहेगा। इतिहास के अन्दर इस सेशन का, हम जिस सैशन में चुन कर आये हैं, इन पांच सालों में कांग्रेस सरकार ने और सुखाड़िया सरकार ने विकेन्द्रीकरण का काम किया है और उसके जरिये हमने गांव गांव और घर घर के अन्दर जनतन्त्र को पहुंचा दिया है, डेमोक्रेसी को पहुंचा दिया है, उसकी हद गांव गांव, खेड़े-खेड़े और घर-घर पहुंच चुकी है। हमने क्रान्ति की है। इस सरकार को इसका श्रेय जायेगा। इतिहास इस बात को मानेगा कि हमने डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन की जो पहल की है उसका इतना महत्व है, यह राजस्थान की सरकार को और कांग्रेस को श्रेय है। सिर्फ इस डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के नारे पर हम कहते हैं कि अगले इलेक्शन के अन्दर हम जीतेंगे। तुम हमारे मुकाबले में नहीं आ सकते। हमने गांव–गांव के अन्दर डेमोक्रेसी को मजबूत किया है, गांव–गांव के अन्दर आजादी को पहुंचाया है। हमने अपने अधिकारों को गांव वालों को दिया है। आप लोगों की क्या क्रेडिट है ? कुछ भी नहीं। आपने वोटों के लिए कोई स्ट्रगल नहीं की। यह तो आपने बेचारे अशिक्षित लोगों की वजह से या दूसरी वजह से वोट ले लिए और वह बेचारे चकमे में आ गये और आप यहां चले आये। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे वहां शिक्षा पहुंचेगी, लोग अधिकाधिक हमारा साथ देंगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस राजस्थान सरकार ने, सुखाड़िया सरकार ने इस राजस्थान के अन्दर जनता की आवाज को देखा और उसकी आवाज को और ताकत को इस तरह से मजबूत किया है कि इतिहास के अन्दर इसकी सानी नहीं है। हमारे पड़ौसी राज्य इसकी नकल करना चाहते हैं, विदेश के लोग देखना चाहते हैं। हमारे सामने एक इनकिलाब पैदा हुआ है, उसको हम खुद तसलीम नहीं करते, हम इस तरह से देखते हैं कि जैसे हममें अविश्वास हो। आज यह बौखलाहट विरोधी दल के लोगों में इसलिए है कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। अगले चुनावों के अन्दर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सिर्फ एक काम, और सब कामों को छोड़ दीजिए, डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन जो हुआ है और उसके अधीन जो समितियां बनी हैं और अपनी पॉवर्स को हमने गावों तक पहुंचाया है, यही क्रेडिट हमारे लिये काफी है, कांग्रेस के लिये काफी है। हम अगली मर्तबा पूरे जोर शोर के साथ यहां आयेंगे। अभी आपने देख लिया है और आगे भी देखेंगे। आज जिस तरह से

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जनता में जोश आप देख रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अजमेर से जैसे आपका पत्ता कटा वैसे ही और न कट जाय ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हमारा जैसा पत्ता कटा है वह तो आप जानते हैं। पत्ता तो आपका कटा है। हर चीज में आप गटर इन्सपेक्टर की तरह बुराई देखते रहते हैं। हर चीज में बुराइयां देखने की ही कोशिश करते हैं। कभी तो राम का नाम लो और अच्छी चीज को अच्छी कहो। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ क्योंकि यह मेरा आखिरी मौका है, ऐसा मौका फिर आने वाला नहीं है। मैं आप से अपील करूंगा कि किसी भली बात को तो अच्छा कहो। बार बार बुरी बातें कहने से उसका असर जाता रहता है। लोग कहते है कि ये तो यों ही कहा करते हैं। इससे आपके कहने का असर जाता रहता है। कभी आप जातिवाद को ले आते हैं, कभी किसी और चीज़ को ले आते है। जातिवाद बता कर आप उस चीज के महत्व से इन्कार करते है। लेकिन आज विदेशों से जो लोग आते है वे भी इस चीज की तारीफ करते है। यह वह चीज है जिसका स्वप्न कांग्रेस पंचायती राज्य स्थापित करने के रूप में देखा करती थी। इसकी हमने पहल की है। हम चाहते हैं कि हमारे गांवों में डेमोक्रेसी मजबूत हो, हम आगे बढ़ रहे हैं और आप बौखलाते जा रहे हैं। कभी आप राजाओं की हिमायत करते हैं। आप उनकी हिमायत करें, यह आपको मुबारिक हो, लेकिन दुनिया आगे बढ़ रही है, आप पुरानी बातों की लीक पीटते जाओ। मरी हुई भैंस में भूसा भर कर खड़ी करने का कोई असर नहीं होता। हम योजनाएं बनाते हैं, उनको पूरा करते हैं। हमको आपकी इन चीजों से खतरा नहीं है। खतरा कांग्रेस को नहीं है, खतरा जनसंघ को है जहां आपसे अधिक प्रतिक्रियावादी लोग खड़े हो रहे हैं और जनसंघ बौखला रहा है और कहते हैं कि हम तो थे ही ये हमारे चाचा कहां से खड़े हो गये। आज जनसंघ की क्या पॉलिसी हो रही है ? जनसंघ वाले जिस बात को कहना चाहते हैं राजाजी उसी बात को और भी अच्छे ढंग से कहते हैं। आप और आगे बढ़ते जाइये। क्या फर्क है आप में और उनमें ? तो बौखलाहट आपको है या हमको है ? आप बौखलाहट की वजह से अपनी शक्ल कांच में न देख कर दूसरे की देख रहे हैं, बौखला रहे हैं। हम किसी को डराना नहीं चाहते हैं, किसी को धमकाना नहीं चाहते है। हमको अपने आप में विश्वास है। कांग्रेस को अपने कर्त्तव्य में विश्वास है, अपने ध्येय में विश्वास है। देश को कहां ले जाना है, इसको हम जानते हैं। इसी विश्वास के साथ हम कहते हैं कि आप भी आइये। लेकिन जैसे बरसात के समय में हर तालाब और हर गड्ढे में जहां पानी भर जाता है और उनमें मेंढक टर्र टर्र करने लग जाते हैं उसी तरह से आपकी टर्र टर्र की हम परवाह करने लगें तो रह लिये।

राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में हमने कहा कि यह अभिभाषण उनके पांचवें साल का है और उसका महत्व इसलिये भी है कि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में कदम रख रहे हैं और इससे भी ज्यादा अच्छी चीज जो स्वर्णाक्षरों में लिखने

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लायक है वह है डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन । एक विचार क्रान्ति करके उसके अनुसार कदम उठाना हिम्मत का काम होता है । आज राजस्थान, आन्ध्र वगैरह में इस तरह की चीज हो रही है और राजस्थान ने इसकी पहल की है । इसका गौरव इस सरकार को हो सकता है, यहां की कांग्रेस को हो सकता है । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान ने पहल करके इस बात को बतला दिया है कि राजस्थान हर तरह की विचार–क्रान्ति के लिए तैयार है और विचार क्रान्ति से आगे बढ़ना हो तो जनता की ताकत से आगे बढ़ने में हम सक्षम हैं । हमने जो डीसेन्ट्रलाइजेशन का काम किया है उससे हम अमर हैं, हमारी सरकार अमर है, यह ऐसेम्बली अमर है । जब इसका इतिहास लिखा जायगा तब यह लिखा जायगा कि गांव गांव में डेमोक्रेसी को पहुंचानेवाली यह सरकार थी । इसी नारे पर मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान की जनता अगले चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट करेगी । यह एक ही काम ऐसा है जिसके सामने उसकी क्रेडिट पर कांग्रेस को पूरी कामयाबी मिलेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, हमारे इस सदन के सम्मुख राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसके सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने, इस ओर से और उस ओर से अपने विचार व्यक्त किये हैं और मैं जानता हूँ कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में हमारे जो अब तक के एचीवमेंट्स हैं, अब तक की जो उपलब्धियां हैं उनका दिग्दर्शन काफी अच्छे रूप में इस अभिभाषण में पढ़ने को मिलता है । इसके साथ ही हम आगे और क्या विचार रखते हैं, कहां पहुंचना चाहते है, कहां बढ़ना चाहते हैं, इस ओर भी संकेत किया गया है ।

आज से कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान प्रान्त में ऐसी स्थिति थी कि कभी मानव जीवन सुरक्षित नहीं था । जगह जगह डाके पड़ते थे, लूट–मार होती थी, भयंकर तबाही छाई हुई थी; लेकिन इन वर्षों में हमारे प्रदेश में काफी सुरक्षा है और मैं समझता हूँ कि मानव जीवन काफी सुरक्षित रखा गया है । आप सब लोग, इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य भी जानते हैं और बाहर के लोग भी जानते हैं ।

मैं इसके साथ ही राज्य सरकार से एक बात निवेदन करना चाहूँगा और वह यह कि एक ओर शान्ति और सुरक्षा की इतनी बड़ी व्यवस्था है वहां एक महत्वपूर्ण बात जिस ओर सरकार को सतर्क होना चाहिये, जिस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, मैं समझता हूँ, आज अखबारों में भी हमने देखा है कि एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण ३ व्यक्ति मारे गये और ४१ आहत हुए हैं । इसी तरह के आये दिन संवाद पढ़ते हैं, खबर मिलती रहती है । कुछ दिन पूर्व भारत सेवक समाज के वार्षिक उत्सव के अवसर पर नेहरूजी पधारे थे तब लोग बड़े उत्साहित थे । उसी समय सुवाणा गांव के पास मोटर दुर्घटना के कारण मायूसी छा गई और उसमें कई लोग भस्म हो गये । थोड़े ही

(श्री मनोहर कोठारी)

दिन पूर्व रिषभदेवजी के रास्ते में मोटर दुर्घटना में ४५ व्यक्ति जल कर भस्म हो गये। इसी तरह की खबरें सुनते रहते हैं, कई लोग इन दुर्घटनाओं में मर जाते हैं । जो लोग गुनहगार हैं उनको सजा देने का प्रावधान है। लेकिन जिनकी क्षति होती है उनकी क्षति पूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि इन्श्योरेन्स कम्पनीज़ इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। मैं भी मानता हूँ कि इन्श्योरेन्स कम्पनीज़ जिम्मेदार हो सकती हैं, लेकिन इन्श्योरेन्स कम्पनी तब तक इस काम को नहीं करती जब तक कोई व्यक्ति सिविल कोर्ट में जाकर अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से दूसरे प्रान्तों की सरकारों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिये ट्रिब्यूनल मुकर्रर किये जाते हैं जो दुर्घटना के कारणों की सही रूप से जानकारी करें और सर्किट कोर्ट्स की तरह जाकर निर्णय करें कि कौन जिम्मेदार है, कम्पनीज़ से मुआवजा दिलाने की व्यवस्था हो अथवा मोटर चालकों या मालिकों से मुआवजा दिलाना चाहिये। कई प्रान्तों में इस प्रकार की सहूलियतें हैं, हमारे यहां भी इस तरह की व्यवस्था करें तो ज्यादा उचित होगा।

इसके साथ ही एक बात यह उचित समझता हूँ कि जहां एक ओर हमारे प्रदेश में शिक्षा का उत्थान या विस्तार हुआ है वहा अब तक जितने लोग पढ़ने–लिखने के लिए बाहर जाते हैं, यों तो उच्च शिक्षा का जहां तक स्वाल है, बहुत अच्छा है लेकिन लोग बाहर जाते हैं जयपुर जैसी जगह में यदि विद्यार्थी चले जायं तो उनके लिए होस्टल की व्यवस्था, मैं समझता हूँ, पूरी नहीं हो सकती। इसके साथ ही मकानों की, आवास की समस्या इतनी भंयकर है कि लोगों को अच्छे मकान उपलब्ध नहीं हो सकते । जो गृहस्थ होते हैं उनके मकान में यदि कोई लड़का अकेला आकर किराये पर रहना चाहे तो मकान किराये पर नहीं देते। उदयपुर और दूसरी जगहों पर जहां कॉलेजों की व्यवस्था होती है वहां आवास की भंयकर समस्या होती है। मैं समझता हूँ उनके लिए और भी ज्यादा से ज्यादा होस्टल कायम करने की आवश्यकता है। यह सम्भव है कि राजस्थान सरकार के वित्त में इतनी गुंजाइश न हो, हमारी सरकार यह कह भी सकती है, पर मैं समझता हूँ कि इस सब के मूल में अच्छी शिक्षा का प्रश्न है, इसलिए हमें इस समस्या के बारे में कुछ न कुछ सोचना जरूर चाहिए।

मैं स्वयं भी हिन्दी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ और मैं चाहता हूँ कि हिन्दी हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा है, उसके द्वारा ही शिक्षा देनी चाहिये, लेकिन इसके मूल में जिस तरह की बातें मैं देखता हूँ उससे थोड़ा अफसोस होता है और वह यह है कि जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स, खास करके मिशनरीज़ के स्कूल चलते हैं उनमें हमारे मन्त्रियों के बच्चे पढ़ने जायं, राज्य के उच्चाधिकारियों के बच्चे पढ़ने जायं और आम जनता के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ें जिनमें खेल की व्यवस्था नहीं है, जिनमें डिसीप्लेन नहीं सिखाया जा सकता, जहां दूसरी और समस्यायें भी हैं। तो फिर हमारी शिक्षा का मापदण्ड क्या होगा ? मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य

Page No.74

(श्री मनोहर कोठारी)

सरकार यह निश्चय करे कि सार्वजनिक स्कूलों में जिस तरह की व्यवस्था होती है, उनमें या तो इस तरह की व्यवस्था कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह सम्भव नहीं है कि इस तरह की व्यवस्था कर सकें। तो फिर जो स्कूल इस तरह के हैं उनमें यह व्यवस्था होनी चाहिये कि जो रेस्ट्रिक्टेड एडमिशन देते हैं, वे बन्द हो जायं चाहे राज्य सरकार को आर्थिक अनुदान ही देना पड़े, वह अनुदान जरूर स्वीकार हो जाना चाहिये। कई बार इस तरह के उदाहरण मिलते हैं कि किसी व्यक्ति के बच्चा नहीं है लेकिन वह चार वर्ष पहले ही एप्लीकेशन दे देता है इस उम्मीद में कि जब बच्चा होगा, उसको स्कूल में एडमिशन मिल जायेगा। लेकिन गरीब व्यक्ति के बच्चे को, जो कि मेधावान है एडमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। इसलिए उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। मैं समझता हूँ इस सम्बन्ध में थोड़ा विचारना चाहिये कि क्या राज्य सरकार इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था कर रही है कि कुछ लोगों के बच्चे अच्छी शिक्षा लें और एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरी सर्विसेज़ में जायं और जो जन–मानस है, जन–साधारण है उसके बच्चे ठुकरा दिये जायं, पिछड़ा दिये जायं। कम से कम मैं इसे उपयुक्त नहीं समझता।

इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद मुझे एक बात की इसमें कमी लगी। गत वर्ष राज्यपाल महोदय ने बड़े उत्साह के वातावरण में और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में घोषणा की थी कि राजस्थान प्रदेश में शराब बन्दी करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और इसके लिए आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन इस अभिभाषण में उसका संकेत भी न मिलना, यह सोचने को बाध्य करता है कि या तो उस योजना को स्वीकार नहीं किया है या उस बारे में सरकार ज्यादा आतुर नहीं मालूम पड़ती है कि वह शराबबन्दी के बारे में ज्यादा सोचती हो। यह सम्भव है, माननीय वित्त मन्त्री यहां विराजे हुए हैं, वे यह कह सकते हैं कि मेरे कोष में घाटा हो जायगा यदि हम शराब–बन्दी की योजना को एकदम अपना लेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे बुराई के पैसे से राजस्थान का विकास होता है तो उसे आप अवरुद्ध हो जाने दीजिये लेकिन शराब–बन्दी जैसी बात का कार्यक्रम आप अपना लीजिये। शराब–बन्दी के लिए यह भी जरूरी है कि छोटे–छोटे गांवों के घरोंदों से वह शुरू नहीं होनी चाहिये, वह राज्य के कर्मचारियों और उच्चाधिकारियों से शुरू होनी चाहिये। जो लोग शराब पीते हैं, उनको रोका जायं। मैं समझता हूँ, उनको रोकने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये। जहां अच्छे कार्यक्रम को अपनाने के लिए इस बात की घोषणा की है कि एफीशियेन्सी के पॉइन्ट पर हम कुछ पैसा देंगे वहां मैं समझता हूँ, हमारी राज्य सरकार १५०), १००), और ५०) रुपये विशेष योग्यता वेतन, मेरिट पे के रूप में देना चाहती है। उसी तरह अच्छे चरित्रवान व्यक्तियों के लिए इस चीज़ को लागू कर दीजिये। इससे मैं समझता हूँ कि लोग आसानी से चरित्रवान बनेंगे और सर्विसेज़ में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इसके साथ ही आम जनता उस रास्ते पर लग जायगी।।

(श्री मनोहर कोठारी)

इसके अतिरिक्त एक बात जरूर महत्व-पूर्ण है। राज्य सरकार ने नेशनलाइजेशन ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट को हाथ में लिया, राष्ट्री-यकरण की योजना हाथ में ली। उसके लिये राज्य सरकार ने कोष से काफी पैसा भी खर्च किया है। लेकिन अभिभाषण में इसका संकेत न किया जाना कई विचार उत्पन्न करता है। या तो जिस योजना को हाथ में लिया है वह सफल नहीं होने वाली है या यह मान लेना चाहिये कि हमारी योजना इतनी सफल हो रही है कि उसके सम्बन्ध में हर एक व्यक्ति जानता है, उससे हर एक व्यक्ति परिचित है, इसलिए राज्यपाल महोदय ने जान-बूझ कर कोई इंगित नहीं किया है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये यह निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम हमारे राष्ट्रीयकरण की जो स्थिति है उसको देखते हुए थोड़ा इस तरह का अनु-भव होता है; क्योंकि हमारे राजस्थान रोडवेज़ की गाड़ियां सड़कों पर चलती हुई देखते हैं और उसके मुकाबले में इन्डिविजुअल आप-रेटर्स की गाड़ियां भी चलती हुई देखते हैं, तो थोड़ा दुःख होता है और वह दुःख इस-लिए होता है कि हमारी गाड़ियां खाली जाती हैं और दूसरी गाड़ियां खचाखच भरी हुई जाती हैं। उसका मूल कारण यह है कि जयपुर से अजमेर जाने वाली बस का किराया प्राइवेट ऑपरेटर्स कम लेंगे और राजस्थान सरकार नियमों के अनुसार किराया ज्यादा लेती है और इस कारण कुछ फर्क पड़ता है, यह माना जा सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि कोई स्कीम स्वीकार की है तो उसके सम्बन्ध में वक्त पर पूरी जानकारी होनी और उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से कार्यान्वित करना चाहिए वर्ना राष्ट्रीयकरण जैसी महत्वपूर्ण योजना है उसको आप यहां ही कहीं छोड़ न दें हमारे जो बड़े बड़े खनिज उद्योग हैं, जो इन्डिविजुअल एन्टरप्राइज पर चल रहे हैं, मैं समझता हूँ उनका राष्ट्रीयकरण राज्य सरकार को करना चाहिए। आज जब कोलार की गोल्ड की खानें आन्ध्र प्रदेश के द्वारा नेशनलाइज़ की जा सकती हैं तो मैं नहीं समझता कि यहां पर पन्ने की खान और मोडल की बड़ी बड़ी खानें हम नेशनलाइज़ क्यों नहीं कर सकते ? लेकिन हमारे यहां पर अगर मोटर ट्रान्सपोर्ट का अनुभव कड़वा निकला तो मैं समझता हूँ, इसके लिए हमारे यहां का जन–मानस तैयार नहीं हुआ। इस तरह की महत्वपूर्ण खानों और महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने में हम आगे बढ़ें, इसके मूल में हमें थोड़ी इस भावना को देखना होगा कि जिस बात को हम सोचते हैं उसके लिए हम आतुर भी हैं और उस काम को दत्तचित्त होकर पूरा करना चाहते हैं या नहीं ? जहां तक हमारे राज्य का प्रश्न है, हमने एक तरफ समाजवादी समाज की कल्पना कर रखी है और दूसरी तरफ यह निश्चय कर रखा है कि हमारी राज्य सरकार का स्वरूप कल्याणकारी व्यवस्था का स्वरूप हो। मैं समझता हूँ उस कल्याण के मूल में हमारे यहां श्रम के कल्याण के सम्बन्ध में हमारा जो प्रोग्राम है वह थोड़ा मुझे समीचीन नहीं लगता क्योंकि आज श्रम के सम्बन्ध में उदयपुर डिविज़न को लेते हैं तो भीलवाड़ा एक स्थान ऐसा है जहां मिनिमम वेजेज़ इन्सपेक्टर हमने रखा है और डिविज़न भर के अन्दर आज एक लेबर ऑफिसर है। इसी तरह से पूरे

(श्री मनोहर कोठारी)

डिपार्टमेंट्स के इन्सपेक्टर नियुक्त किये गये हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यह कल्पना नहीं कर सकता है कि यदि एक व्यक्ति पूरे तीस दिन तक दौरे पर रहे तो वह सब संस्थानों का निरीक्षण कर सकता है और सब बातों की जांच कर करता है। मैं समझता हूँ कि ऐसे स्थानों पर और व्यक्तियों की आवश्यकता पड़े तो उनको नियुक्त करें और जो मेहनत करते हैं, रात-दिन मजदूरी करते हैं और खून का पसीना बहा कर देश के लिए अन्न उत्पन्न करते हैं, उनका पैसा उनको पूरा न मिले तो इससे ज्यादा दुःख की बात और क्या हो सकती है। मैं एक ऐसे प्रेस की बात जानता हूँ जहां के मजदूर को मिनिमम वेजेज़ एक्ट के अनुसार ४०), ४५) रुपये मिलने चाहिए। लेकिन वहां उसे १५), १६) रुपये से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। उसकी लेबर इन्सपेक्टर को सूचना देने पर वह कहता है: उस तरफ जब कभी मैं आऊंगा, तब निरीक्षण करूंगा। इससे बहुत ही मुश्किल होती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की हमारे यहां व्यवस्था बदनी चाहिए और लेबर इन्सपक्टर वगैरह के विकास के बारे में हमको थोड़ा मानस बदलना चाहिए और राज्य सरकार को भी अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह है कि हमारे यहां पर जो डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ एसेन्शियल गुड्स हैं; जो आवश्यक पदार्थ हैं, जीवनोपयोगी पदार्थ हैं और जिनके नियन्त्रण के लिए राज्य सरकार ने कुछ व्यवस्था कर रखी है उसका दृष्टिकोण कुछ समझ में नहीं आया। सीमेन्ट को ले लीजिये, लोहे की चद्दर को ले लीजिये, लोहे के गर्डर को ले लीजिये और दूसरी दूसरी चीजों को लेलीजिये। आज यह स्थिति है कि आपको बाजार में सैकडों थैले, हजारों थैले उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिब्यूशन करने वाला है, जिसको आपने लाइसेन्स दिया हुआ है कि माल मंगवा कर लोगों को उपलब्ध करे वह ये गुड्स सप्लाई नहीं कर सकता। वे लोग फिक्टीशियस और झूठे प्रमाण-पत्र लेकर उसी व्यापारी को देकर चले जाते हैं और उस पर जो पैसा बंधा हुआ होता है, जो तय किया हुआ होता है, वह लेकर चले जाते हैं। आज स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ के नाम पर काफी माल आयात किया जाता है, पर वह इन इन्डस्ट्रीज़ को कहां मिलता है ? वे इन्डस्ट्रीज़ हैं भी कि नहीं; इस पर भी हमें सन्देह है। मुझे जानकारी है कि एक सहकारी समिति मोटर बिल्डर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग मेरे पास आये थे। उन्होंने मुझे बताया कि इतना कोटा उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिये नियत किया हुआ है। उदयपुर की कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोटा दिया गया जयपुर से। वे अपना परमिट यहां लाकर देते हैं तो परमिट रख लिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि माल अभी आया नहीं है, माल आयेगा तो दे दिया जायगा। इसके बाद धीरे से कहा जाता है कि ५००) रु० ले लीजिये, जितना मुनाफा मोटर की बॉडी बनाने से नहीं होगा उससे ज्यादा मुनाफा इस तरह हो जायगा।

तो सरकार की इस व्यवस्था में तब्दीली आनी चाहिये। कन्ट्रोल करते हैं तो उसकी प्राइस को कन्ट्रोल करके ऐसा इन्तजाम

(श्री मनोहर कोठारी)

कीजिये कि वह माल सबको मिले । यदि कोई इसमें गड़बड़ी करता है, या ब्लैक करता है तो उसको पकड़िये और सजा दीजिये । तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है ।

अन्त में मैं एक बात निवेदन करूंगा, श्रमदान के जरिये कई महत्वपूर्ण योजनाएं गांवों के लोग बना लेते हैं । लोग नहर निकालते हैं तो इस आशा से निकालते हैं कि उन्हें पानी मिलेगा । लोग काफी परिश्रम करके नहर बनाते हैं, यह राजस्थान सरकार की नॉलेज में रहता है कि लोग नहर बना रहे हैं, राज्य के अधिकारी देखते हैं कि लोग नहर बना रहे हैं और यह नहीं कहते कि इस तरह से पानी पहुँचाया जायगा या नहीं । जब लोग नहर बनाते हैं उस समय कुछ नहीं कहते बाद में यह दिक्कत आती है और वे लोग कहते हैं कि पानी कहां से पहुँचाया जाय । लोगों का पैसा खर्च हो जाता है, लोग बड़ा परिश्रम करते हैं, यह सब कुछ करने के बाद कहा जाता है कि यह सरकार द्वारा स्वीकृत स्कीम नहीं है । जहां तक योजनाओं को चलाने का सवाल है, यदि उसको अच्छी तरह से नहीं चलाया जाता तो उनमें से आम जनता का विश्वास आम तौर से खोता जाता है । जैसे डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन को ले लीजिये । डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन की बात जिस महत्वपूर्ण ढंग से कहते हैं और जितना महत्व आंकते हैं उसमें कमी हो जाती है ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

हमारे राजस्थान के इतिहास में ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन की स्कीम ऐसी योजना है कि जनता के हाथों में डेमोक्रेसी के अधिकारों को सौंप दिया है । हमारे सदन के प्रांगण तक डेमोक्रेसी सीमित थी वह गांव गांव में सौंप दी गई है और वे लोग अनुभव करने लगे हैं, वे लोग गांवों के अछूत, सवर्ण कुल मिला कर प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करने लगा है कि वह हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर प्रधान मन्त्री है और हमारे राजस्थान का वह चीफ मिनिस्टर है ।

उन लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किसी माननीय सदस्य ने कहा कि आज जातिवाद फैला है, तो उसके लिये जिम्मेदार वे ही हैं । सदन के प्रांगण में कुछ कह जाते हैं, सार्वजनिक प्रांगण में कुछ कह जाते हैं, यह सारी की सारी कहने की स्थिति है, उसे मैं तो कहूँगा कि जन मानस बिगाड़ने और डेमोक्रेसी को बदनाम करने की वे ही कोशिश करते हैं ।

इन भावनाओं के साथ राज्यपाल महोदय ने सारगर्भित, कम से कम उत्साहवर्द्धक भाषण दिया है, जिसमें आनेवाले वर्षों के लिये काफी योजनाएं रखी हैं, जो उपलब्धियां गत वर्षों में प्राप्त की हैं, उनका लेखा–जोखा यहां है, उन सभी भावनाओं के साथ में इसका अभिनन्दन करता हूँ और राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : Industries Minister.

एक माननीय सदस्य : साढ़े तीन बजे तक का ही समय रखा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : That is for Government's reply. He can participatein the debate.

(२.४५ म० प०)

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष, गवर्नर के अभिभाषण पर कुछ माननीय सदस्यों ने समाज कल्याण विभाग और उद्योग विभाग के बारे में कुछ बातें सदन के सामने प्रस्तुत की हैं। जहां तक समाज कल्याण विभाग का ताल्लुक है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ महानुभावों ने यह बताया कि राजस्थान सरकार की जो छूआछूत के निवारण करने की नीति है तथा समाज कल्याण विभाग के तहत में चलने वाली जितनी प्रवृत्तियां हैं वे ढकोसला मात्र हैं और इससे जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिये किसी भी प्रकार का कल्याणकारी कार्य करने में आगे नहीं आ सकी हैं। कुछ उदाहरण दे कर उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की है। मैं निवेदन करूंगा कि छूआछूत का कहीं एक–आध मामला हो गया तो उसको ले कर यह कहा जाय कि सरकार ने छूआछूत के निवारण के लिये जो कदम उठाया, जो काम किये, वे सब बेकार हैं, यह उचित नहीं। एक–दो उदाहरण दिये उनसे इसका मापदण्ड नहीं लगाया जा सकता। छूआछूत के केसेज़ सरकार के सामने आते हैं तो बाकायदा कार्यवाही की जाती है, उन केसेज़ का कोर्ट में चालान किया जाता है, बहुत से कोर्ट्स से बहुत से लोगों को कई केसेज़ में सजाएं भी हुई हैं।

और कई बातें कहीं। छात्रावास चलाने और दूसरी प्रवृत्तियों के बारे में, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिस प्रकार की रकम अनुसूचित जातियों के लिये थी उनकी स्कीम्स में उस रकम को खर्च करने की कोशिश की है। उनकी शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति देने का जहां सवाल है वहां काफी लोगों को छात्रवृत्ति दी गई है। इसी तरह छात्रावास खोलने, कोलोनीज़ बसाने, और कुंए आदि बनवाने के सिलसिले में भी जो स्कीम्स हैं उनके अनुसार सारी कार्यवाही की गई है।

यह सही है कि यह कोई आसान समस्या नहीं, काफी बड़ी समस्या है; इन लोगों को राहत पहुंचाने की ओर सरकार की नीति के अनुसार बराबर कदम उठाये जा रहे हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें हम जागरूक हैं। इसमें हर आदमी का सहयोग चाहिये। हरिजनों के साथ छूआछूत करने की किसी आदमी में भावना है तो उसको बदलने की आवश्यकता है। जैसे जालिया का उदाहरण दिया गया और कहा गया कि इस तरह पर्चे निकाले, पंचायत इकठ्ठी कर के यह किया। तो इस तरह की भावना को धीरे धीरे बदल सकते हैं। कानून बनाते ही छूआछूत मिट गई हो, ऐसा नहीं समझना चाहिये। जब तक हर आदमी का सहयोग नहीं होगा, जब मानस नहीं बदलेगा, तब तक तरक्की नहीं हो सकेगी।

बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्य ने उद्योग के बारे में जिक्र किया। वे इस समय यहां मौजूद नहीं हैं। वे यदि सही जानकारी प्राप्त कर लेते तो शायद उनको यह कहने की आवश्यकता नहीं होती। पर उन्होंने कुछ बातें सदन के सामने प्रस्तुत की हैं, इसलिये मैं उनका जवाब देना आवश्यक समझता हूँ।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

• दो टैक्सटाइल मिल्स को हमने लिया। उनके बारे में कहा कि उनका प्रोडक्शन पहले से घट गया है। जहां तक लेबरर्स का सवाल है कम लेबरर्स को एम्प्लॉय किया गया है, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, इस प्रकार के आरोप लगाये। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दर असल में जब राजस्थान के अन्दर टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज़ की हालत खराब होने लगी उस समय राज्य सरकार ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके उसकी बिगड़ी हुई हालत को सुधारने का प्रयत्न किया और वहां पर जो निर्णय लिया गया उसके अनुसार कुछ जो हमारे यहां की टैक्सटाइल मिलें थी जो बिल्कुल स्क्रेप हालत में थी उनको स्क्रेप डिक्लेअर कराया गया। तीन मिलें ऐसी थीं; जैसे भीलवाड़ा में एक थी, विजयनगर में एक थी और एक किशनगढ़ में थी। इन तीनों को स्क्रेप डिक्लेअर कराया और बाकी की जो टैक्सटाइल मिलें थी उनको ठीक प्रकार से रीऑर्गेनाइज़ किया जिनका रीऑर्गेनाइजेशन, रीहेबिलिटेशन और मोडर्नाइजेशन हो सका उनकी व्यवस्था की गई। हमने उसके बाद में यह भी कोशिश की कि इन तीनों टैक्सटाइल मिलों के बजाय तीन नई टैक्सटाइल मिलों की हमें इजाजत दी जाय। इसके फलस्वरूप तीन मिलों के लाइसेन्स मिले। एक भवानी मंडी में, दूसरी किशनगढ़ में और एक भीलवाड़ा में। इन तीनों मिलों में से भवानी मंडी की टैक्सटाइल मिल और किशनगढ़ की टैक्सटाइल मिल का शिलान्यास भी हुआ है और इसका काम भी जल्दी शुरू होने वाला है।

तीनों के लाइसेन्स कुछ दिन पहले ही प्राप्त हुए हैं और अब कार्य शुरू होने-वाला है।

इस सदन में कई मर्तबा उदयपुर टैक्सटाइल मिल के बारे में कहा जाता है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि उदयपुर टैक्सटाइल मिल के बारे में कई प्रकार की भ्रान्तियें प्रगट की गई और कोटा की नाइलोन फैक्ट्री के बारे में भी कितनी ही भ्रान्तियें प्रकट की गई। इसके सम्बन्ध में मैं कहूँगा, उस वक्त भी मैंने बताने का प्रयत्न किया था कि आज उदयपुर टैक्सटाइल मिल का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और काफी प्रगति हुई है, मशीनें फिट हो रही हैं।

इसी तरह से नाइलोन फैक्ट्री कोटा का कार्य भी काफी जोरों से चल रहा है और वह भी इसी साल के आखिर में लग कर प्रोडक्शन शुरू कर देगी।

इसी प्रकार दोनों फैक्ट्रीज़ लगेंगी और तीसरी फैक्ट्री भी यहां लगेगी।

एडवर्ड मिल और मेवाड़ टैक्सटाइल मिल का प्रश्न है। इन दोनों मिलों के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट से प्रयत्न करके अपने अन्डर में लिया। इसमें जो भी प्रगति हुई है वह संतोषजनक है।

एडवर्ड मिल जिसके अन्दर १६,६४८ वर्क स्पिन्डल्स हैं और ३७६ लूम्स हैं यह राज्य सरकार ने १४ मई, १६६० को टेक-ऑवर की। इसको टेक-ओवर करने से पहले इसकी हालत ठीक नहीं थी। काम ठीक तरह से नहीं चलता था। इसके मेनेजमेंट की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं की गई थी। लेबरर्स और मेनेजमेंट

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

में काफी झगड़ा था। इसकी हालत अस्त-व्यस्त थी। यह मिल राजस्थान में सबसे पुरानी मिल है। इस मिल में ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया और न कोई ज्यादा सुधार किया गया और इसमें मशीनरी आदि ठीक प्रकार से नहीं लगाई गई। इससे दिनों दिन इसकी हालत गिरती गई। हमने जब देखा कि इसकी यह दशा है और लेबर अनएम्पलॉइड है तो उसको एम्पलोयमेंट देने के लिये दूसरा कोई तरीका नहीं था, सिवाय इसके कि सरकार उसको ले ले और इसको आधुनिक मिल में परिवर्तित करे।

मैं इस सम्बन्ध में आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस समय यह मिल हमारे द्वारा टेक–ओवर की गई उस समय इस मिल पर ५,८१,०००) रुपये का कर्जा था और उसमें एवरेज नम्बर ऑफ वर्कर्स ६५.० थे। उसके बाद में एम्पलोयमेंट हुआ १२०४ आदमियों का। इसी प्रकार से पहले लोगों को वेजेज़ मिलती थी वह ५६) रु० थी उसके बाद में ६२) रु० प्रति लेबरर हुई। इस तरह से टोटल मन्थली वेजेज़ ७६,५८५) रु० थी और लेने के बाद में १,१७,५४०) रु० हुई। इसी तरह से मन्थली अर्निंग १०६) रु० प्रति माह से १३०) रु० प्रतिमाह हुई। पहले मन्थली प्रोडक्शन ऑफ यार्न दो लाख पौंड था और जब हमने उसको ले लिया तो वह ३ लाख २८ हजार हो गया। इस तरह से प्रोडक्शन में प्रगति हुई।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : अभी क्लॉथ का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वह आप बतायें ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप तसल्ली रखिये। मैं बता रहा हूँ। You are also one of the members of the Advisory Board. You should know it. मन्थली प्रोडक्शन ऑफ यार्न इन पौ० पहले दो लाख था, अब ३ लाख, २८ हजार हो गया। मन्थली प्रोडक्शन आफ क्लॉथ ३ लाख २८ हजार था और टेक-ओवर करने के बाद ८ लाख ३१ हजार हुआ। The 20 counts yarn previously was 3.7 oz., now it is 4.60 oz.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : इस वक्त की बात कहे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस वक्त की बात ही बता रहा हूँ।

वीविंग एफिसियेन्शी भी बढ़ी है। पहले ७० थी उसके बजाय ७६ हुई है। नम्बर ऑफ पर्सन्स पर १,००० स्पिन्डल्स २६.५० रहा और टेक--ऑवर करने के बाद में वर्क लोड और वेज बोर्ड के निर्णय के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कम करके १६.७५ किया। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वहां एक सिस्टम था जिससे बहुत सारी लेबर बाहर घूमा करती थी और काम नहीं करती थी और उसका भी पेमेन्ट करना पड़ता था। उस सब को व्यवस्थित ढंग से किया गया। मैं आपकी जानकारी के लिये यह भी कह देना चाहूँगा कि अब सरकार को इसमें मुनाफा हुआ और जो पेमेन्ट हमने किये मैं कहना चाहता हूँ कि जो पुराना कर्जा था और वर्कर्स को पैसे नहीं दिये गये थे उनको

(श्री रिखबचन्द धारिवाल)

पेमेंट दिया और lay of compensation का पेमेन्ट किया। करीब करीब मैं यह कहूँगा कि २॥ लाख या ३ लाख का पेमेंट किया। इसके अभी पूरे एकाउन्ट्स आये नही हैं, इसलिये ठीक प्रकार से फिगर्स नहीं बता सकता कि नेट प्रोफिट कितना हुआ है। मगर मेरे पास जो फिगर्स आते हैं उससे मैंने बताया है कि ५ लाख का फायदा हुआ है और वह ८ महीनों में हुआ है। इसी प्रकार से मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के बारे में जानकारी दूंगा।

छः महीनों से हमने इसको टेक–ओवर किया है। जिस समय हमने उसको टेक–ओवर किया वह बन्द थी। उसमें १५०० या १६०० लेबरर्स थे जो बिल्कुल अन–एम्प्लोयड थे। इसके अलावा जब उन्होंने काम किया था तो नवम्बर और दिसम्बर माह की उनको तनख्वाह नहीं मिली। मिल को चलाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मगर धन के अभाव से और मैनेजिंग एजेन्टों के मिस मेनेजमेंट की वजह से मिल नहीं चल सकती थी। ऐसी हालत में मिल को लेना और लेबर को एम्प्लोयमेंट देना निहायत जरूरी था। मिल को लेने के बाद में जो प्रगति हुई वह भी मैं आपके सामने निवेदन करूंगा।

(३. म० प०)

इस मिल में १३,३५६ स्पिण्डल्स और ३०० लूम्स हैं। इस मिल ने सन् १९५५ तक जरूर प्रोफिट दिया। उसके बाद में हमेशा मिसमेनेजमेंट की वजह से कोई प्रोफिट नहीं हुआ। इस प्रकार बुरी हालत में वह मिल चलती रही। आखिर में हमने इस मिल को १९ मई, १९५९ को टेक–ओवर किया। इस मिल पर ३० लाख का कर्जा था। इसमें राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन का भी कर्जा था और दूसरे लोगों की बकाया भी थी और काफी कर्जा था। लेकिन काफी कर्जा होने के बावजूद भी सरकार ने इसको टेक-ओवर किया। इसमें जो लेबरर्स को देना था उसमें ले ऑफ कम्पेन्सेशन उस पीरियड का जिस पीरियड में वह मिल क्लोज़ रही थी और स्टाफ के पेमेन्ट का था, यह कुछ मिला कर ३ लाख, ७९ हजार रुपये देना था। इस प्रकार से इस मिल के लिये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इसको चलाने के लिए बैंक से केश क्रेडिट के तौर पर और इसके माल के प्लेज पर कुछ रुपयों की व्यवस्था की। इस तरह से इस मिल को चलाया। इस मिल को चलाने से जो परिणाम आया वह भी मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। १९६१ के अन्त तक इस मिल ने करीब ४॥ लाख रुपया कमाया। जो कमाया उसमें से यानी प्रोफिट में से लेबरर्स का पेमेन्ट किया, ले ऑफ कम्पेन्सेशन का पेमेन्ट किया और स्टाफ का जो बाकी था क्लोज़र पीरियड का वह भी पेमेन्ट किया। इस प्रकार से कुल यह पेमेन्ट किया। स्थिति इसकी इस प्रकार है। जिस समय हमने इस मिल को अपने हाथ में लिया उस समय १२४५ पर्मानेन्ट लेबरर्स थे और ४१६ बदली थे। यह लेबर की स्ट्रेन्थ थी और अब ११५६ परमानेन्ट हैं और ४३८ बदली के हैं। पहले वर्क लोड १९.५ प्रति हजार स्पिन्डल और अब है १५.५। इसी तरह से वेजेज़ में भी पहले २६)रु. बेसिक वेज था और ३०)रु. डियरनैस अलाउन्स था और अब है ३२)रु.बिसिक वेज और डीयरनैस आल-

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

उन्स ३५)रु० । इफिशियन्सी पहले ७५ पर्सेन्ट थी तो अब ८६ पर्सेन्ट है। १८ पोइन्ट इन्क्रीज़ हुई है। यह भी है कि पहले २० काऊंट का सूत ३.८ से ४.०६ औंस थी अब ४.६० से लेकर ४.८० तक बढ़ा है। तो इस तरह से हमारी एफिशियेन्सी भी बढ़ी है। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ ७.३ लेक्स पर—मंथ था अब ६.४८ लैक्स पर—मंथ हो गया है। स्पिनिंग के अन्दर दो शिफ्ट में पोडन्स ६,३७६ था अब १०,३०१ है। ६१.६ पर्सेन्ट इन्क्रीज़ हुआ है। इस तरह से जो प्रोफिट आया वह हमने एरियर्स में दिया। वह कुल मिलाकर करीब ३,०६,५४२)रु. है। यह हमने डिस्ट्रिब्यूट किया।

इसके बाद में बहुत सारे फीगर्स हैं जिनसे साफ पता चलता है कि हमने जो कुछ पेमेन्ट किया है वह प्रोफिट में से पेमेन्ट किया है और दर-असल करना चाहिये था; जैसे इन्ट्रेस्ट ओन इन्श्योरेन्स, दूसरे क्रेडिटर्स भी थे एक लाख, १७ हजार ले ऑफ कम्पेन्सेशन का देना पड़ा, ४५ हजार प्रीवियस अर्नड वेजेज़ के देने पड़े, ५२ हजार स्टाफ को देना पड़ा, क्लोज़र पीरियड का जो उनका बनता था। लेबरर्स का इस प्रकार से हमने पेमेन्ट किया और पहले हमने पेमेन्ट करने का सोचा ताकि लेबरर्स को ठीक तरह से वेजेज़ मिल जायं और वे और अच्छा काम करें और इस मिल की व्यवस्था ठीक प्रकार से चले। इस प्रकार से यह प्रबन्ध किया।

यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि वेज बोर्ड की जो रिकमन्डेशन थी, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो टेक—ओवर की हुई मिलें हैं उन पर लागू नहीं होती हैं। जो सेंट्रल वेज बोर्ड ने बेसिक पे मंजूर किया था, हमें देने की पाबन्दी नहीं है लेकिन बावजूद इसके ब्यावर मिल थी, और मेवाड़ टैक्स्टाइल मिल, ये हमने बेसिक पे में-६) रु० प्रति वर्कर को वृद्धि दी और मेवाड़ टैक्स्टाइल में ५) रु० व मंहगाई भत्तों को फी वर्कर को दिया। एडवर्ड मिल, ब्यावर के लिए भी हम डी. ए देने की बात सोच रहे हैं

तो मैंने अर्ज किया कि ये मिलें अच्छा काम कर रही हैं। इनमें एफिशियेन्सी भी बढ़ी है, प्रोडक्शन भी बढ़ा है और साथ साथ प्रोफिट भी हुआ है। यह सारा इसलिए किया गया कि ये मिलें ठीक प्रकार से चलें और साथ ही साथ आगे जाकर यदि कम्पीटिशन का सवाल आवे तो वे मुकाबले में ठहर सकें। आपको मालूम होगा कि क्लॉथ की प्राइसेज़ जब हमने टेक-ओवर किया था तो अच्छी थी। बाद में कमी हो गई। एक्साइज़ ड्युटी फिर लगने-वाली है। वह यदि मेन्युफेक्चरर्स को बर्दाश्त करनी पड़े तो प्रोफिट्स में कमी आयगी क्योंकि उनका कन्ज्यूमर्स पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एडवर्ड मिल का जहां तक सवाल है उसके मोडर्नाइज़ करने के लिए कदम उठाये हैं। कोटन टैक्स्टाइल कमीनशर को इसके मोडर्नाइजेशन एन्ड रीहेबिलिटेशन करने के लिए हमने लिखा। मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूँगा कि उन्होंने इसको मंजूर कर लिया है और यह सारा मामला एन.-आई. डी. सी. में है। इसको मोडर्नाइज़ करते में ४२ लाख रुपयों का खर्चा होगा। यह मिल १६०७ में लगी। इसमें १६०७ की मशीनरी लगी है। कल पुर्जे लगे हुए हैं वे वोर्न आउट हो चुके हैं। ऐसी जंक मिल को

Page No.83

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

चला कर हमने प्रोफिट कमाया है लेकिन प्राइ-सेज़ जो इस समय हैं वे न रहे और कम हो जाय तो नुकसान भी हो सकता है। तो इन दोनों मिलों के बारे में जो सही स्थिति थी वह मैंने निवेदन की।

कुछ महानुभावों ने छोटे २ उद्योगों के लिए बातें कही और यह कहा कि जो कुछ रॉ–मेटीरियल उनको मिलता है वे उनको ठीक प्रकार से इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये शिकायतें हमारे पास भी आती हैं और जहां तक हो सकता है उनके बारे में जानकारी करते हैं और जानकारी करने के बाद में दरअसल कोई बात ऐसी आती है कि जो कन्ट्रोल्ड रॉ मेटीरि-यल है और जो उनको डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ से दिया हुआ होता है यदि ब्लेक मार्केट में बेच दिया गया हो या इस्तेमाल नहीं किया हो तो ऐसी शक्ल में कार्यवाही भी की जाती है। हमने एक कमेटी का भी निर्माण किया है और वह इसकी जानकारी करती है। वैसे डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज़ ऑफिसर को अधिकार दिया हुआ है कि हर छः महीने में हर इन्डस्ट्री का मुआयना करें और रिपोर्ट भेजें और डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ के पास वह रिपोर्ट आये और उनकी जांच की जावे और वह जाकर इन्सपेक्शन करे। इस प्रकार से असिस्टेन्ट डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज़ भी साल भर में दो मर्तबा जाकर सारी इन्डस्ट्रीज़ का मुआयना करते हैं। जहां तक हो सकता है चैकिंग करने की कोशिश की है। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, ऐसे केसेज हो सकते हैं कि जो उचित तौर पर रॉ मेटीरियल का उपयोग न करते हों, बाजार में बेच देते हों तो दूसरी बात है। यदि जानकारी देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उद्योग विभाग की ओर से कार्यवाही की जायगी।

इस तरह से यह भी कहा गया कि सीमेन्ट ब्लैक मार्केट में जाता है। मैं आपको जान-कारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ सीमेन्ट पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। जिस प्रकार का आयरन एन्ड स्टील पर कन्ट्रोल है उस प्रकार का कन्ट्रोल सीमेन्ट पर नहीं है। फिर भी सीमेंट की इस देश के अन्दर कमी महसूस की जा रही है और लोगों को नहीं मिलता है वह केवल कमी की वजह से नहीं मिलता है। आयरन और स्टील बाजार में बिकता है। यह जो स्टील है जो रजिस्टर्ड स्टॉकिस्ट के पास होता है और जो ६० दिन के अन्दर नहीं बिकता है तो उसको अधिकार है कि वह उसका फ्री सेल कर सकता है, उसके बाद वह चीज़ बाजार में मिलती है। कोटा सर्टिफिकेट का जो माल है और जो ब्लैक मार्केट में बिका है उसके बारे में विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी शिकायत आयेगी उसके बारे में उचित कदम उठाया जायेगा और इसको रोकने की कोशिश की जायेगी।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि छोटे छोटे उद्योगों को हर जगह पर फैलाना चाहिये व इस बारे में उद्योग विभाग की ओर से एक सुव्यवस्थित योजना होनी चाहिये। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि उद्योग विभाग इस सम्बन्ध में कई छोटी पुस्तिकायें निकाल चुका है उसमें सारी स्कीम्स दी हुई हैं, उनका अध्ययन करना चाहिये। उसमें यह भी बताया गया है कि लघु उद्योगों के लिए सरकार की ओर से क्या क्या सहायता दी जाती है। सरकार की ओर से लघु उद्योगों को सहायता देने की

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

काफी स्कीम्स हैं। क्रेडिट फेसीलिटीज़ भी देते हैं। रॉ मेटीरियल आदि को देने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन सारी बातों पर सरकार पर ही आधारित रहा जाय, यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। लघु उद्योगों के अन्दर हरएक आदमी को छोटी छोटी पूंजी वालों को भी आगे आना चाहिये तभी छोटे उद्योग पनप सकते हैं। सरकार की ओर से जो भी सहायता होती है वह दी जा सकती है इन छोटे छोटे उद्योगों के साथ साथ टेक्सटाइल्स मिल्स के बारे में भी जिक्र किया गया है। वैसे राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के अन्दर उद्योगों की जिस प्रकार से तरक्की हुई है, उसका पूरा विवरण दे दिया है। मुझे उससे अधिक कुछ कहने की अवश्यकता नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी उद्योग की तरक्की के लिए काफी मेहनत की जरूरत होती है, काफी लोन होना चाहिये उसके बाद पूंजी की व्यवस्था होनी चाहिये। जब तक इसका पूरा प्रबन्ध नही होता ये उद्योग लगाये नहीं जा सकते। इसीलिए बहुत से आदमियों को लाइसेन्स दिया गया है ताकि वे यहां अपनी पूंजी लगायें। उसमें भी किसी को कुछ कुछ कठिनाई है किसी को कुछ; उसको हल करने की कोशिश की जाती है। जहां तक राजस्थान के औद्योगीकरण का सवाल है इसमें जहां बड़े बड़े उद्योग हैं वहां मध्यम दर्जे के उद्योगों और छोटे छोटे उद्योगों को भी लगाये जाने की नीति सरकार की है। हमारे पिछड़े इलाकों के अन्दर जहां बिजली आदि के साधन नहीं हैं, उन स्थानों पर छोटे छोटे उद्योगों को लगाया जाय, यह भी सरकार की नीति है। मैं आशा करता हूँ राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण के अन्दर जो कुछ उद्योग धंधों की प्रगति के बारे में निवेदन किया गया है वह राजस्थान को सही स्थिति है। हम इस स्थिति को ओर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय के भाषण के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के संबन्ध में दो, तीन बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। खास तौर से अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रकार की बातें सदन के सामने रखीं और यह साबित करने की कोशिश की कि अजमेर म्युनिसिपैलिटी के संबन्ध में जो सरकार ने कदम उठाया वह इतना गलत था कि इस प्रकार का कार्य कभी पहले नहीं हुआ। आज वे माननीय सदस्य यहां मौजूद नहीं है। आम तौर पर, उपाध्यक्ष महोदय, सदन से निवेदन करना चाहता हूँ पुराने एक्ट के खत्म होने के बाद नया एक्ट एग्जिस्टेंस में आया, राजस्थान सरकार का लगातार यह प्रयत्न रहा है कि जो चुनी हुई नगरपालिकायें हैं और जो ठीक प्रकार से काम कर रही हैं उनकी अवधि न बढाई जाय और जल्दी से जल्दी नये चुनाव कराने की व्यवस्था की जाय। इसके बावजूद जिस म्युनिसिपैलिटी की हालत खराब होती है तो उसके लिये जो कानून में व्यवस्था है उसी के अनुसार ठीक करने की कोशिश की जाती है। अजमेर म्युनिसिपैलिटी का समय ६ फरवरी, १९६० को खत्म होता था। हमने तीन दफा का–३१–१–६१ तक का एक्सटेन्शन देकर काम करने का काफी मौका दिया। जब जब भी इसकी अवधि बढाई जाती थी तो जिलाधीश द्वारा यह लिखा हुआ आता था कि

(श्री सम्पतराम)

अजमेर का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है । काफी झगड़े थे; इम्पोर्टेन्ट पब्लिक प्लेसेज पर बड़े बड़े एन्क्रोचमेन्टस हुये, बार बार इस ओर ध्यान भी दिलाया गया । आखिर हमने अब इसका पीरियड आगे बढ़ाना वाजिब नहीं समझा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप ऐसे इन्स्टान्सेज़ तो बतलाइये जो जो कमेटी की वजह से हुये या मेम्बरों की वजह से हुए ?

श्री सम्पतराम : मैं यहां पर ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं चाहता । इस प्रकार के काफी एक्ज़ाम्पल्स हैं जिनको यदि मैं यहां बतलाऊं तो काफी समय लग जायगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर आप चाहें तो मैं सदन में बता सकता हूँ और आप चाहें तो बाहर भी इसकी लिस्ट दे सकता हूँ । हो सकता है, उससे आपको सन्तोष न हो । हमने ठीक नहीं समझा और कानून की तहत उसके एडमिनिस्ट्रेशन को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और वहां सुचारू रूप से व्यवस्था करने की कोशिश की गई । कलेक्टर को यह भी आदेश दिया गया कि जहां जहां पर एन्क्रोचमेन्ट हुआ है उसको ठीक किया जाय । उसके लिये उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेन्स बुलाई और वे क्या क्या करने जा रहे थे, उसका संकेत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेन्स में दिया । साथ ही साथ लाउड स्पीकर्स द्वारा, तीन चार दिन तक प्रचार किया गया । शहर में जो एन्क्रोचमेन्ट हुआ है, गलत तरीके से लोगों ने जमीन दबा ली है; स्वयं जिलाधीश ने मौके पर जाकर अपने साथ स्टाफ लेकर जनमत बनाने की कोशिश की है और जनता का सहयोग लेकर अजमेर में जो अव्यवस्था हो गई थी उसको सुधारा है और आपकी जानकारी के लिये यह भी निवेदन कर दूं कि लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है । बहुत से लोगों ने अपने अपने केबिन्स बिना कहे ही हटा लिये हैं और जिन्होंने नहीं हटाये हैं कायदे—कानून के मुताबिक उनको हटाने की कोशिश की है और बलपूर्वक हटाने के जो मामले हुए हैं उनकी एक दर्जन से ज्यादा तादाद नहीं है । मदार गेट के नजदीक जो युरिनल्स बने हुए थे उनको तोड़ कर केबिन्स बना लिये गये थे....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपको जानकारी दे दूं, वे केबिन्स हटाये नहीं गये हैं ।

श्री सम्पतराम : नहीं हटाये गये हैं तो उनको हटाने की कोशिश की जायगी । लेकिन मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का सवाल है, उसको कलेक्टर अच्छी तरह से देख रहे हैं और जो लोग डिसप्लेस हुए हैं उनको ठीक जगहों पर अच्छे केबिन्स में बसाने की व्यवस्था की जा रही है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ, यहां हम एक सूबे का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि जहां ठीक तरीके से काम होता हो, जो अधिकारी ईमानदारी के साथ काम करते हों उनको ठीक तरह से व्यवस्था चलाने में सहयोग दें, बजाय कि इसके कि उसके उल्टा प्रचार करें, यह ठीक प्रतीत नहीं होता । आपने देखा होगा तट बाजारी की फीस ३००) रुपया प्रतिदिन आता था वहां आज एक हजार रुपया प्रतिदिन

(श्री सम्पतराम)

की आमदनी होने लगी है। जहां केबिन्स हटाये गये वहां पीनेलाइज़ करने की बात नहीं है। जन–सहयोग से जनता में विश्वास पैदा करके जहां जहां भी इस प्रकार का एनक्रोचमेन्ट हुआ है उसको रोकने की कोशिश की है। यह तो एक उदाहरण हुआ। आप चाहें तो और भी एग्ज़ाम्पल्स बता सकता हूँ।

इसके बाद एक माननीय सदस्य ने कोटा म्युनिसिपैलिटी के बारे में भी जिक्र किया और कहा कि सरकार जान–बूझ कर कोटा नगर-पालिका का चुनाव कराना नहीं चाहती, यह बिल्कुल तथ्यहीन बात है। कोटा नगरपालिका का चुनाव २६–७–५६ को हुआ। प्रेसिडेन्ट के इलेक्शन की तारीख २३-६-५६ को रखी गई। पर उसी दौरान में चार दिन पहले १६-६-५६ को हाई कोर्ट से रिट और स्टे ऑर्डर आ जाता है कि चेयरमैन का इलेक्शन मत करिये। ता० ३०–६–५६ को यह इत्तला मिलती है। दो वार्ड इनवेलिडेड हो जाते हैं। इन दो वार्डों का चुनाव कराया गया। यह सवाल पैदा हो सकता है कि दो मेम्बरों का चुनाव करना क्या जरूरी है? यह जरूरी था, नहीं तो और कोई कोर्ट में जाता और स्टे ऑर्डर ले आता। पर यह तो और भी उत्तम बात हुई कि इमीजिएटली दो वार्डों के चुनाव की तारीखें रखी गईं। इसी दौरान में हाई कोर्ट से फिर स्टे आता है और एक मुहम्मद कुरेशी सदस्य था वह डिस्ट्रिक्ट जज के यहां गया। फिर जो एग्रीव्ड पार्टी थी हाई वह कोर्ट में जाती है। हाई कोर्ट का फैसला होता है जो इस प्रकार है : "It is desirable that the appeal should be heard at an early date. It should be listed for hearings within a fort night. Having regard to the circumstances of the case, it seems proper that the operation of the order passed by the Elcation Tribunal be stayed and it is hereby stayed."

तो वह ऑर्डर जब आ जाता है, उसके बाद में उसको बाकायदा एग्ज़ामिन किया जाता है। रीप्रेजेन्टेशन आता है कुरेशी का और कोर्ट ने उस पर यह फैसला दे दिया। तो यह स्थिति है। सदन महसूस करेगा कि हाई कोर्ट के कारण वहां के फैसले की वजह से यह काम रुका है। अगर हम बीच में कराते तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ सकते थे। तो इन परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि सरकार के बारे में सदन को गलत सूचना दी गई है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। मैं स्पष्ट कर दूं कि इसके बाद राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार की ढिलाई नहीं की गई।

नगरपालिकाओं के बारे में भी कहा गया जिनका जुलाई तक समय खत्म हो गया है। हमने सब का चुनाव कराने का इरादा किया है और इसके लिये दिन प्रतिदिन अखबारों के जरिये आम जनता को मालूम होता रहा है। सब वार्ड की लिस्टें तैयार हो गई हैं। जुलाई तक जिनका समय खत्म हो गया है उनके चुनाव ठीक तरह से करा दिये जावेंगे, ऐसी सरकार की योजना है।

जयपुर नगरपालिका के बारे में भी एक से अधिक बार बातें कही गईं। हमने भी चुनाव कराने की कोशिश की है। पर बीच

(श्री सम्पतराम)

में पंचायतों के चुनाव आ गये और दूसरी बातें आ गईं, इसलिये अब तक नहीं करा पाये। अब निश्चित रूप से तय कर लिया है कि जुलाई तक इसका भी चुनाव करा दें, वह भी हो जावेगा। इसमें किसी प्रकार की देर नहीं है। यह सोचना कि हम ढिलाई करते हैं, ठीक नहीं है; न इसकी जरूरत है, न की है। तो इस तरह से जो सूचना चाहे कोटा के बारे में हो, चाहे अजमेर के बारे में दी गई हो तथ्यहीन है और इनके सम्बन्ध में जो किया गया, ठीक किया गया।

श्री रावतमल पारीक (नोखा) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेकर थोड़े से तथ्य प्रस्तुत करूंगा। हमारे बीकानेर जिले में हर समय अकाल छाया रहता है, मगर सरकार की ओर से उस विभीषिका से लोगों को बचाने के लिये कोई उद्योग-धन्धा या ऐसा काम नहीं किया गया जिससे वे लोग अकाल से त्रस्त न हों। इसके अलावा सीमा का इलाका वाला जिला होते हुए भी वहां (सीमा) तक सड़कों से पहुँचने का कोई जरिया नहीं है।

इसके अलावा जिले के सैकड़ों गांवों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और अगर कहीं है भी तो बिल्कुल खारा पानी है जिसकी वजह से तीस-तीस मील के अन्दर गांव बसे नहीं हैं बल्कि उजड़ गये हैं। इस बारे में जल्दी सर्वे करा कर ज्यादा अच्छे उपाय सरकार को करने चाहिये।

सीमा सुरक्षा के बारे में निवेदन करूं कि कुछ थोड़े से आर. ए. सी. के जवान रहते हैं। पर उनके लिये वहां रहने के लिये न सरकारी मकान हैं, न सवारियों के साधन हैं। एक चौकी में एक या दो ऊंटों के अलावा कोई साधन नहीं है। न उनके लिये पीने के पानी का माकूल इन्तजाम है। पब्लिक से मांग कर पानी पीते हैं। इस तरह के प्रबन्ध इनके लिये भी नहीं होना सरकार के लिये शर्म की बात है।

इसके अलावा, कैसे अफसर इनमें भेजे जाते हैं? जो सिविल पुलिस में बदनाम हो जाते हैं या जिनको सजा देनी होती है तो ऐसे लोगों को वहां भेजा जाता है जो समय बिताने के अलावा कोई बहबूदी का काम नहीं करते।

माननीय उपाध्यक्ष की मार्फत मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि सीमा सुरक्षा का स्टाफ बहुत ही कम है और इस कारण से भी तस्कर व्यापार को रोकने में कोई लाभकारी चीज इसके द्वारा नहीं की जा सकी है।

सदन में डाकुओं के सफाये के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। मैं भी ऐसे इलाके का रहने वाला हूँ जिसका सम्बन्ध डाकुओं से रहा है। पाकिस्तान में शरण पाये हुए डाकू बराबर हमारे यहां आते हैं और पुलिस की कृपा से डाका डालने की पूरी आजादी उनको मिली हुई है। डाके की भी जरूरत नहीं, खुल्लमखुल्ला गांवों से चन्दा करके पुलिस की कृपा से वे अपना काम चलाते रहते हैं। स्थानीय डी. आई. जी. को निवेदन किया, पर कोई कदम उन्होंने नहीं उठाया। अगर सरकार चाहे तो मैं गांव वालों से पुछवा कर

Page No.88

(श्री सम्पतराम)

इसकी तसदीक करा सकता हूँ। पुलिस उनको सहयोग देकर गांव वालों से चन्दा दिलवाती है। इस तरह के काम पर रोक होनी चाहिये।

एक बात और निवेदन करूं। कुछ सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि सप्लाई विभाग का वितरण का काम ठीक नहीं है। हमारे बीकानेर शहर के नागरिक तो और भी बुरी तरह सप्लाई की चीजों के अभाव के शिकार हैं। दो साल हो गये टिन वहां नहीं आये। कह कह कर थक गये। सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा और कमिश्नर आइरन और स्टील को लिखा पर उन्होंने जवाब दिया कि इन्डेन्ट हा भर कर नहीं देते हैं उनको। आप बताइये ऐसी चीज़ जो मिलनी चाहिये वह इस तरह से नहीं मिल पा रही है हालांकि वह चीज ब्लैक में तैयार है। जयपुर शहर में तो गाडियां भर भर कर ब्लैक से ले जा सकते हैं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : मन्त्री महोदय ने फरमाया कि लोग खरीदते नहीं हैं, इसलिये उसे फ्री बेच दिया जाता है।

श्री रावतमल पारीक : यह उनके यहां होता होगा, पर वहां तो आता ही नहीं है। सरकार का जवाब था कि सीमेंट पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। पर मैं उनको बताऊं कि बीकानेर शहर में अब भी सीमेंट परमिट से मिलती है और इसमें जरूरत वाले नहीं ले पाते, वे लोग पा जाते हैं जो एक-एक, दो-दो की कतार में खड़े रहते है और दिन भर अपना खराब करते हैं। इस तरह पेशेवर ब्लैक मार्केटियर ही उन परमिटों से लाभ उठाते हैं। फिर अकेले सिटी मजिस्ट्रेट इन सब से डील करते हैं। उनको फौजदारी के मुकदमों का काम ही बहुत ज्यादा है। अतः उनको बेगार के तौर पर यह काम करना पड़ता है। इसकी भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

घग्घर की नाली के बारे में भी मैं निवेदन करूं। हनुमानगढ़ में मेरा रिश्ता है इसलिये मुझे इसके बारे में अच्छी जानकारी है। उसके आधार पर निवेदन करूंगा कि पंजाब सरकार ने इस घग्घर में अपने यहां के कुछ नाले मिला दिये, ऐसा कहा गया, पर वे नाले नहीं हैं, २ पूरी बरसाती नदियां हैं जो इसमें मिला दी हैं। एक नदी और जुलाई ६१ के आस-पास इस घग्घर में मिलने वाली है जिसका काम पंजाब में जोरों से चालू है। यही कारण है कि इन दिनों दो बार इसमें बाढ़ आई। वर्षा तो पिछले पन्द्रह सालों में कई बार पड़ता रहा है पर आज तक कभी इस तरह की बाढ़ नहीं आई। पर इस साल इस कारण आई है कि पंजाब की उपरोक्त नदियों के मिला देने से पानी की मिकदार बढ़ गई है और इस कारण यह बाढ़ आई है। पंजाब मनमाने तरीके से राजस्थान की फसलों को डुबाने और अपनी फसलों को बचाने के लिये नदियों का पानी इधर मोड़ रहा है। इस फल का यह होगा कि हर साल दो बार बाढ़ आवेगी और राजस्थान के इस हिस्से की दोनों ही फसलें पचास हजार बीघा जमीन में बरबाद होती रहेंगी। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। इसके अलावा जो यह नाली आती है इसको कन्ट्रोल करने के लिये कोई ऐसी नहर सरकार बनाये जिससे कि इसका पानी उसमें डाला जा सके।

(श्री रावतमल पारीक)

ऐसा हुए बिना बहुत नुकसान हो रहा है और सरकार इस नुकसान को किसी तरह भी नहीं रोक पाई है।

एक बात मैं बीकानेर शहर के वाटर वर्क्स के बारे में कहूंगा। वहां करीब ३० कुंए सरकार द्वारा अपने कब्जे में लिए हुए हैं। लेकिन जितने भी हौज भरे हुए रहते हैं वे खुले रहते हैं और उनको ढका हुआ नहीं रखते है। उनमें कोई चीज़ भी पड़ जाये तो उसको रोक नहीं जा सकता। खुले हुए हौज में कोई भी चीज गिर सकती है। भुट्टा वैल के हौज में किसी ने भिष्टा डाल दिया और उस पानी को लोगों को सप्लाई किया गया। लोगों ने अनजाने में उस पानी को पीया। तो क्या मैं यह समझूं कि इस तरह से भिष्टा मिला हुआ पानी लोगों को पिलाया जायेगा ? ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सरकार इसके लिए अभी तक कोई भी इन्तजाम नहीं कर पाई है। हालांकि ४० लाख रुपये लगा कर वाटर वर्क्स के सुधारने की योजना कार्यान्वित करने के लिए सामने है और काम भी हो रहा है लेकिन इन हौजों को बन्द करने के लिए ४० लाख में भी नम्बर नहीं आयेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वाटर वर्क्स के बारे में इस शिकायत को फौरन रफा करवाया जाये। इन हौजों को बन्द किया जाये और पानी को साफ और सुथरा देने की सुविधा सरकार को देनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Ram Chandra. Please conclude your speech within 5—6 minutes.

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद के प्रस्ताव पर वादविवाद हो रहा है उसके सिलसिले में इस सदन के माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस राज्य की प्रगति का जो चित्र हमारे सामने रखा और भविष्य में राजस्थान कैसा बनने वाला है इसकी भी रूप-रेखा सदन के सामने रखी वह वास्तव में हमको इस संकेत की ओर ले जाती है कि राजस्थान के जहां तक फिज़िकल प्रोग्रेस का प्रश्न है वास्तव में काफी प्रगति कर रहा है और यदि यह हमारी प्रगति निरन्तर जारी रहे तो हमें यह विश्वास है कि राजस्थान फिज़िकल पोइन्ट से अवश्य प्रगति करेगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमको राजस्थान के फिजिकल डेवलपमेंट की ओर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, राजस्थान सरकार की जो और और जिम्मेदारियां हैं उसमें सरकार ने और राजस्थान के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन्होंने क्या क्या काम किया है, इसका भी उल्लेख यदि अपने अभिभाषण में राज्यपाल महोदय दे देते तो मैं यह समझता हूँ कि सदन इस बात का अन्दाजा लगा लेता कि जो प्रगति राजस्थान कर रहा है उसका प्रभाव जो जनता के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने वाला है वह कितने प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल इस राज्य के महान अधिकारी हैं। उनकी जिम्मेदारी राजस्थान की केवल प्राकृतिक उन्नति की ओर नहीं देखने की है बल्कि राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता के ऊपर केन्द्रीय सरकार की ओर, से राजस्थान को पब्लिक की ओर से राष्ट्रीय विकास की ओर से जो जिम्मेदारियां हैं, राजस्थान के राज्यपाल को बराबर इस बात को देखना चाहिये कि राजस्थान अपनी जिम्मेदारियों को

(श्री रामचन्द्र)

जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत आवश्यक हैं सरकार कहां तक पूरा कर रही है, इसका भी संकेत राज्यपाल को अवश्य देना चाहिए था जो उनकी खास जिम्मेदारी है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की इस समय एक मात्र नीति सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाने की है। राजस्थान सरकार यह चाहती है कि जैसी कि हमारी राष्ट्र की नीति है कि भारत के तमाम मनुष्य समान अधिकार समान आर्थिक व्यवस्था को लेकर सोशियली और इकोनोमीकली समान अधिकारों का भोग करें। लेकिन हम देखते हैं कि राजस्थान में यद्यपि इतना खर्च करने पर और इतना प्रयत्न करने पर भी राजस्थान का एक बड़ा भाग सोशियली और इकोनोमीकली बहुत पिछड़ा हुआ है। हम यह देखते हैं कि राजस्थान में जो बहुत से भौतिक लक्ष्य पूरे हुए हैं उसमें समाज का बहुत सहयोग है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि राजस्थान ने खेती के सिलसिले में ८ लाख के बजाय १२ लाख टन अन्न उत्पादित कर "अधिक "अन्न उपजाओ" आन्दोलन को आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। तो उपाध्यक्ष महोदय, इसी आंकड़े को देखें तो मालूम होगा कि वह समाज जो वर्षों से मजदूरी करता आया है उसके लिए राजस्थान सरकार ने उनकी आर्थिक दशा सुधारने में कितनी प्रगति की है, उसका राज्यपाल ने कोई उल्लेख नहीं किया है। हां, यह कहा है कि वह मजदूर जिनके पास जमीन नही है और जो खुदबन्दी का अधिकार नहीं रखते राजस्थान सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि जो भूमिहीन हैं उनको १५ बीघा प्रत्येक व्यक्ति को मिले, उनको खातेदारी के अधिकार मिलें। मैं यह देखता हूँ कि जहां तक थ्योरिटिकल पाइन्ट ऑफ व्यू से देखा जाये तो मन्त्रियों की ओर से जो जवाब आते हैं वह बिल्कुल सेन्ट परसेन्ट सही हैं लेकिन प्रेक्टिकली अगर इसको देखें तो मैं कहता हूँ कि शायद हम दस परसेन्ट या १५ परसेन्ट भी सही नहीं होते। मैं जानता हूँ कि राजस्थान सरकार ने आज्ञा दी है कि भूमिहीनों को १५ बीघा जमीन दी जाये लेकिन उनको नहीं मिलती है। जगह जगह बॉटल नैक बने हुए हैं जिनकी वजह से निवेदन-पत्र देने के बाद भी जमीन नहीं मिलती है और उसके लिए इस सदन के सदस्यों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि वास्तव में राजस्थान सरकार चाहती है कि हमको यह भूमि राजस्थान के किसानों को देनी है और उनकी आर्थिक दशा सुधारनी है तो मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो अधिकारी कुर्सियों पर बैठा रखे हैं आप उनके मानस को ठीक कर दें। मुझे विश्वास है कि उसके बाद उनकी आर्थिक दशा अवश्य सुधरेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह बताया गया कि राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए और छात्रावास खोले हैं, उसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। लेकिन वह छात्रावास किस तरह से चलते हैं, उसके बारे में मैं बताऊं। मैं इसके लिए पहले अपने यहां के छात्रावास का नक्शा खींचूं। झालावाड़ में एक छात्रावास हरिजनों का है जिसमें २५ लड़के रखने का आदेश है। लेकिन केवल १५ लड़के हैं। यह बात नहीं है कि लड़के नहीं मिलते। २५ क्या वहां तो ५० लड़के भी भर्ती हो सकते हैं लेकिन बन्दिश यह लगा रखी है कि आधे हरिजनों के लड़के हों और आधे क्रिमिनल ट्राइब्स के हों।

(श्री रामचन्द्र)

झालावाड़ के अन्दर सांसी और कन्जर दो ही जाति ऐसी हैं जो कि क्रिमिनल ट्राइब्स में आती हैं उनके साथ राजस्थान के अधिकारी और खास करके पुलिस के अधिकारी इतने अत्याचार करते हैं कि आंखों में आंसू भर आते हैं। सरकार चाहती है कि इस कौम को किसी तरह से उठाना है। लेकिन आज वह कौम सरकार के कर्मचारियों की जेब गर्म करने के लिये रखी जाती है। झालावाड़ जिला राजस्थान के उस भाग में है जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है और बोर्डर पर इन लोगों को बसाया जाता है। मैंने कई बार निवेदन किया कि उनको भीतर के भाग में बसाइये लेकिन पुलिस जोर देती है कि इनको बोर्डर पर ही बसाया जाय। नतीजा यह होता है कि वहां के लोग समझौता करते हैं। झालावाड़ वाले क्रिमिनल ट्राइब्स के लोगों को कहते हैं हमारे यहां चोरियां आदि मत करना, मध्य प्रदेश में भले ही करो और मध्य प्रदेश वाले कहते हैं कि हमारे यहां मत करना, झालावाड़ में भले ही करो। वे चोरियां करते हैं और अधिकतर उनको कर्मचारियों की जेब गर्म करने के लिये रखा गया है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि क्रिमिनल ट्राइब्स के लोग वर्षों से घृणित धंधा करके अपना जीवन निर्वाह करते आये हैं लेकिन अब उनका उत्थान करना चाहते हैं। इसलिये उनको सहूलियतें और जमीन देकर अच्छी तरह से बसाया जाय और उन्हें घृणित कार्य से हटा कर खेती आदि के काम में लगाया जाय तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : This time many Lady Members have spoken. They have rightly participated.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): साढे तीन से भी दस मिनट ज्यादा हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Let her speak a few minutes.

श्री दामोदरलाल व्यास : As the Chair pleases.

श्रीमती गंगादेवी डाटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल महोदय का भाषण मैंने देखा और सुना भी उससे मुझे कुछ थोड़ी निराशा हुई क्योंकि मैंने इसके साथ साथ पिछले भी भाषण देखे, सारे भाषण में जो शरणार्थियों का मसला है वह कहीं नहीं मिला जब कि अपने राजस्थान में कई ऐसे जिले हैं जिनमें शरणार्थियों का मसला अब तक अधूरा है। समझ में यह बात नहीं आई कि एक तरफ शरणार्थियों का मसला है और दूसरी तरफ पट्टेदारों को खातेदारी हक हैं, वे क्यों नहीं मिले, जब कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा शानदार टिनेन्सी एक्ट पास करके हमने देश के सामने आदर्श रखा है, फिर क्या वजह है कि जो सरकार ५५ पट्टेदार हैं उनको आज तक पट्टेदारी हक नहीं दे पाई। होता क्या है कि हर साल प्रति वर्ष जो कि पट्टेदारान हैं उनको बार बार पट्टे बदला तो यह कह दिया जाता है कि जमीनों के पट्टे बदले जावेंगे, लेकिन कुछ वर्ष से पट्टे नहीं बदले जाते हैं। लेकिन तब भी पटवारियों की तरफ से सूचना या रूमर्स उठती हैं जिनके कारण वे लोग

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

परेशान रहते हैं कि वाकई उनके पास जमीन रहेगी या नहीं। इस कारण न तो वे किसी तरह से जमीन की अच्छी तरह से व्यवस्था कर पाते हैं और न उससे उपज बढ़ा सकते हैं। यह समस्या बहुत ही सोचनीय है। इस पर गहराई से विचार करना चाहिये। और यही शरणार्थियों का मामला है जिसे आज तक हम हल नहीं कर पाये हैं जब कि १०-१२ साल गुजर गये हैं। जब कि ये लोग देश विभाजन के सबसे बड़े शिकार हुए। यह लोग लूट, पिटने के बाद यहां आये। उसके बाद जब कि किसानों को खातेदारी हक दिये गये। लेकिन क्या वजह है कि इन शरणार्थियों के ये हक नहीं दे पाये ? हमारा पड़ौसी प्रान्त पंजाब है उसमें बहुत पहले ही उनको खातेदारी हक दिये जा चुके हैं। मैं मंत्रीजी के सामने आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, यह रखना पसन्द करूंगी और उम्मेद करती हूँ कि मंत्रीजी तवज्जोह देंगे। शरणार्थियों के अलवर डिस्ट्रिक्ट में आने से पहले महाराजा ने सूचना निकाली थी कि जो शरणार्थी आयेंगे उनको बिना किसी रकम के या लगान के जमीन देंगे। और माता रामेश्वरी देवी जो उनको लेकर आई थीं उन्होंने भी उनके सामने ये बातें रखी थीं तुम चाहे पंजाब के अन्दर दूसरों की जमीन पर काम करते थे या अपनी जमीन पर काम करते थे तुमसे बिना कुछ लिये जमीन दी जायगी। लेकिन फिर भी यह बात समझ में नहीं आती कि क्या वजह है कि उनसे सवाया लगान वसूल किया जा रहा है ? इसलिये मेरा यह नम्र निवेदन है कि इस तरफ तवज्जोह देना चाहिये क्योंकि जो शरणार्थी भाई हैं उनकी यह बहुत ही आवश्यक और वाजिब डिमान्ड है। मैं आशा करती हूँ कि मंत्रीजी इस पर ध्यान देंगे।

दूसरी बात यह है कि जो....

श्री उपाध्यक्ष : यह एक ही मिनट की बात होनी चाहिये।

श्रीमती गंगा देवी डाटा : महिला शिक्षा के मामले में मैं यह बात जरूर कहूँगी कि जो हायर सेकिन्ड्री स्कूल अलवर में चल रही हैं उनमें लड़कियों की संख्या ३००-३५० के लगभग है और कॉलेज में भी १००-१२५ लड़कियां पढ़ रही हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि इस तरफ भी ध्यान देकर कॉलेज बनाना चाहिये जब कि इतना बड़ा बजट है और गवर्नर के भाषण में भी बात रखी है तो यह बहुत जरूरी है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें अकाल के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए रखीं और उनके साथ साथ पंचायत समितियों के चुनावों में और पंचायतों के चुनावों में जो ठेस उनको लगी है उनको साथ लेते हुए उन्होंने कुछ राजाओं और कुछ जागीरदारों के सम्बन्ध में वकालत करते हुए मांग रखी और इस बात की कोशिश की, यह बात नई नहीं है उनके लिये, वे एक न एक टैक्निक आजमाते हैं, अपनी बनाते हैं और नाकामयाब होते हैं....

एक माननीय सदस्य : पुरानी आदत है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आज उनका

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इतिहास, जब से वे सदस्य हैं, तब से देखेंगे तो कुछ न कुछ बात बनाकर लाते हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। एक बात व्यक्तिगत मेरे लिये और मेरे एक मित्र हैं जो मंत्रि-मंडल के सदस्य हैं, उनके बारे में यह बताने की कोशिश की कि हमारे में इख्तलाफ रहा है, कुछ आपस में झगड़े हैं। इस बात को बताने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि यह बिल्कुल गलत है और बनाई हुई बात है। उन्होंने खास तौर से मेरे लिये और नाथूरामजी के लिये कहा है कि हममें आपस में झगड़ा है और हम एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के मित्र हैं। जिस उद्देश्य से उन्होंने बात रखी है, कितनी ही मनगढंत बातें रख कर कहा कि समाचार-पत्रों में प्रचार हुआ। प्रचार क्यों नहीं होगा, मैं और नाथूरामजी तो खबरें देने नहीं गये; आप जैसे महानुभाव हैं वे ही खबरें देते होंगे। जाट और नॉन जाट की लीडरशिप का हमारे यहां कोई प्रश्न नहीं है, हम एक ही लीडर मानते हैं। जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और कोई लीडरशिप नहीं है, कोई डिफरेन्स नहीं है और न कोई झगड़ा है। आपकी ये जो इच्छायें और इरादे हैं, ये आपके दिल में ही रहेंगे और पूरे नहीं होंगे। हम झगड़नेवाले नहीं हैं, यह आप अच्छी तरह से समझ लीजिये। दूसरी बात यह है कि जिस इरादे और नियत से आपने यह बात कही है, और यह बतलाने की कोशिश की है, जाति के लिए यह कोशिश की कि किसी तरह आप उनको अपनी तरफ खींच लें। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप गलती में हैं और इसलिए गलती में हैं क्योंकि आप उनके इतिहास से वाकिफ नहीं हैं। जाट जाति का इतिहास यह है कि उसने देश की आजादी के लिए पूरा हिस्सा लिया है, राजाओं और जागीरदारों के जुल्मों को बर्दाश्त करते हुए आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है। इसलिए आप जो यह उम्मीद करते हैं कि आजाद मुल्क में एक प्रगतिशील पार्टी को छोड़ कर प्रतिक्रियावादी पार्टी के साथ मिल जायं, मैं समझता हूँ यह होने वाला नहीं है, चाहे जितनी कोशिश की जाय। जिस समय जागीरदार कांग्रेस में मिले थे उस समय आपने एक नया टैक्निक अपनाया था लेकिन उसमें आप नाकामयाब रहे। अभी पंचायतों के चुनाव हुए। उनमें आपकी यह बदकिस्मती थी कि आपकी कोशिशें कामयाब नहीं हुईं, कहीं भी आपको पार्टी का प्रमुख या प्रधान नहीं आ सका। बहरहाल यह मेरी गलती नहीं है। आप अपनी पार्टी के प्रोग्राम के प्रति जनता का रुझान नहीं कर सके, जनता को कन्विन्स नहीं कर सके, कि आपकी पार्टी का प्रोग्राम है उसके साथ रहना चाहिए। इसमें गलती किसकी है, यह आपको समझना चाहिए। आपका जो इलेक्शन का तरीका है, स्टन्ट है या यह कहना चाहिए कि टैक्निक है, इन बातों से आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। ज्यों ज्यों आप चाहेंगे कि हम युनाइटेड नहीं रहें त्यों त्यों हम युनाइटेड होंगे और एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करने वाले हैं, बल्कि जो लोग हमारे बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहते हैं, उनको नीचे गिराने के लिए हम युनाइटेड रहेंगे, यह आप निश्चित रूप से समझ लें।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आपने कहा कि अकाल के मामले को लेकर जहां जोधपुर के राजा को १०० नम्बर मिलेंगे वहां सरकार को ५ नम्बर मिलेंगे। ठीक है, आप यह कहेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अकाल के सम्बन्ध में जितनी कोशिश मुमकिन हो सकती थी, वह बराबर की गई है। जो किसान मवेशियों को लेकर गये हैं उनको राहत पहुँचाने के लिए कोशिश की गई है। यहां तक कि रास्ते में भी और मध्य प्रदेश में भी जो सहायता पहुंचाई जा सकती है वह पहुंचाने की कोशिश की गई है। माननीय सदस्य को उस सब की जानकारी नहीं है ? इसलिए वे कहते हैं कि कौनसा ऑफिसर उनको देखने गया और किसने जाकर उनकी बात पूछी और उनकी तकलीफों को रफा करने की कोशिश की ? इस सबसे माननीय सदस्य वाकिफ नहीं है कि गये कौन हैं, वे कहां हैं, कहां नहीं हैं। उन्होंने शायद समाचार–पत्रों में पढ़ लिया होगा या इधर उधर से सुन लिया होगा। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि मवेशी लेकर नागौर, जोधपुर और दूसरे लोग गये थे, उनको रास्ते में घास फ्री देने के लिए ३२ डिपो खोले गये थे, हरएक दस-पन्द्रह मील के ऊपर जिससे कि उनको रोजाना घास मिल जाय। मध्य प्रदेश में पहुंचे तो चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर और झालावाड़ के कलेक्टर मध्य प्रदेश में गये। वहां पर वे किसानों से मिले और वहां के कलेक्टर से भी मिले और वहां मिल कर इमीजियेटली जो भी सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए थी वह दिलवाने की कोशिश की है। हमारे इर्रिगेशन ऑफिसर वक्त वक्त पर जाते हैं और उनसे मध्य प्रदेश में मिलते हैं। उनकी जो दिक्कतें होती हैं, उनको रफा कराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के साथ खतोकिताबत होकर दिक्कत मिटाने की कोशिश की है। इसलिए यह कहना कि राहत नहीं दी गई, उनकी सम्भाल नहीं की गई, यह बिल्कुल गलत है। आपकी जानकारी गलत है। यदि आपको किसी ने दी थी, इसीलिए सही जानकारी देने के लिए मैंने ये बातें आपको बतलाई। इसके अलावा जिन इलाकों में अकाल पड़ा हुआ है वहां रिलीफ वर्क्स शुरू हो रहे हैं और जो अनएम्लॉयड लेबर है, उसको लेबर मिल रहा है। कहीं से भी ऐसी शिकायत नहीं है कि लेबर प्रोवाइड नहीं किया गया है। पीने के पानी की जहां शिकायत है वहां पर जो कुंए मौजूद हैं उनको गहरा करवाया है, रेलवे के जरिये से पानी का इन्तजाम किया है। मवेशियों को पीने के लिए जहां पानी की कमी है वहां पर प्याउओं का इन्तजाम किया है और वे प्याऊ अभी भी जारी हैं जिनके लिए पानी मिलता है। इसी तरह से और दूसरे जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बूढ़े हैं, डिसएबल्ड हैं, जो काम नहीं कर सकते, जो लेबर नहीं कर सकते, उनको ग्रेचुइटी रिलिफ देने के लिये मंजूरी दे रखी है और जहां जहां इस प्रकार के लोग हैं उनको रिलीफ दिया जाता है। मैंने बतलाया मध्य प्रदेश के अन्दर अभी कुछ दिनों पहले इर्रिगेशन ऑफिसर जाकर आये हैं और फिर एक–आध रोज में जाने वाले हैं। जहां जहां हमारे मवेशी हैं वहां किसानों को पोस्ट कार्ड दे रखे हैं और उनको कह दिया है कि उस पर पहुंच की इत्तला दे दी जाय और पहुँच की इत्तला के साथ ही जो दिक्कतें हैं उस

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पोस्ट कार्ड के जरिये उनकी सरकार को सूचना दे दें। हमारे इर्रिगेशन ऑफिसर और उनका सारा स्टाफ इस काम में लगा हुआ है। कुछ मवेशी वापिस आने भी लगे हैं और उनके आने के लिए उसी प्रकार का इन्तजाम किया है जिस प्रकार का जाने के लिए किया था। पहली तारीख से डिपो शुरू हो गये थे। जो मवेशी आ रहे हैं उनके फोडर के लिए इन्तजाम शुरू किया है। इसके अलावा यह भी इन्तजाम किया है जो लोग खाने का इन्तजाम नहीं कर सकें उनको खाने के लिए आटा भी मिल जाय। उसका इन्तजाम भी है....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : डिसएबल्ड को सहायता दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कह दिया है कि डिसएबल्ड पर्सन्स के लिए फेमिन कोड के अनुसार रिलीफ दे रहे हैं। जहां भी फेमिन है, वहां रिलीफ मिल रहा है। आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो, जिसको नहीं मिल रहा है तो मुझे बता दीजिये मैं मालूम कर लूंगा कि वाकई वह डिसएबल्ड है या नहीं। अगर डिसएबल्ड है तो जरूर मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा........

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : आप देना चाहें तो नहीं मिलेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलवर से आनेवाली माननीय सदस्या, जो सबसे बाद में बोलीं, ने एक मसला रिफ्यूजी का, शरणार्थियों का पेश किया कि जो शरणार्थी पट्टेदार हैं उनको खातेदारी के अधिकार क्यों न मिलें ? उन्होंने कहा कि जब वे लोग लाये गये थे तो आश्वासन दिया गया था कि जमीन फ्री मिल जायगी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक राजस्थान सरकार की जमीन का प्रश्न है, जिस किसी रिफ्यूजी को वह अलॉट की गई है, उससे पैसा नहीं लिया गया है लेकिन जो इवेक्युई प्रोपर्टी है, जिसको इवेक्युई छोड़ गये हैं वह राजस्थान सरकार की ज़मीन नहीं है। वह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवेक्युई प्रोपर्टी एक्ट के अन्डर गवर्न होती है और कानून की तहत में उस जमीन की कीमत ली जाती है और उसके ऊपर अधिकार कानून की तहत में दिये जाते हैं। माननीय सदस्या ने कहा कि पंजाब में इस तरह से अधिकार दिया गया है। मैं अदब के साथ कहूँगा कि इस तरह से नहीं दिया गया है। उनको यह समझ लेना चाहिए कि दो तरह के शरणार्थी हैं। एक क्लेमेन्ट शरणार्थी, जिनके दावे थे और जिनको भारत सरकार के रीहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने मंजूर कर लिया है। उनके जो क्लेम मंजूर हुए, उसमें से पैसा काट लिया गया है। दूसरे जो नॉन क्लेमेंट हैं, उनको जमीन दी गई, उनसे सारे हिन्दुस्तान के अन्दर कीमत वसूल की गई है। तो जिन लोगों का माननीय सदस्या जिक्र कर रही थीं, वे क्लेमेंट्स होंगे और उनके क्लेम्स में से कीमत काट ली गई होगी। यह गलत है कि जमीन की कीमत लिए बगैर उनको अधिकार दे दिया गया। यह एक्ट भारत सरकार, पार्लियामेंट से स्वीकृत एक्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवेक्यु प्रापर्टी एक्ट के तहत काम हो रहा है। इसमें राजस्थान सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है।

श्रीमती गंगा देवी डाटा (रामगढ़) : २० लाख के क्लेम्स नहीं लिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह ठीक है; लिये गये या नहीं लिए गये, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि जो क्लेमेंट्स हैं, उनसे ज़मीन की कीमत पूरी ली है। उनके मंजूर क्लेम्स में से जमीन की कीमत काट ली है और जो नॉन क्लेमेंट्स हैं उनसे जमीन की कीमत ली जाती है। इसके साथ ही १० वर्ष के अन्दर एक पैसा भी वसूल नहीं हुआ है। अब वह कीमत पन्द्रह साल की किश्तों से वसूल की जा रही है। मेरी जानकारी है कि वह कीमत घट रही है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर और राजस्थान के ऑफिसर साथ बैठे और कीमत में से कुछ निकालने की कोशिश की है। भरतपुर के इलाके में तो बहुत कम हो गई है क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल बदल गया है। इस तरह जो भी मदद हम दे सकते हैं वह दी है—गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कीमत की किश्त कम करवा दी और इनको बेदखल नहीं किया जाय, यह कर दिया। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान भर के जो रिफ्यूजी हैं, उनके साथ जो बर्ताव हुआ है वही अलवर और भरतपुर के रिफ्यूजीज़ के साथ हुआ है। लेकिन हमने एक रियायत और भी दी है कि लगान का उतना मुनाफा लिया गया है, दुगुना मुनाफा हर जगह लिया गया है, आप से सवाया मांगते हैं। मैं समझता हूँ इसमें एतराज नहीं होना चाहिए, वह वाजिब है। जो व्यक्ति जिस जमीन को खरीदने के लिए एग्रीमेन्ट लिख देता है उस दिन से सवाया बन्द हो जायगा....

श्रीमती गंगादेवी डाटा : रकम देने पर पिछला सवाया माफ कर दिया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सवाल नहीं है, जिस मकान में पिछले दस साल से रह रहे हैं उसको खरीद लिया, तो दस साल में जो किराया लिया है वह दे दें।

(४. म० प०)

तीसरी बात, कुछ माननीय सदस्यों ने चम्बल के ऊपर यह कहा कि चम्बल नदी योजना के कमाण्ड में जो जमीन आई है उसको नीलाम किया जा रहा है, भूमि-हीनों को नहीं दी जा रही है। जहां तक भूमि के वितरण का, लैंण्ड पॉलिसी का सवाल है इस सदन में अपने विचार विस्तार से मैंने समय समय पर रखे हैं, जितनी जमीन इस नदी घाटी में है। कई दफा मैंने माननीय सदस्यों को बताया है कि सरकार की क्या नीति है और किस तरह अलॉटमेंट होता है। चम्बल का सवाल बिलकुल साफ है। दो-तीन दिन पहले एक सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि आधी जमीन नीलाम कर रहे हैं और जमीन अलॉट कर रहे हैं। जहां तक भूमिहीन किसानों का सवाल है मैंने कहा है कई दफा कि भूमिहीन किसानों को आधी जमीन अलॉट की जायगी और आधी को बेचा जायगा, वह भी भूमिहीनों को ही दी जायगी।

झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि थ्योरिटिकली नीति है; वह ठीक है पर उस नीति का पालन नहीं होता है। पालन नहीं होने की शिकायत हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है पर अलॉटमेंट का जो तरीका रखा है उसे दोष देने का

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बहुत कम मौका होना चाहिये । तहसीलदार तो नाम मात्र का अधिकारी है उस कमेटी में, एम. एल. एज़., बी. डी. ओ. और सरपंचों के हाथ में काम है। और यहां तक रखा गया है कि मजमा आम में जाकर गांव में जमीन का वितरण किया जाय, ताकि कोई गलत आदमी नहीं ले सके, गलत आदमी के लेने की शिकायत फौरन मौके पर ही दूर की जा सके। इसके बाद मैं नहीं समझता कौन सी दिक्कत आ सकती है ?

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : आपने कहा उससे उल्टा किया जाता है, तहसीलदार को सारे अधिकार हैं, वह जो चाहता है वही करता है, एम. एल. एज. को तो राय देने का अधिकार है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ठीक है, जब आप तहसीलदार की राय से इत्तफाक नहीं करते तो उसको कोई अधिकार नहीं है देने के।

श्री रामचन्द्र : यह हो रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : हो रहा है तो मेरे नोटिस में लाना चाहिये कि कहां कहां हो रहा है और किस तरह हो रहा है ?

समय आने पर मैं बताऊंगा कि कितने लाख एकड़ जमीन भूमिहीनों को दी जा रही है। भूमिहीनों को काफी जमीन पिछले सालों में दी गई है, समय आने पर इसके आंकड़े में पेश करूंगा। बहरहाल किसी तहसीलदार की शिकायत हो कि एड्वाइज़री कमेटी की राय नहीं मान कर भूमि दी हो तो उसकी शिकायत कीजिये एडवाइज़री बोडीज़ बनाई जाती हैं तो उसकी जो एडवाइज़ हो उसको मानना चाहिये, पर कहीं रूल्स के माफिक नहीं हो और कोई भूमि-हीन नहीं हो, उसको भूमि दी जा रही हो तो डिफर करने का अधिकार तहसीलदार को है, पर भूमि देने का अधिकार तो उसको नहीं।

एक सदस्या जो जयपुर से आई हुई हैं, वे अभी यहां नहीं हैं, उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज निवारण के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय सदस्या यहां होतीं तो मैं उनको जानकारी दिलाता कि रूरल इन्डेटेडनेन्स के रिडेम्पशन के लिये हमने लॉ बना रखा है, जिसके तहत सैकड़ों, हजारों मुकदमें जगह जगह दायर होकर फैसल भी हो चुके हैं। तो माननीय सदस्या को शायद जानकारी नहीं होगी।

दूसरी बात यह है कि दूदू से आये हुए माननीय सदस्य हैं उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत जानकारी है: केकड़ी, मालपुरा की तहसीलों में हरिजनों पर बहुत जुल्म हुए और सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ किसी माननीय सदस्य को गलत सूचना हो सकती है; केकड़ी, मालपुरा तहसीलों में हरि-जनों और सवर्णों में झगड़े हुए; पर सरकार ने कठोर से कठोर कार्यवाही की और कई लोगों को गिरफ्तार किया, जेल भेजा, मुकदमें चलाये। वे माननीय सदस्य इससे वाकिफ हैं। कलेक्टर, एस. पी. और डी. एस. पी. मौकों पर पहुँचे हैं और जिन हरिजनों की जमीनें छीनीं उनको वापिस जमीनें दिलाई गई हैं, उनके खिलाफ मुकदमें चलाये [illegible]

(श्री दामोदरलाल व्यास)

फतार किया गया है और कइयों को सजाएं दिलाई गई हैं। जितना एजीटेशन हुआ वह सारा बन्द हो गया, उन्हें उन हरिजनों को खुश करना पड़ा, हरिजनों से माफी मांगनी पड़ी है, उनको किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, माननीय सदस्य खुद जानते हैं। पर उनको तो जिस तरह की शिक्षा दी गई है, सूचना, सूचना तो मैं नहीं कह सकता, इस लिये नहीं कह सकता, किस तरह सब हुआ है, वह सब जानते हैं; सिवाय उनके सब हरिजन जानते हैं कि हरिजनों की बदबूदी, पूछ-ताछ किनके साथ रहने में है, जो मुखियाजी हैं उनके साथ में रहने में है या कांग्रेस के साथ रहने में है। क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिये जिस तरह सिखाया बोल दिया, खैर ऐसी बातें तो अभी आती रहेंगी।

एक दफा मैं फिर जनसंघ के मुखिया हैं उनसे कहूँगा कि वे चाहें जितनी कोशिश करें....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : कांग्रेस को पूछ कर करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : जितनी कोशिश करेंगे उल्टी उनके ही खिलाफ जायेगी। पंचायतों के एवं पंचायत समितियों के इलेक्शन में उन्हें कुछ नहीं मिला तो विधान सभा के इलेक्शन में तो बिल्कुल सफाया होने वाला हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर कहूँगा जो मुद्दे उन विभागों के बारे में, जो मेरी सीधी देखरेख में हैं, माननीय सदस्यों ने उठाये हैं, जो बातें माननीय सदस्यों ने उनके बारे में कही हैं, मैं उनका स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जिक्र था। उसके बारे में जो हमारा लक्ष्य था एडीशनल फूड ग्रेन पैदा करने का वह ८.१२ लैक्स टन था, इसके बजाय इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १२ लाख टन एडीशनल फूड ग्रेन्स पैदा कर सकेंगे, यह बात भाषण में कही थी।

सदन के इस ओर और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों में उन फीगर्स के बारे में, जैसे कि आम तौर पर डिस्प्यूट इस सदन में हुआ है वैसा डिस्प्यूट इस बार सुनने को नहीं मिला। ये आंकड़े दिये गये हैं वे राजस्थान के बनाये हुए नहीं, बल्कि देश का निश्चित तरीका है कि इस तरह से देश की फूड ग्रेन प्रोडक्शन के आंकड़े आंके जाते हैं, इस प्रकार की जो निश्चित नीति है उसी नीति के आधार पर ये आंकड़े तैयार किये गये हैं। क्रोप कटिंग और रेन्डम सेम्पल के बेसिस पर, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन का हिसाब लगाया जाता है, उस पर आधारित आंकड़े राज्यपाल महोदय ने रखे थे।

माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा है तो कीमतें क्यों बढ़ी हैं, कीमतें तो गिरनी चाहिये। कम से कम फूड ग्रेन्स के रेट्स तो स्टेबिलाइज़ होने चाहिये। यह हमारी इकोनॉमी का साउन्ड कारण बन सकता है। माननीय उपाध्यक्ष, इस बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि वैसे हमारे सदन के माननीय

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सदस्य जानते हैं और समझते हैं कि राजस्थान के अकेले के फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में वृद्धि होने से फूड ग्रेन्स की प्राइसेज़ गिर जायं, यह बात संभव नहीं। सारे देश की प्राइसेज़ के साथ में इनका सम्बन्ध है। जब देश में दूसरी प्राइसेज़ बढ़ रही हैं, तो फूड ग्रेन आज अकेली अलग नहीं रह सकती कि वह न बढ़े। आप दुनिया के दूसरे देशों में फूड ग्रेन और दूसरी चीजों की क्या कीमत है उसको देखें। प्राइस इन्डेक्स दूसरी जगह की क्या है, उसको भी देखें। इन्टरनेशनल प्राइस इन्डेक्स को पहले पहल आप देखें और उसके बाद हमारे देश की प्राइस इन्डेक्स को देखें कि वह क्या है और उसके बाद में हमारे राजस्थान में क्या है, तब आपको मालूम होगा। वैसे तो हमारे राजस्थान के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे देश में प्रथम पंच-वर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं, फिर भी हमारे देश में अन्न का उत्पादन उतना नहीं बढ़ा है जो दूसरे देशों की जरूरत को पूरा कर सके। अभी भी हमें बाहर से गेहूँ काफी मात्रा में मंगाना पड़ता है। गेहूँ बाहर से आता है और वह गवर्न फूड ग्रेन को करता है। हमारे यहां फूड ग्रेन की क्या प्राइसेज़ हों, इसके लिये हमारे यहां से कोई निश्चित नहीं किया जा सकता है। कितना फूड स्टॉक में रहे आदि कई जरूरी बातें देखने की होती हैं।

कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारे यहां पर ग्रेन की प्राइसेज़ बहुत ऊंची हैं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले साल की फूड ग्रेन की प्राइसेज़ जो रही हैं उनको आप देखें और उसके मुकाबले में हमारे यहां की आज की प्राइसेज़ को देखें तो आपको मालूम होगा कि हमारे यहां अकाल की स्थिति होते हुए भी फूड ग्रेन की स्थिति ठीक है। कन्ट्रोल में जितना ज्यादा अनाज रखना चाहिये वह रखा जाता है। लोग इसको होर्ड न करें इसके लिये सरकार ने कदम उठाया है। इसके लिये जितने स्टेप्स सरकार को लेने चाहिये लिये हैं। सरकार ने यह भी ध्यान रखा है कि फूड ग्रेन का स्टॉक ज्यादा एक जगह इकट्ठा न हो जावे और लोग होर्ड न करें। इसका भी ध्यान रखा है। इसके लिये बैंक की पॉलिसी में भी काफी परिवर्तन किया गया है। जो बैंक फूड ग्रेन के अगेन्स्ट में लोन दिया करते हैं उनको भी लोन देने की एक सीमा निर्धारित कर दी गई है कि इससे ज्यादा लोन नहीं दिया जावे। इसके बाद लाइसेन्स देने की बात है इसमें भी काफी ध्यान दिया जाता है कि कम से कम सरप्लस रखा जा सके और कन्ज्यूमर्स को भी वाजिब कीमत पर माल मिल सके। जब सरकार ने कीमतों को बढ़ते हुए देखा तो अलग अलग प्रान्तों की सरकारों ने कदम उठाये, मगर फिर भी आप हमारे यहां की कीमतों और दूसरे देशों की कीमतों (प्राइस इन्डेक्स) का मुकाबला करें तो आपको मालूम होगा कि हमारे यहां कीमतें ऊंची नहीं हैं। इनके सम्बन्ध में काफी डिटेल्स में बजट के बाद में अगर जरूरत होगी तो आपके सामने रखूंगा। दूसरी चीजों पर प्राइसेज़ जिस अनुपात से बढ़ी हैं उसे देखते हुए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की प्राइसेज अभी भी कम हैं और फिर भी इस बढ़ती हुई इकोनोमी के समय जबकि हम देश में योजनाएं बना रहे हैं और बड़े बड़े बांध और घाटियें बना रहे हैं। काफी पैसा हमारी जनता के पास से आया है। सभी क्षेत्रों में जब इन-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

फ्लेक्शन का ट्रेन्ड है और, सभी क्षेत्रों में प्राइसेज़ बढ़ती जा रही हैं; तो फूड ग्रेन इससे अलग रह जाए यह नहीं हो सकता। इसलिये इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार जो कुछ भी कन्ट्रोल और नियन्त्रण कर सकती है और कदम उठा सकती है उठाये हैं और उसका परिणाम यह हुआ है कि पिछले सालों में प्राइसेज़ बाजार में गेहूँ की जो १८) और १९) रुपये मन की रही थी उसमें आज भी ज्यादा अन्तर नहीं पड़ा है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इन सारी बातों को देखते हुए भाव ज्यादा नहीं बढ़े हैं।

इसके बाद में प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में सरकार ने काफी कदम उठाये हैं। बहुत से सदस्यों ने कहा कि जितनी कुओं और खाद की व्यवस्था एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से लोगों के लिये होनी चाहिये थी नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में जब से हमारे प्रान्त में यह विकेन्द्रीकरण हुआ है उसमें खेतीबाड़ी, सहकारिता, पशुपालन का काम पंचायत समितियों के पास चला गया और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे काम करने की शक्ति पहले जो एक विभाग की थी या सरकारी अफसरों को काम करने का मौका मिलता था आज हमारे हजारों आदमी, गांवों के पंच–सरपंच आदि को इन योजनाओं के साथ काम करने का पूरा मौका मिला है और इस वजह से इस काम में गति लाने का काफी स्कोप बन चुका है।

यह कहा जाता है कि कुओं के लिये रुपये नहीं दिये गये, इसके लिये बहुत बड़ी डिमान्ड है। पंचायत समिति ने पिछले साल इसके लिये बहुत मांग की थी और मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान को कुए बनाने के प्रोग्राम में एक करोड धन–राशि दी गई थी। हमने इसकी बढ़ती हुई मांग को देखा तो भारत सरकार के सामने मांग रखी। भारत सरकार ने हमारी मांग को बहुत सहानुभूति के साथ देखा और डेढ़ करोड़ रुपया राजस्थान में कुए बनाने के लिये over and above the Plan ceilings के रूप में हमारे राजस्थान में दिये और नतीजा यह हुआ कि पिछले पांच वर्षों में २ करोड़ ६६ लाख रुपये खर्च किये और ७,५०८ कुए बनाये गये। कुछ बेकार पड़े थे उनकी मरम्मत करके काम चलाऊ कुए बनाये गये और प्रोडक्शन को बढ़ाया गया; जिससे राजस्थान में १० लाख एकड़ जमीन दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में दो फसली जमीन बनी है और उससे काफी उत्पादन में वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार पंपिंग सेट के बारे में और बीज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जितनी मांग है शायद हम उसको तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी पूरा नहीं कर सकेंगे क्योंकि राजस्थान के लोगों में इनको खपाने की बहुत गुंजाइश है, लेकिन हमारे साधन सीमित हैं। इसलिये हम सब की मांग को पूरा कर सकें, यह मुमकिन नहीं है। इसके लिये मैं राजस्थान के लोगों को खास तौर से मुबारिकबादी देना चाहता हूँ कि उन्होंने ४० लाख एकड़ जमीन को खेती के योग्य बनाया जो पहले खेती के काम में नहीं आती थी। सब लोगों ने मिल कर काम किया जिससे जहां यह स्टेट डेफिसिट था वहां काफी सरप्लस बन गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में काफी प्रोग्राम रखे हैं। १६

Page No.101

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लाख फूड ग्रेन प्रोड्यूस का टार्गेट रखा है। शुगर केन का भी हमारा काफी टार्गेट है। २४ करोड़ रुपयों की धन-राशि तीसरी पंचवर्षीय योजना में है उसके परिणामस्वरूप हमारा टार्गेट निश्चित रूप से पूरा होगा और विधान सभा के सभी सदस्यों के कोऑपरेशन से काम करेंगे तो निश्चित हमारा टार्गेट पूरा कर पावेंगे।

इसके साथ में कुछ बातें जो उठाई गई कि हमारे यहां ट्यूबवेल्स की बहुत गुंजायश है। इसके लिए अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ ध्यान दिलाया गया। जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि पहले हडोती में ५ हजार रुपये जमा कराये, मगर साल भर से ज्यादा समय हो गया मगर मशीन ट्यूब वेल्स बनाने के लिए नहीं मिली। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने हमारे यहां पर ट्यूब वेल्स की गुंजायश है उसकी गुंजायश में बहुत कम मशीनें उपलब्ध हैं और ये मशीनें हमारे देश में मिलती नहीं। ड्रिलिंग की मशीन हमारे यहां हैं नहीं, बाहर से आती हैं। राजस्थान बहुत चाहता है कि तीन या चार मशीनें और मंगा ली जावें, मगर मिल नहीं रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें मशीनें मिल सकें और भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी मशीनें हमें मिल सके। इससे काफी ट्यूब वेल्स बनाये जा सकते हैं और उससे हमारे यहां प्रोडक्शन में काफी उन्नति होगी। आज फोरिन एक्सचेन्ज की बड़ी दिक्कत है। अगर मशीनें मिल सकेंगी तो काफी तादाद में ट्यूब वेल्स बनाये जा सकेंगे और १२, १३ करोड़ का प्रोडक्शन अधिक कर सकेंगे। पर यह योजना अभी आखिर रूप में नहीं आयी है। अगर राजस्थान में ट्यूब वेल्स वाली योजना में मशीनरी हमारे विभाग में पूरी तौर पर हो जाती है तो हम ज्यादा लोगों की मांग को पूरा कर सकेंगे। पांच हजार वाली कुए की बात कही थी वह एग्रीकल्चर वाली बात नहीं थी, किन्तु पीने के पानी के लिए थी। यह समस्या सारे राजस्थान में चल रही है। कहा यह गया कि पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और एग्रीकल्चर के लिए धन मिल जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि यह खेती-बाड़ी के लिए योजना बनी थी। पीने के पानी की मांग भी जरूरी है, इन मशीनों को अलग अलग, दूर २ स्थानों पर भेजना पड़ता है और इस कारण कई दिक्कतें विभाग के सामने भी आती हैं कि गांव वाले पूरी तौर से समय पर इनका उपयोग नहीं करते हैं। गांव में पूरा काम नहीं होता है, अधिक समय तक वहां बन्द पड़ी रहती हैं। इस प्रकार से विभाग के सामने कई कठिनाइयां आती हैं, फिर भी इस चीज़ को हल करने के लिए जो लिमिटेड सीमा है उसी हद में रह कर हमको काम करना पड़ता है।

इसके बाद मैं खास तौर पर कुछ पोइन्ट्स सहकारी विभाग के बारे में भी कहे गये जिनका जिक्र करना चाहूँगा। सहकारिता के बारे में भरतपुर के आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि सहकारिता में खेती के सम्बन्ध में समितियों की जो समस्यायें है उनके लिए स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सहकारिता के बारे में हमारी जो नीति है वह कई मुद्दों पर खास नहीं हुई थी जो कि अब जाकर वह साफ हुई है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

खेती बाड़ी के लिए सहकारी समितियां कैसी हों, वे कैसी बनेंगी आदि इन बातों को अभी छः महीने पहले ही साफ किया गया था। अब जो सहकारी समितियां गांवों में बनेंगी वे उन लोगों की मर्जी से बनाई जावेंगी। लोगों को ट्रेनिंग दी जाभेगी और फिर बनाई जावेंगी। वे जोइन्ट हों, शामिल रूप से ही मार्केटिंग करें और प्रोफिट का भी वे विभाजन करें। ऐसी सहकारी समितियों को ही सही माने में सहकारी समितियां मानेंगे। तो यह एक बड़ा मुश्किल काम था। जो अब तक सहकारी समितियां बनी थी वे जोइन्ट टिनेन्ट फोर्म में हैं। किसान शामिल खेती नहीं करते हैं। वे आपस में जमीन को बांट लेते हैं। एक एक खेती करते हैं। उस दायरे में ये समितियां आती नहीं हैं। आज उनमें इस प्रकार की कमी है। अब पइलोट प्रोजेक्ट बना है, योजना और प्रोग्राम बना है। इसके लिए ट्रेनिंग दी जावेगी, नीति को समझाना है, वालियन्टरीली लोगों को इसके लिए तैयार करना है, ट्रेन्ड लोगों को इनमें रखना है। यह एक प्रोग्राम सारे देश के सामने है। हमारे सामने भी यह नया है। तीसरी पंच-वर्षीय योजना में, हमारी सीमा में रह कर, लोगों को समझाते हुए, जितना धन हमारे पास होगा उनका गठन करना चाहेंगे। सेवा सहकारी समितियों के लिए कहा गया कि मेम्बरशिप कम है, मेम्बरशिप का नम्बर नहीं बताया गया है। सदन को जानकारी, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा करना चाहूँगा कि ऐसी सेवा समितियां बनाने के लिए सन् १९५९-६० में यह योजना शुरू हुई। ५९-६० में १७८५ सेवा समितियां बनाने का टार्गेट, लक्ष्य था उससे ज्यादा, यानी १९६१ ऐसी सेवा समितियों का गठन किया गया है और इस साल का भी कार्यक्रम १७८५ का ही बनाने का था। उनमें से दिसम्बर तक १२७० बना चुके हैं और उम्मीद है कि लक्ष्य पर पहुंच जावेंगे। सहायता के लिए मैंने पिछली दफा गवर्नर साहब के भाषण में जब जिक्र आया था तो निवेदन किया था कि ५,९६, ६७४ सदस्य संख्या बनायी गई थी। अब ७,६७,००० है और १,६७,००० सदस्य संख्या बढ़ी है। जो लक्ष्य हमने रखा है, साधन अवेलेबल थे, उनके अनुसार यह ठीक है। आखिर लोन देना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। इसलिए हमारे विभाग के पास जो टार्गेट था उसको ठीक तरह से पूरा किया गया है। काफी चर्चायें इसके बारे में आयीं। झुंझुनू से आये माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां सहकारी बैंक है उसने सहकारी समितियों को लोन नहीं दिया। जालोर का भी जिक्र आया। इस तरह से जालोर और झुंझुनू बैंकों के बारे में जिक्र किया गया। ये पिछले साल बने थे। पहले जालोर समितियों को सैंट्रल बैंक जोधपुर से लोन मिलता था और झुंझुनू को सीकर बैंक से मिलता था। ज्यों ज्यों नये नये बैंक खुले, तो उनकी सदस्य-संख्या बनाना था, उनको पूंजी को ठीक करना था, जहां तक पुराने अकाउन्ट्स का सम्बन्ध है उनको सेटल करना था, पुराने बैंक से यह मसला हल करना था, तो कुल मिला कर चार-पांच महीने का समय इसमें लग जाता है। जब तक इस बैंक का अकाउन्ट दूसरे बैंकों से पूरा सेटल न हो जाय और नये कर्जे की बात नये बैंक के सामने न आ जाय तब तक

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कर्जा लेना देना सम्भव नहीं होता है। इसमें थोड़ा समय लग जाता है। जालोर में बैंक जुलाई में बना था। कर्जे की कोई अर्जी बन कर नहीं आयी। दिसम्बर में आयी तो जनवरी और फरवरी में २॥ लाख रुपया अपेक्स बैंक से जालोर बैंक को दिया गया और वह रकम बांट दी गई। झुंझुनू में शुरू शुरू में देर हुई और बैंक्स का अकाउन्ट अलग अलग हो गया। तुरन्त अर्जियां आ गई हैं। अपेक्स बैंक ने पैसा दे दिया और वह बांट दिया गया। तो यह जो आॅर्गेनाइजेशन है सहकारी समितियों का, इनको जब नई नई रचना होती है तो उनकी प्रिलिमिनरीज़ को पूरा करने में दिक्कत आती है।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने सघन खेती योजना के विषय में कहा। यह इस साल से पाली जिले में शुरू हुई है और रबी की फसल से ही इसको शुरू किया गया है। इसमें पहले काफी व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ती है, फील्ड में स्टाफ भेजना पड़ता है। एक्सटेन्शन आॅफिसर और दीगर कुछ स्टाफ को ट्रेनिंग देकर फील्ड में भेजा जाता है। इसमें भी बहुत सी प्रिलिमिनरीज़ करने की आवश्यकता होती है, उनको पूरा किया गया है। इस दृष्टि से आगे करने की गुन्जाइश है। उनमें कमियां हैं और वह स्टेज अभी आई नहीं है कि पूरी हो जाय क्योंकि जितनी धन राशि दी जावेगी वे सहकारी समितियों के द्वारा दी जावेंगी। इसलिए इसमें सहकारी विभाग और एग्रीकल्चर दोनों का तालमेल बैठे तब यह संभव हो। लोगों की यूनियनें हों। उनको वे खुद चलाते हों। इसमें शुरू शुरू में काफी दिक्कतें आती हैं, आवेंगी। आॅफिस वियरर्स और अन्य लोगों को ट्रेनिंग आदि देना है। इन्स्ट्रक्टर्स यूनियन्स की तरफ से रखे गये हैं। पाली में एक था तो उसकी जगह दो कर दिये गये हैं। बेटर को–आॅर्डिनेशन की दृष्टि से जो दिक्कतें ध्यान में आयी हैं उनको हल करते हुए और उनको ध्यान में रखते हुऐ पाली में सघन खेती की योजना ठीक तरह से चली है।

थोड़े बहुत पोइन्ट्स यदि बच गये होंगे तो इस समय उनके लिए सदन का समय न लेते हुए सदन के माननीय सदस्यों को अन्य किसी समय पर अर्ज करूंगा। सदन के माननीय नेता भी, माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं, उन पर प्रकाश डालने वाले हैं। मैं अधिक समय न लेकर जो कुछ मुद्दे शेष रह गये हैं तो उनके बारे में फिर प्रकाश डाल दूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता, वह इस वजह से कि इस बार सदन में इस प्रस्ताव के विरोध में जो भाषण दिये गये हैं उनमें कोई ऐसा खास तथ्य नहीं जिनको वजह से ज्यादा समय लिया जाय। कुछ बातों की तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

सबसे पहले तो यह कि इस वर्ष जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हम लोगों के सामने है इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना का सिंहावलोकन किया गया है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ संकेत इसमें हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो कुछ

Page No.104

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

राजस्थान में हुआ, मैं समझता हूँ, सदन को इस पर सन्तोष होना चाहिये। इसमें कुछ खास मुद्दे (फिज़ीकल टार्गेट्स) हमने अचीव किये हैं वे भी इसके जरिये सदन के सामने रखे जा चुके हैं। फिर भी आर्थिक योजना के आधार में मूलतः दो बातें सामने आती हैं। एक तो यह है कि इस योजना के जरिये कितना एम्पलॉयमेन्ट हम क्रिएट करते हैं, दूसरा यह कि इसके जरिये राष्ट्रीय आय में और प्रतिव्यक्ति आय के अन्दर कितनी बढ़ोत्तरी करते हैं। इसी आधार को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ इस पर विचार किया जाना चाहिए।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात को रखा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में हमारी जो प्रति व्यक्ति आय जिसका वेल्युएशन श्री लोकनाथन के जरिये कराया गया उससे जाहिर हुआ कि २५६) रुपया प्रति व्यक्ति आय दूसरी पंचवर्षीय योजना काल के शुरू में थी वह इसकी समाप्ति तक २७८) रुपया प्रति व्यक्ति आय होगी। जब कि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति की औसत आय ३०५) रुपया होगी। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान के प्रति व्यक्ति की आय में अखिल भारतीय व्यक्ति के आय से दूसरे योजना-काल तक १०.२ प्रतिशत का फर्क था उससे घटकर ८.९ प्रतिशत का अन्तर रहेगा। मैं समझता हूँ जहां इस स्थिति को हम निष्पक्ष दृष्टि से विचार करें और हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों की तरफ निगाह डालें तो राजस्थान में जो कुछ करने में हम कामयाब हुए हैं जिसके जरिये सारे हिन्दुस्तान की औसत आय में जहां काफी फर्क था वहां हमने दूसरी योजना में उस फर्क को बहुत कम किया है। इसके साथ साथ हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि यह जो कार्य हुआ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। कई जगहों पर तो जहां दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में यह अन्तर घटने के बजाय काफी बढ़ा है वहां हम राजस्थान में उस अन्तर में कमी करने में कामयाब हुए हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लानिंग कमीशन की तरफ से एक कमीशन मुकर्रर हुआ था एम्पलॉयमेन्ट की जांच के लिये, उसने भी इस बात को कहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में चार लाख व्यक्ति के करीब एडीशनल लेबर फोर्स क्रिएट होगी। उसके एम्पलॉयमेन्ट के सिलसिले में जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया, यह हमने नहीं कहा, उस कमेटी ने इस बात को कहा है कि करीब ३.९० हजार के करीब लोगों को राजस्थान में एम्पलॉयमेन्ट दूसरे योजना-काल में मिलेगा। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि जब कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर द्वितीय योजना काल के अन्त में जो बेक-लॉग था लेबर का वह तृतीय योजना के शुरू होने पर बढ़ जायेगा उसके मुकाबले राजस्थान के अन्दर जो बेक-लॉग रहेगा, दूसरी योजना काल में एडीशनल लेबर फोर्स को एबज़ोर्ब कर देंगे। यह एक महत्वपूर्ण बात होगी जिस पर हमारी निगाह जानी चाहिये। यही आधार होते हैं जिन आधारों पर सरकार द्वारा किये गये कार्यों की जांच होती है और सरकार द्वारा किये गये कार्यों की तुलना भी इसी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आधार पर हो सकती है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कार्यों की टीका होती है और करनी चाहिये । लेकिन उसके आधार भी होने चाहिये । अच्छा होता इस सदन के अन्दर इन्हीं आधारों पर ज्यादा चर्चा होती और इस बारे में जो भी खामियां हैं उनको आप बताते तो इस पर कुछ कहा जा सकता था ।

दूसरी बात मैं निवेदन करूं सारे हिन्दुस्तान में जब कि १.४ पर्सेन्ट के हिसाब से एन्युअल प्रोडक्शन रेज हुआ है, पर-केपिटा के लिहाज से, तब राजस्थान के अन्दर वह १.७२ पर्सेन्ट के करीब हुआ है । कारण यह कि यहां जो एफीशियेन्सी के साथ वर्क किया गया जिससे टोटल प्रोडक्शन जो हुआ है उसमें ज्यादा इन्क्रीज़ हुई है । तो इस आधार पर मैं यह कहूं कि राजस्थान सरकार ने दूसरे योजना–काल में राजस्थान को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है, महत्वपूर्ण हिस्सा अदा किया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से हम यह आशा कर सकते हैं कि जो खामी रही है उस तरफ वे अवश्य संकेत करें लेकिन इसके साथ साथ हमारा यह भी अधिकार है कि जो कुछ हमने अचीवमेंट्स किये हैं उनको भी उन्हें स्वीकार करना चाहिये; चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हों, चाहे कृषि के क्षेत्र में हों और चाहे किसी क्षेत्र में हों जो वास्तविकता है उसे स्वीकार किया जाना चाहिये और जो खामियां हों उनको कहा जा सकता है । लेकिन सबके लिये यह कह दिया जाये कि राजस्थान के अन्दर कुछ नहीं हुआ है, इस प्रकार कहने का तो आपको हक है इसमें मुझे एतराज नहीं, लेकिन इस प्रकार से आपके कहने का कितना असर होता है, यह खुद के सोचने की बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा तो विस्तार में जाना नहीं चाहता । जो टैक्सटाइल मिल्स हमने लिये हैं उसके बाद जो भी मजदूरों को राहत पहुंचाई है वह आपके सामने है । बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो अभी यहां उपस्थित नहीं है, विशेष तौर से जो इस प्रकार से रेशनलाइजेशन हुआ है उसके बारे में काफी टीका करने की कोशिश की है । उसी के दौरान में पॉवर हाउस में जो यूनियन बनी है उसमें मैं गया । उसके सम्बन्ध में भी उन्होंने बात कही । वे मुझे क्षमा करेंगे अगर हम रेशनलाइज़ नहीं करते और जो वर्क लोड चला आ रहा था उसको देखते हुए उसको स्वीकार करके चलते हैं तो वह उपयुक्त नहीं था । तो जो इन्डस्ट्रीज़ के हित में था और जो मजदूरों के हित में था वही हमने किया है । इससे यह हुआ कि मजदूरों ने उस स्थिति को स्वीकार किया और उसका परिणाम यह हुआ कि जो कुछ आज उनको मिलता है पहले से कहीं ज्यादा मिलता है । सही बात यह है कि एडवर्ड मिल को रेशनलाइज़ करने के बाद जितने मजदूर पहले काम करते थे उससे कहीं ज्यादा यानी ३००-४०० के करीब मजदूरों की संख्या वहां बढ़ी है और मिल में वे काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से मजदूर के हित के अन्दर दोनों जगहों पर जो कदम उठाये गये हैं उसके अच्छे परिणाम हमारे सामने आये हैं । माननीय सदस्य को एतराज इस बात से हो सकता है कि वहां जो यूनियन्स हैं, जिसका

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एफीलियेशन पहले एक पार्टी की तरफ था, अब वह उससे हटकर कांग्रेस समर्थित,कांग्रेसी विचार धारा को रखने वाले इन्टक के ऑर्गेनाइज़ेशन से हो गया है, मजदूरों को ज्यादा जगह मिली है, इसलिये उनको विरोध होना स्वभाविक था दोनों जगहों पर मिल का काम सुचारू रूप से चल रहा है। ब्यावर में भी शान्ति के साथ काम हो रहा है और वहां मजदूरी भी पहले से ज्यादा मिल रही है। इसी प्रकार पॉवर हाउस के अन्दर जो लेबर युनियन का एफीलियेशन था उससे जो संकट पैदा हुआ उससे भी उनको नाराजगी जाहिर होती है। मोहनलाल सुखाड़िया व्यक्तिगत हैसियत से मुख्य मंत्री होने के साथ साथ नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस का एक अदना सिपाही भी जरूर है। वैसी हालत में अलग अलग इस प्रकार की संस्था बनती हैं तो उसके अन्दर जाने का मुझे भी अधिकार रहता है। जहां इन्टक के ऑर्गेनाइज़ेशन्स हैं उनसे सम्बन्धित जो भी यूनियन्स हैं उनमें मैं जा सकता हूं। सरकार की तरफ से किसी प्रकार का दबाव डालने की बात नहीं। व्यक्तिगत हैसियत से जाकर अपने आपको एसोसियेट करता हूं, उस पर किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिये। यही कार्यक्रम चाहे किसी भी राजनैतिक पार्टी का, उसके कार्यकर्ता का क्यों न हो उसके सामने यही बात रहती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि ब्यावर भीलवाड़ा की मिलों में बहुत बड़ा अन्तर नहीं है।

दूसरे, उपाध्यक्षजी, आज सदन को इस बात की खुशी होनी चाहिये कि ज्यादा दूर नहीं, आज से दो तीन साल पहले राजस्थान की परिस्थिति यह थी कि राजस्थान के अन्दर जो पुराने उद्योग थे वे बन्द होते जाते थे एक एक करके, कभी सुनते थे कि किशनगढ़ की मिल बन्द हुई, कभी कोटा की बन्द हुई, कभी सुनते थे ब्यावर और भीलवाड़ा की मिल बन्द हुई, पर आज उसके बजाय निश्चित तौर से राजस्थान उस दिशा में लगा है कि बन्द होने वाली मिलें चालू हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जो खराब थीं उनको रिनोवेट करके नये तरीके से वे बनी हैं। इसके अलावा चार-पांच और टैक्सटाइल मिलों का काम शुरू हुआ है और कई बड़े बड़े कारखानों को किसी को लाइसेन्स दे दिया गया, है या किसी का काम शुरू भी हो गया है। तो राजस्थान में इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस की शुरूआत ६०-६१ में तेजी से होने का वातावरण बना है। जो वातावरण बना है उसका परिणाम हम आगे जाकर तीसरी योजना में स्पष्ट तौर से देखेंगे क्योंकि अब तक हमारे पास बिजली की भी कमी थी और वातावरण की भी कमी थी और बहुत सी बातें थी। आज राजस्थान में सारी चीजें हमारे हक में पैदा हो रही हैं। इसकी वजह से राजस्थान की औसत जो लगाई है प्रगति की, वह अब ज्यादा नजर आवेगी, क्योंकि दूसरी योजना में जो कुछ परिणाम सामने दिखते हैं वे एक प्रकार से ज्यादा कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर के एफर्ट्स हैं अलग अलग दिशाओं में। पर इन्डस्ट्रियल सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को काम पर लगाये जाने की जो बात है वह नहीं हो पाई। कुछ थर्ड फाइव इयर प्लान में काफी इन्वेस्टमेन्ट होकर वह एम्प्लॉयमेन्ट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

का पर्सेन्टेज भी राजस्थान में पैदा होने वाला है। इस प्रकार पब्लिक सेक्टर में भी मुझे पक्का विश्वास है, जो कुछ स्टेट में हम कर रहे हैं उसके अलावा भारत सरकार की तरफ से भी कुछ काम होंगे । तो तब जाकर राजस्थान के इकोनोमिक लाइफ में इसका असर पूरी तौर से रिफ्लेक्ट होने लगेगा। पर जो रिफ्लेक्ट होने वाला है, जो कुछ एफर्ट्स किये हैं चाहे क्लाइमेट बनाने में, चाहे नये उद्योगों को शुरू करने में या और कुछ करने में; इन सब प्रयत्नों का परिणाम आगे ज्यादा से ज्यादा दिखलाई देगा।

मैं आशा तो नहीं करता था, पर जिस प्रकार की बात हमारे श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे बारे में कही कि एन. डी. सी. में और दूसरी जगह हमारे मुख्य मन्त्री का असर कम पड़ता है इसलिये हमारी प्लान कट गई और बंगाल, पंजाब का ज्यादा असर है, इसलिये उनको ज्यादा मिल गया। और भी मैंने सुना कि यह कहा गया कि जो पानी का समझौता हुआ उसमें चुप रहने की वजह से वर्किंग कमेटी में जगह दे दी गई, इस प्रकार का आभास दिया। तो उनकी दलीलों और सूझ–बूझ के लिये धन्यवाद। उनका तेज दिमाग चलता है। इसके सिवाय ज्यादा कहना नहीं है इस बारे में मुझे। पर यह सिर्फ नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो प्लान, उन्होंने कहा कि हमारी इतनी कट गई असर कम होने की वजह से, तो उनकी जानकारी के लिए बताऊं कि महाराष्ट्र की प्लान १३७ करोड़ रुपये कटी, मैसोर की १०० करोड़ कट गई और पंजाब की ५७ करोड़ प्लान कट गई और यू० पी० की १३१ करोड़ रुपया की प्लान कट गई और राजस्थान की जिसमें मामूली हैसियत वाला मेरे जैसा आदमी है, ४७ करोड़ रुपये जितनी कटी है और इसके बाद मध्यप्रदेश में १६५ करोड़ कटी। इस तरह से....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) ; What is the percentage ? कितने में से कटी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पर्सेन्टेज तो बहुत आसान है । पंजाब में २८७ की प्लान बनी थी २३० करोड़ रही, और राजस्थान को २८३ की बनी थी जिसमें से २३६ करोड़ रही। इसी प्रकार महाराष्ट्र की ४६७ करोड़ की बनाई गई थी और ३५६ रही। तो इस तरह पर्सेन्टेज के कागज मैं बाद में आपको दे दूंगा। इससे आसानी से पता लग सकेगा। आपके नोट करने की जरूरत नहीं रहेगी।

श्री भैरोंसिंह : और भी स्टेटें हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह भी बहुत बड़ा आधार हो ऐसी बात नहीं है। कोई ५०० करोड़ की बना कर ले जाते तो भी कटकर २०० ही रह जाती । महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रति व्यक्ति प्लान के पीरियड में क्या मिलता है ? आप प्लान बनाकर ले जाते हैं, मैं और नहीं कहता, कम असर रखने वाले हैं जिनका कट गया, वे काफी असर रखने वाले हैं उनका नहीं कटा, मैं तो ज्यादा असर रखने का दावा करता ही नहीं । वैसे मामूली आदमी हूँ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पर दूसरी तरफ कहना यह है कि जो प्रति व्यक्ति हिन्दुस्तान में प्लान के फिगर्स तय हुए हैं उनके बारे में जिक्र के तौर पर बताऊं तो शायद उपयुक्त ही होगा कि आज हिन्दुस्तान में जो प्रति व्यक्ति तय हुआ है उसमें सारे भारत का औसत है स्टेट्स का १०७. ६ प्रति व्यक्ति और राजस्थान का है १४७. ५। और यह भी नम्रतापूर्वक निवेदन कर दूं कि काश्मीर के अलावा राजस्थान का पर-कैपिटा हाइएस्ट है, जो जम्मू काश्मीर का राजस्थान से ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि यह स्वाभाविक है और किसी की दो राय नहीं हो सकती। इसमें पर इसके अलावा राजस्थान का पर कैपिटा हाईएस्ट है। इस दलील के बाद मुझे इस सम्बन्ध में और कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। जैसा आपने कहा जितनी मुझसे इस मामले में पैरवी हो सकती थी, राजस्थान के लिए, करने की कोशिश की है और अब भी समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा और मिले, इसकी कोशिश करते रहेंगे। राजस्थान पिछड़ा हुआ है और राजस्थान में और आवश्यकता है, इसके बारे में भी दो राय नहीं। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर जो पर-कैपिटा है अब भी ऑल इण्डिया के एवरेज से कम है। इसकी पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को चाहिये कि पब्लिक सैक्टर में एन्टरप्राइज़ ज्यादा करें जिससे हम भी दूसरी स्टेटों के एट-पार आ सकें। जो फिगर्स दिये हैं उनका मतलब यह भी नहीं समझा जावे कि हम उनसे सन्तुष्ट हैं कि जो हो गया बहुत ज्यादा मिल गया। बल्कि ज्यादा मिलना चाहिये, यहां की बैकवर्डनैस और दूसरी हालतों को देखते हुए। और अच्छा हो माननीय सदस्य भी इसकी उपयुक्तता को देखते हुए विचार करेंगे; बजाय एक दूसरे की टीका की दृष्टि से या और तरह से लाभ उठाने का प्रयत्न करें।

माननीय उपाध्यक्षजी, एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि काफी भाव बढ़ते जाते हैं और इस बात का सरकार ख्याल नहीं रख रही कि जो इन्कम बढ़ती है उसका फायदा क्या ? मैं निवेदन करूं कि मैं बहुत ज्यादा फिगर्स तो इकट्ठे नहीं कर पाया। मैंने सीरियल में खास कर गेहूँ के बारे में जानने की कोशिश की। ५६ में, जनवरी-फरवरी में गेहूँ की होलसेल मार्केट रेट २३)२१ न० पै०, फरवरी में २३)६, सन् ६० में जनवरी में १८) २ और फरवरी में १८) ७७ रही, ६१ में जनवरी में १८) २ और फरवरी में १८) ७७ है और ५६ से यह कम है। ६० के समान है। इसका मतलब यह कि जो रेट से इन्कम बढ़ रही है उसके साथ सीरियल की रेटें बहुत ऊंची जा रही हैं, उसका काउन्टर बैलेन्स है इनकी रेटें भी ऊंची नहीं जा रही हैं। इन फिगर्स से इनको टेली किया जा सकता है। फिर भी कन्ट्रोल में लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये, वह प्रयत्न भारत सरकार और हम सभी इस मामले में कर रहे हैं, हम सभी उत्सुक हैं कि इस बारे में प्रयत्न किया जाय। और इसके लिए स्टेप्स उठाये जावें और मैं निवेदन करूं कि स्टेप्स उठाये जाते हैं। जब कभी इसके बारे में स्टेट ट्रेडिंग की बात कही जाती है तो कई माननीय सदस्य इस बात को कहते हैं कि यह सरकार तो स्टेट ट्रेडिंग करने लग गई। कन्ट्रोल की बात करें तो यह बात और स्टेट ट्रेडिंग

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की बात करें तो यही बात और कोई बात कहते हैं तो उल्टा । इन सारी परिस्थितियों में भी जहां तक सम्भव हो सकता है भावों को ठीक रखने के बारे में, जितने प्रयत्न हो सकते हैं, उतने, प्रयत्न किये गये हैं ।

यहां पर डिसेन्ट्रेलाइजेशन के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने अलग अलग विचार जाहिर किये । एक माननीय सदस्य, जो भरतपुर से आते हैं उन्होंने कहा कि जो कोऑप्शन का क्लॉज़ है इसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें सामने आती हैं । मैं समझता हूँ कि जो विचार यहां पर अभी सामने आये और इस पंचायत राज्य और विकेन्द्रीकरण की जो योजना है इसके सम्बन्ध में राजस्थान ने एक बहुत बड़े पैमाने पर पहल की है और पहल करने की वजह से बहुत सी चीजें अनुभव से जो सामने आती हैं उस पर विचार करके जो उसमें परिवर्तन की जरूरत है उसकी तरफ हम जागरुक हैं । इतना ही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ । चाहे कोऑप्शन की बात हो या और प्रश्न हों, जो अनुभव सामने आये हैं उन पर जागरुकता के साथ हम अध्ययन कर रहे हैं । अध्ययन करके जो आवश्यकतायें होंगी वह एक प्रोपर स्टेज पर की जायेंगी । इतना ही मैं कहूँगा और इससे ज्यादा इसके लिए जरूरत नहीं है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि भरतपुर की जिला परिषद् ने वहां के कलेक्टर के बारे में एक अविश्वास का प्रस्ताव पास किया था और इस सरकार ने उसके बारे में कोई स्टेप नहीं लिया । तो मैं यह नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा अविश्वास का प्रस्ताव पास करना जिला परिषद् के अधिकार के बाहर की बात थी और जो उनके अधिकार बाहरके की बात है या जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ जिला परिषद् कोई अविश्वास का प्रस्ताव पास करने लगे, मैं समझता हूँ कि जिन फंक्शन्स की आशा जिला परिषद् से की जाती हैं उससे वह बाहर जाती है, तो उसे सरकार स्वीकार नहीं कर सकती और इसीलिए उसे स्वीकार नहीं किया गया ।

यहां जो दूदू से आये हुए एक माननीय सदस्य हैं उन्होंने हरिजनों की स्थिति के बारे में बहुत सी बातें यहां पर कहीं । उन चीजों के लिए मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक गवर्नमेंट की पॉलिसी का सवाल है मैं स्वयं इस बात को चाहता हूँ कि हरिजन छात्र और सवर्ण छात्रों के लिए अलग-अलग रखने की बात नहीं होनी चाहिये, उनको साथ ही रखा जाना चाहिये । मुझे बहुत खुशी है कि जब जनसंघ की तरफ से इस नीति का यहां पर जोरों से प्रतिपादन किया गया तो उससे मैं समझता हूँ कि यहीं नहीं बाहर भी इस बात से बल मिलता रहेगा, ऐसा मुझे मानकर चलना चाहिए ।

सीलिंग के लिए भी यहां एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार ने कानून तो बना दिया लेकिन सरकार चुनावों के पहले सीलिंग लागू करना नहीं चाहती है । इसबारे में मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जहां तक इस सरकार की नीति है हम पहले कह चुके हैं, आज भी कहते हैं कि हम जमीन पर सीलिंग लगाने के हक में हैं और इस बात को मानते हुए हम आने वाले चुनावों में और पिछले चुनावों में लड़े थे और आगे आने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वाले चुनावों में इसको स्पष्ट रखकर चलते हैं। हमारे दिमाग में कोई इस बारे में रुकावट नहीं है क्योंकि हम यह मानते हैं कि राजस्थान का हित इसके अन्दर है। जिस नीति को हम मानते हैं, उसका प्रतिपादन इसके अन्दर करते हैं। इसलिए कानूनी कार्यवाही और प्रोसीजर का सवाल आया है, लेकिन नीति में कोई झिझक नहीं है। जो कुछ भी हमने तय किया है वह सही तय किया है। हम जानते हैं कि जो भी इसके विरोध में हैं वे आज भी कहते फिरते हैं कि सरकार सीलिंग लगाने वाली है। तो हां, हम लगाने वाले हैं इससे डर क्या है ? मैं आपको बताऊं कि ९०—९५ प्रतिशत तो ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर इसका असर पड़ने वाला नहीं है। हमारे दिमाग में वैसे इसको लागू करने में कोई संकोच नहीं है।

इसके अलावा इस बहस में कुछ और भी प्रश्न आये थे; पुलिस वगैरह के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि माननीय गृह मन्त्रीजी बजट का मौका आयेगा उस समय इन पर कुछ कहेंगे। अब राजनीतिक चर्चायें इस सदन में काफी जोरों से हुईं। मैं उसमें उस तरह से पड़ना नहीं चाहता। लेकिन मैं इतना आपसे निवेदन कर दूं कि कुछ भ्रान्तियां हैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे एक तो यह कि वैसे सदन में चर्चा आने का कोई कारण नहीं था, लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट कर दूं जयपुर में जिस समय महारानी एलीजाबेथ आईं उस रोज़ उनको 'सी' प्रेसिडेन्स में रखा वह बिल्कुल गलत है। वे औरों की तरह भी रिसीव करने वालों में थी। उनको एक ही लाइन में रखा गया और इस बात से न केवल यहां के मामले में बल्कि सब जगह बराबर रखा है। जो रूलर्स को प्रिविलेजेज़, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स हैं उनकी हमने हमेशा रक्षा की है और एज़ गवर्नमेंट रक्षा की जायेगी ; यह भी मैं आज कह कर चलना चाहता हूँ। किसी की व्हिम्स पर हम फैसला करने वाले व्यक्तियों में से नहीं हैं। उनका प्रिसिडेन्ट हायर है तो हम यों-ही बात करें तो यह गलत है। मैं यह निवेदन कर दूं कि जो उदयपुर में ड्रिंक वाली बात कही जाती है तो उदयपुर में रिसेप्शन के मौके पर, क्योंकि गांधीजी के मारटायर का दिन था इसलिए सब आदमियों के आने के बाद कोई ड्रिंक नहीं हुई है। वह ३० जनवरी का दिन होने की वजह से कोई ड्रिंक सर्व नहीं की गई थी और जो मेहमान आये थे वह मामूली पानी या जो कुछ था उसको लेकर चले गये थे, ड्रिंक वगैरह सर्व नहीं की गई थी। इसलिए इसको इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): आप इन्क्वायरी कराइये, मैं आपको शहादत देने के लिए तैयार हूँ....

एक माननीय सदस्य : कोल्ड ड्रिंक होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्वीन जिस समय आईं और रिसेप्शन जहां हुआ उसकी रिपोर्ट तो मैं ज्यादा अच्छी तरह से दे सकता हूँ, क्योंकि मैं वहां मौजूद था।

श्री भैरोंसिंह : रिसेप्शन नहीं, डिनर का सवाल है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरे अभी यहां पर स्वतन्त्र पार्टी का जिक्र और उसके साथ बौखलाहट का जिक्र और न जाने क्या क्या बातें आईं । मैं इन मामलों को बहुत महत्वपूर्ण नही मानता क्योंकि यह तो जरूरत से ज्यादा चर्चा का विषय बनेगा कि कौन किस पार्टी में आ गया। हम लोग यह मानकर चलते हैं कि रिएक्शनरी विचारधारा किस तरह एग्रिगेट करती है उसको कोई कितना ही शेयर कर ले उससे ज्यादा उसका असर पड़ता नहीं है। कांग्रेस की दृष्टि से आज कुछ लोग जो विरोध में हैं उसमें से कितने जनसंघ ले ले, कौन कितना ले ले यह उनके बीच की स्ट्रगल है। जो भी बंटवारा होने वाला है वह दूसरी तरफ होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जनसंघ के नेता यहां पर इतनी जोरों से प्रतिपादन कर रहे हैं स्वतन्त्र पार्टी का, मैंने सुना है कि जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी में कुछ एडजस्टमेन्ट होने वाला है; तो उन प्रश्नों को हम क्यों यहां पर चर्चा में लायें। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने किसी स्टेटमेन्ट में धमकी दी तो किसी को धमकी देने का प्रश्न नही आता । राजा महाराजा जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहें वे इसके लिए आजाद हैं । पर उनको सारी परिस्थितियों पर विचार करने की जरूरत है। बस इतना ही मुझे कहना है । मैं कहना चाहता हूँ कि इस धन्यवाद के प्रस्ताव का आप समर्थन करें ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने कृपापूर्वक विधान सभा के समक्ष दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं ।" स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

अब सदन की बैठक कल म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजे, म. प. दिनांक ७ मार्च, १९६१ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, ६ मार्च, १६६१)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	७३७	महाराजा कॉलेज, जयपुर की राजनीति शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षा विश्व-विद्यालय को सौंपना ।	
योग्यता छात्रवृत्ति योजना ।		जिला जयपुर के अध्यापकों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बकाया वेतन की अदायगी ।	
कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जयपुर के कर्मचारियों को हैड ऑफिस अलाउन्स ।		पंचायतों को राजस्व का कुछ प्रतिशत दिया जाना ।	
जयपुर—गंगापुर रोड पर स्थित सीतोड़ के नाले पर पुल निर्माण ।		लालसोट को बिजली देना ।	
मैट्रिक ट्रेन्ड अध्यापकों को मैट्रिक ट्रेंड की ग्रेड ।		चूरू जिले में किसानों से रकम की वसूली ।	
तहसील सुजानगढ़ के पटवारियों द्वारा आवेदन—पत्रों पर से स्टाम्प उतार कर बेचा जाना ।		कोट—बहरोड़ सड़क का निर्माण कार्य ।	
गांगवा ग्राम स्थित कुआ भोपाला के विकास हेतु प्रदत्त धनराशि का दुरुपयोग ।		विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों में रात्रि—कक्षायें प्रारम्भ करने की व्यवस्था करना ।	
मोजा खोखरा, तहसील सोजत के पर्चा लगान नम्बरों में तसखीस व लगान में परिवर्तन ।		देसूरी तहसील के गांव बूसी और खोड़ को पाली तहसील के अधीन करना ।	
उनियारा टाउन को भाखरा और चम्बल योजना से बिजली ।		हरिजनों के घर बिजली लगाने हेतु प्रदत्त धनराशि का लाडनू नगर-	

पालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा दुरुपयोग ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अपूर्ण पड़ी हुई सड़कों का निर्माण ।

संगीत ट्रेनिंग स्कूल ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थायें ।

चुरू जिले में प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित सामग्री का सर्वेक्षण ।

ग्राम करकंडी (रूपनगढ़) के मिडिल स्कूल की हाईस्कूल या हायर सेकन्डरी स्कूल में परिणिति ।

रतनगढ़ से सालासर तक सड़क निर्माण ।

उनियारा में हाईस्कूल भवन का निर्माण ।

चौमू–जयपुर सड़क को चौड़ाई में वृद्धि एवं बाडी नदी पर पुल का निर्माण ।

प्रतिवेदन का उपस्थापन ७६५

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने कार्य सलाहकार समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया ।

तत्पश्चात् प्रतिवेदन पर सदन द्वारा अपनी सहमति भी प्रकट की गई ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद–प्रस्ताव पर वाद–विवाद ८००

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री बृजमोहनलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा, द्वारा दिनांक २४ फरवरी, १६६१ को प्रस्तुत धन्यवाद–प्रस्ताव पर वाद–विवाद का आज अन्तिम दिन था जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री लादूराम सुलाणिया
(२) डॉ० चन्द्रकला
(३) श्री भैरोंसिंह (१४)
(४) श्री हरिदेव जोशी
(५) श्री ज्वाला प्रसाद
(६) श्री मनोहर कोठारी
(७) श्री रिखबचन्द धारीवाल, उद्योग मन्त्री
(८) श्री सम्पतराम, स्वायत्त शासन मन्त्री

(९) श्री रावतमल पारीक

(१०) श्री रामचन्द्र

(११) श्रीमती गंगादेवी डागा

उपरोक्त प्रस्ताव पर की गई बहस का उत्तर सरकार की ओर से श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री तथा श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, ने दिया। तत्पश्चात् धन्यवाद-प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक ठीक ५ बजे मंगलवार, दिनांक ७ मार्च, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

मंगलवार, दिनांक ७ मार्च, १९६१ की कार्य-सूची

स्वर्गीय पं० गोविन्दवल्लभ पन्त, केन्द्रीय गृह मंत्री, के निधन पर श्रद्धांजलियें।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १७६ का उत्तर देखिये)

प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र श्री रीझुमल पुत्र श्री जीवनराम रावतानी सुजानगढ से इन्चार्ज ऑफिसर एन्टीकरप्शन बीकानेर डिवीजन मारफत श्रीमान् कमिश्नर डिवीजन बीकानेर दिनांक १५-६-५८।

विषय:—जुडिशीयल स्टाम्प चुरा कर दुबारा बेचना।

श्री महाशय जी,

तहसील सुजानगढ़ में सन् १६५६ में सरकारी आज्ञानुसार खातेदारी दरख्वास्त पेश की गई थी हर दरख्वास्त पर आठ आने के टिकट लगाये गये थे। ट्रेज़री खजाने न होने के कारण बरीबाई निवेसों के मारफत तकरीबन १२०० रुपये नगद द्वारा सौ रुपये नगद हाजी महोदय क्लर्क के पास नगद जमा करवाये थे। जो टिकट आने पर टिकट खरीद कर लगवानी चाहिए थी। इस अरसे कलेक्टर साहब चुरू में एक आदेश आया कि खातेदारी की दरख्वास्तों की आवश्यकता नहीं। जिन किसानों के नाम गिरदावरी है उनको अपने आप बना दिये जायेंगे। इस पर क्लर्क हाजी मोहम्मद व डूंगरमल स्टाम्प देकर जिनके पास वह सारा सौ रुपये जमा थे उन रुपयों को सुअवसर देख कर ट्रेज़री में न जमा करवा कर खा गये।

अब शेष दरख्वास्त जो करीबन ३००० तीन हजार के दरमियान बताई जाती है जो के कानुगा मिस्टर ही पास बताई जाती है कानुगा और क्लर्कों से मिलकर उन दरख्वास्तों की कोई फीस की टिकट उतार कर मोहनलाल स्टाम्प वैंडर के मारफत बिकानी दुबारा शुरू की है। जो करीबन पिछले दो महीने से बिक रही हैं। ऐसी टिकट मैं अपनी आंखों से २०० देखीं जो दुबारा काम आने के लिये बिक रही हैं। आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त कांड की शीघ्रातिशीघ्र जांच करें। अपराधियों को दण्ड दिलायेंगे।

भवदीय
हस्ताक्षर श्री रीझुमल
पुत्र श्री जीवनमल रावतानी

उपरोक्त काण्ड की जांच मेरे रूबरू हो।

हस्ताक्षर श्री रीझुमल

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६८ का उत्तर देखिये)

STATEMENT OF QUALIFICATIONS OF THE TEACHERS OF THE RAJASTHAN SANGEET SANSTHAN, JAIPUR

S. No.	Name of the Teachers	Qualifications.	Pay and Grade
1	2	3	4
1.	Smt. Sushila Devi Vocal Music Mistress.	Only 20 Yrs. Experience of Singing and 10 yrs. teaching experience of Ist Yr vocal Music Class.	100/-fixed against 60—130.
2.	Shri Srigopal Sitar Teacher.	Matric. Prabbakar in Sitar	against 60-130
3.	Shri Bajrang Kumar	Matric. Prabhakar in Vocal.	82/- (70-140)
4.	Shri Mohan Goswami Violin teacher	Inter. Vadya Visharad. Vadya Prabhakar. Madhyama in Tabla.	78/-(70-100)
5.	Shri Veerandra Singh Dance teacher.	Non Matric. Prabhakar in Dance.	78/-(70-100)
6.	Shri Satya Kishore Vocal Music Teacher	Inter. Prabhakar in Vocal. Bhushan in Tabla	74/-(70-100)
7	Shri Laxmi Narain, Tabla Teacher	20 years experience of Tabla	40/-fixed against 50-80

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, ६ मार्च, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७४७	शीर्ष	(श्री दामोदरलाख व्यास)	(श्री दामोदरलाल व्यास)
७५२	१४	डिमान्ड	रिमान्ड
७५४	८	उनि	उनियारा
७५५	६	खोलना चाहिये	खोलनी चाहिये
७५७	१३	जोइनिं ग	जोइनिंग
७५९	१२	ए-कदो	एक-दो
७६१	अन्तिम से ३	जवाज में	जवाब में
७६२	३-४	इधर खम्मे लगे हुए हैं तो विजली नहीं है	इधर खम्भे लगे हुए हैं तो बिजली नहीं है
७६३	१६	श्किमी	शिकमी
,,	१७	प्रात	प्राप्त
,,	अन्तिम से ३	अधिकार	अधिकार
७६५	५	दमोदरलाल	दामोदरलाल
७६६	४ व ६	उनसे	उससे
७७१	१९	सुखाड़्या	सुखाड़िया
७७२	३	शकरलाल	शंकरलाल
,,	अन्तिम से ४	सेन्सन	सेन्सस
७७५	१०	उससे	उसको
७७७	१७	सलाग्यिा	सुलाग्यिा
७८१-८२	शीर्षक	६ मा ६१	६ मार्च, ६१
७८१	८	उनमें वे	उनमें से
,,	१४	उनको	उनको
७८३-८४	शीर्षक	६ फरवरी, ६१	६ मार्च, ६१
७९६	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	प्रतिवेदन का उपस्थापन
७९७	अन्तिम से ४	का जब	की जब
८०१	शीर्षक	राज्वपाल	राज्यपाल
८०२	१८	सत्र-आवण जावण	सत्र आवण-जावण
८०३-८०४	शीर्षक	६ मर्चा, ६१	६ मार्च, ६१
८०३	२०	बराबरी के अधिकार	बराबर के अधिकार
८०५	अन्तिम पंक्ति	यन्या	न्याय

१	२	३	४
८१०,८२२ ८२४,८४८ ८८८	शीर्षक	सामान्य पर	पर सामान्य
८१०	८	नहों करेगा	नहीं करेगा
,,	३०	कमजार है	कमजोर है
८१२	२	खीले जाय	खोले जाय
८१३,१५, १७,१६ व २१	शीर्ष	(श्री लादूराम मुलाणिया)	(डॉ० चन्द्रकला)
,,	१३	अव्यधिक	अत्यधिक
,,	२१	भूलभूलैया	भूलभुलैया
८१७	३	का गृहिणी	को गृहिणी
,,	२३	दीर्घ सूत्री	दीर्घसूत्री
८२०	६	लगाकर करना होगा।	लगाना होगा।
,,	२३	की है।	को है।
८२१	अन्तिम से २	स्लम्प	स्लम
८२३	२८	गुट्टबन्दी	गुट्टबन्दी
८२५	८	उठाना देना	उठाने देना
८२६	३१	उत्तदायित्व	उत्तरदायित्व
८३२	२३	१६६० में	१६६० को
८३३	शीर्षक	राज्दपाल	राज्यपाल
८३४	६	समझोता	समझौता
८३६	२८	इस बात	इस बात का
८३७	१४	मैं	में
८४०	३०	सक्पुलर	सक्युलर
८४१	३	सक्पुलर	सक्युलर
८४७	अन्तिम से ३	De hrone	Dethrone
८४६	१	डिकी	डिग्री
८५१	८	किएट	क्रिएट
८५२	शीर्षक	वाद–विवा	वाद–विवाद
,,	११	झैंपड़ों	झोंपड़ों
,,	२०	चुन आती है।	चुन कर आती है।
,,	२२	कहूँगा राजा	कहूँगा कि राजा
८५३	शीर्ष	(श्री भैरोंसिंह]	(श्री भैरोंसिंह)

१	२	३	४
८५३	अन्तिम से ३	हमारी	हमारी
८५५	२०	की उनको	को उनकी
,,	२५	मीन्त्र–मंडल	मन्त्रि–मंडल
८५८	शीर्षक	समान्य	सामान्य
,,	११	रचता	रचना
८६१	१७	की	की
,,	अन्तिम पंक्ति	विश्न्भर नाथ जोशी	श्री विशम्भरनाथ जोशी
८६४	१८	उठ ाकर	उठा कर
८६५	१६	उपब्धियां	उपलब्धियां
८६८	१२	क्यंकि	क्योंकि
,,	२६	इलिये	इसलिए
८६६	शीर्षक	मपोदय	महोदय
८७२	शीर्षक	षर सामान्य	पर सामान्य
८७३	अन्तिम पंक्ति	दो साहब	दा साहब
८७५	२४	डेमोक्रेस	डेमोक्रेसी
८७६	१७	के	को
८८१	२४	व्ययस्था	व्यवस्था
८८२	२४	में	मैं
,,	अन्तिम से ३	समस्ययें	समस्याएं
८८३	१७	मेघावान	मेधावान
८८७	२३	इन्सपक्टर	इन्सपेक्टर
,,	अन्तिम से ३	जीयनोपयोगी	जीवनोपयोगी
८८६	शीर्षक	अभिभाषण	अभिभाषण
,,	अन्तिम से २	समय–समाति	समय–समाप्ति
८६१	६	मंत्री :	मन्त्री) :
८६२	१५	चहूँगा	चाहूँगा
,,	२६	जब मानस	जब तक मानस
८६६	१३	कहै।	कहें।
८६८	अन्तिम पंक्ति	आलउन्स	अलाउन्स
६००	२५	कमीनशर	कमिश्नर
,,	३०	करते	करने
६०५	८	बतलाइये जो जो	बतलाइये जो
,,	२७	कॉफ्रेन्स	कॉन्फ्रेन्स
६०६	अन्तिम से ४	कि इसके कि	इसके कि

१	२	३	४
६०६	अन्तिमपंक्ति	आता था	आती थी
६०७	अन्तिम से ३	थी हाई वह कोर्ट में	थी वह हाई कोर्ट में
६०८	६	Elcation	Election
६११	शीर्ष	(श्री सम्पतराम)	(श्री रावतमल पारीक)
६१२	१४	२	३
,,	२७	इस फल का	इसका फल
६१३	अन्तिम	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र
६१४	२१	अभिभापण	अभिभाषण
६१५	२१	"अविक" अन्न	"अधिक अन्न
६१७	शीर्ष	(श्री रामचन्द्र)	(श्री रामचन्द्र)
६२३	शीर्ष	ल्याम	व्याम
६२५	१६	पेमिन	फेमिन
६२७–२८	शीर्षक	८ मार्च, ६१	६ मार्च, ६१
६२७	१७	क्लानिफिकेशन	क्लालिफिकेशन
६३३	अन्तिम पंक्ति	उतको	उनको
६३८	अन्तिम से २	सास नहीं	साफ नहीं
६३६	६	जामेगी	जावेगी
,,	१७	पइलोट	पाइलोट
६४१	अन्तिम से ४	द्वरा	द्वारा
६४७	५	होनास्वभाविक	होना स्वाभाविक
६४६	शीर्ष	मुखाड़िया	सुखाड़िया
६५३	१६	जारूगक	जागरूक
६५४	३	अधिकार बाहर के	अधिकार के बाहर
६५६	३	कॉन्स्टिट्सुशनल	कॉन्स्टिट्युशन
,,	१७	वह	वे
६५७	११	कांग्रेसको	कांग्रेस की
६६५	१६	क्लर्ककों	क्लर्क
६६७	१२	Sangest	Sangeet
,,	१६	Sangete	Sangeet